

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 जनवरी, 1975

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 15 जनवरी, 1975

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(12)1
नियम 45 के अधीन पटल पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(12)32
कार्य-मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन	(12)37
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि 31-3-76 तक बढ़ाना सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि 31-3-76 तक बढ़ाना	(12)40
दी हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं. 2) बिल, 1975	(12)47
अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) 1974-75	(12)81
वर्ष 1969-70 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(12)84

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 15 जनवरी, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सैक्टर-1, चंडीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Question Hour.

Labour Courts in the State

***1131. Sh. K.N. Gulati::** Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) the total number of Labour Courts functioning in the State at present; and

(b) the total number of Labour Tribunals functioning in the State at present?

Labour Minister (Col. Maha Singh):

(a) One.

(b) One.

श्री के.एन. गुलाटी: जैसे मंत्री महोदय ने बताया कि एक लेबर कोर्ट है और एक लेबर ट्रिब्यूनल है। तो क्या यह बताएंगे कि इनके हैडक्वार्टर्स कहां हैं और उनके काम को एक ही जज देखता है या डिफरेंट ?

कर्नल महा सिंह: लेबर कोर्ट का हैडक्वार्टर तो रोहतक में है और इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल का हैडक्वार्टर फरीदाबाद में है। इनके काम को एक ही प्रिजाइडिंग आफिसर देखता है। एक जगह खाली है उसको सरकार जल्दी भरने की कोशिश कर रही है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लेबर की तकलीफ को देखते हुए इनके हैडक्वार्टर्स या तो एक जगह कर दिये जाएं या दूसरा आदमी मुकर्रर कर लिया जाए ताकि लोगों को तकलीफ न हों ?

कर्नल महा सिंह: इस समय इनके आफिस दो जगह हैं, एक रोहतक में और दूसरा फरीदाबाद में। जैसे मैंने अभी बताया कि एक पोस्ट खाली है। इसे फाइनेंशियल स्ट्रिनिजैसी की वजह से नहीं भरा गया था। अब इसे जल्दी भरा जाएगा।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लेबर कोर्ट में 31 दिसम्बर, 1974 तक कितने केसिज पैडिंग थे और एक साल तक के कितने केस पैडिंग हैं ?

कर्नल महा सिंह: इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि न्यायालयों और न्यायाधीकरण को क्या कोई ऐसी हिदायतें हैं कि इतने केसिज को इतने समय में जरूर निपटाया जाए ?

कर्नल महा सिंह: जल्दी से जल्दी निपटाने की हिदायतें हैं और कोर्टों में भी यही की जाती है कि सब केसिज जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं।

श्री गिरी । चन्द्र जो जी: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो जगह खाली है वह लेबर कोर्ट की हैं या इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल की है ?

कर्नल महा सिंह: लेबर कोर्ट की।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह पोस्ट कब से खाली है और कब तक भरी जाएगी ?

कर्नल महा सिंह: यह जुलाई 1972 से खाली हैं और जैसे मैंने अर्ज किया कि फाइनेंशियल स्ट्रिनिजेंसी की वजह से इसको खाली रखा हुआ था। अब सरकार इसे जल्दी भरना चाहती है।

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चूंकि लेबर की तादाद भी बढ़ी है और केसिज की तादाद भी बढ़ी है तो क्या एक-एक और लेबर और ट्रिब्यूनल कोर्ट मुकर्रर किए जाएंगे ?

कर्नल महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब में दे चुका हूं कि एक लेबर कोर्ट हैं और एक ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं और सरकार के यह विचाराधीन था कि एक और लेबर कोर्ट फरीदाबाद में भुरु की जाए लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रिनिजैंसी की वजह से उसको भुरु करना मुनासिब नहीं समझा।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन कोर्टस को जो केसिज की डिसपोजल है, क्या सरकार उससे संतुष्ट है ? अगर नहीं तो क्या केसिज को डिसपोज करने की रफतार को एक एक और कोर्ट खोल कर बढ़ाया जाएगा ?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Government will consider it.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि आपने जो ट्रिब्यूनल लगाया हुआ है, इसकी टर्म पक्की है या टैम्पोरेरी हैं ?

चौधरी बंसी लाल: मुस्तकिल तौर पर है।

Weaving and Spinning Mill

***1189. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Weaving and Spinning Mill at Hansi in Hissar District, if so, the time by which it is likely to be implemented?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh): Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Ltd., Chandigarh, is installing only a spinning mill at Hansi which may take about 3 year for completion, depending on the availability of funds.

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक स्पीनिंग मिल को आप्रेटिव सैक्टर में सन् 1965-66 में कायम करने के लिए उकलाना में जमीन ले ली गई थी ?

श्री हरपाल सिंह: उकलाना में एक स्कीम थी। उसके लिये जो फंडज थे वह लोगों से कलैक्ट करने थे जोकि पूरे नहीं हो सके इसलिये उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया था।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसके लिए क्या कोई जमीन एकवायर करने का काम भुरु कर दिया गया है ?

श्री हरपाल सिंह: अभी इनको लाइसेंस मिला है और इस पर जल्दी ही काम भुरु करने वाले है।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उकलाना में जो मिल लगना था उसमें सरकार ने क्या उधम किया और इस हांसी वाले में क्या करेंगी ? यह मिल को आप्रेटिव सैक्टर की तरफ से लगाया जा रहा है या सरकार की तरफ से ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: हांसी में जो स्पीनिंग मिल लगना है इसको 'हाफ़ैड' की तरफ से लगाया जा रहा है। इसका लाइसेंस मिल चुका है लेकिन अभी प्लानिंग कमी उन से इसकी स्वीकृति लेनी है।

Loans and Grants by the Harijan Welfare Department

***1192. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state:-

(a) the district-wise amount sanctioned as loans and grants by the Harijan Welfare Department to Harijans in the State during the year 1973-74; and

(b) the district-wise amount disbursed to Harijans out of the amount referred to in part (a) above during the year 1973-74?

Social Welfare & Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): (a) & (b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) No.	Sr. District	Name of District	Amount Sanctioned	
			Loans	Grants
1		Ambala	53850	219800

2	Bhiwani	24850	159600
3	Gurgaon	36500	192290
4	Hissar	56300	310900
5	Jind	25650	121700
6	Karnal	37550	162030
7	Kurukshetra	33100	158700
8	Mohindergarh	35100	119200
9	Rohtak	44000	170420
10	Sonepat	24550	119800
(b) No.	Sr. Name of District	Amount Sanctioned	
		Loans	Grants
1	Ambala	51450	217970
2	Bhiwani	24450	159100
3	Gurgaon	36000	189500
4	Hissar	54500	307300
5	Jind	24650	119000
6	Karnal	36350	159730
7	Kurukshetra	32500	156400
8	Mohindergarh	34500	118700

9	Rohtak	40800	164050
10	Sonepat	23400	100000

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सन् 1973-74 के अन्दर कितने लोन और कितनी ग्रान्ट्स सैंकान की गई थी ?

श्री भयाम चन्द: यह सारी स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें से देख लें।

चौधरी दल सिंह: मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसे कि इन्होंने जवाब में हर एक जिले की फिगर्ज दी हुई है, उनसे पता चलता है कि लोन सैंकान ज्यादा हुए हैं और डिसबर्स कम हुए हैं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, जो स्टेटमेंट हमने दी है उससे यह पता चलता है कि एक दो हजार रूपया कम हैं। जहां पर डिसबर्स करना होता है वहां कई लोग लोन लेने नहीं आते। कई केसिज की वैरिफिकेन से पता चलता है कि इन्होंने ग्रान्ट ली हुई हैं तो उनको भी लोन नहीं देते।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें हरिजन कितने हैं। और बैकवर्ड कितने हैं ?

श्री भयाम चन्द: यह सारा सवाल हरिजनों का है।

चौधरी दल सिंह: रोहतक के लिए आपने 44000 रूपया लोन सैंकान किया और डिसबर्स किया 40800 ओर इसी प्रकार से ग्रान्ट्स जो हैं वह सैंकान हुई 170420 और डिसबर्स हुई 164050 तो इसका क्या कारण है ?

श्री भयाम चन्द: अगर किसी को एक साल या दो साल पहले ग्रान्ट दी हो और after verification if we find that he has got earlier then we do not given additional grant.

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितना रूपया दिया जाता है और कम से कम कितना ?

श्री भयाम चन्द: हर एक स्कीम के लिए एक लिमिट फिक्स है और यह सारी इनफर्मेणान एक डाकुमेंट में दी हुई है जोकि हर मेंबर को भेज रखी है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि बैकवर्ड क्लासिज को भी इसमें लोन दिया जाता है, अगर दिया जाता है तो कितना ?

श्री भयाम चन्द: इसके लिए सैपरेट नोटिस दे दें फिर बता देंगे कि कितना दिया जाता है।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ग्रान्ट्स देने का क्या क्राइटेरिया है यानी किस किस बात का ख्याल रखा जाता है ?

श्री भयाम चन्द: पहले हम एप्लीके ांज इनवाइट करते हैं। उसके बाद हर एक जिले में अंडर दि चेयरमैन ि 1प आफ डी. सी. कंसरंड एक कमेटी बनी हुई है, वह प्रायरिटी के हिसाब से देती हैं।

चौधरी पीर चन्द: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि मकान बनाने के लिए हरिजनों के लिए कितनी ग्रांट दी जाती है ?

श्री भयाम चन्द: मैंने अर्ज किया है कि हमने हर एक एम.एल.ए. साहब को एक बुकलैट भेज रखा है जिस में हर एक स्कीम के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। यह उसे पढ़ लें। वह पब्लिक डाकूमैंट है।

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जो 1973-74 का बजट प्रोविजन था उनकी पूरी राशि तकसीम कर दी गई या नहीं ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, सबको पता है कि फायनैं गल स्ट्रीनजैंसी की वजह से हर एक डिपार्टमेंट पर कट लगाया गया और उस हिसाब से इस पर भी कट लगा है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कुल कितना अमाउट था और कट कितना लगा है ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, बजट सब मैंबर साहिबान के सामने पे र किया गया था, यह उसमें देख लें ।

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हाउसिंग के लिए कितनी ग्रांट्स 1973-74 में दी गई है ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्टवाइज टोटल अमाउट पूछा था, वह इनको दे दिया है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जो रकम है यह बहुत कम है, इसलिए यह रकम बढ़ाने के लिए कन्सीडर करेंगे ?

श्री भयाम चन्द: बजट इनके पास है, जितना पैसा पास करेंगे उतना दे देंगे ।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हरिजनों को मकान बनाने के लिए कितना लोन और ग्रांट दी जाती है और किस हिसाब से दी जाती है ?

श्री भयाम चन्द: मकान बनाने के लिए दो हजार रूपया देते हैं ।

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 1975-76 में जिलावार कितने मकान बनाने की स्कीम है ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, जब बजट पास होगा और हमें पैसा मिलेगा तो पता लगेगा कितने बन सकते हैं ।

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 1966 से पहले जब पंजाब में हरिजन कल्याण विभाग पर कोई कट नहीं था तो हरियाणा बनने के बाद यह कट क्यों लगाया गया है ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, जिस जमाने की यह बात करते हैं उस वक्त तो हरिजन बच्चों पर फीस भी लगा दी थी ।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, पंजाब के बारे में आपको भी याद होगा क्योंकि आप भी वहां होते थे कि हरिजन कल्याण विभाग पर कभी कट नहीं लगाया गया । यह हो सकता है कि किसी वजह से कभी कुछ पैसा लैप्स हो गया हो लेकिन कट कभी नहीं लगा । तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि हरियाणा बनने के बाद क्यों कट लगा ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इनके जमाने में तो हरिजन बच्चों पर फीस भी लगा दी गई थी । (विघ्न)

चौधरी दल सिंह: क्या वजीर साहब के नोटिस में यह बात है कि एक ही आदमी ने दो-दो दफा ग्रांट और लोन लिया हो ?

श्री भयाम चन्द: मेरे नोटिस में तो ऐसी बात नहीं है लेकिन अगर उनके नोटिस में है और लिख कर हमारे नोटिस में लायेंगे तो इनक्वायरी करवा लेंगे और देख लेंगे ।

राव बंसी सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि और जिलों के मुकाबला में महेन्द्रगढ़ जिला को इस बारे में कम पैसा क्यों दिया गया है, क्या एप्लीके ांज कम आई थी या और कोई वजह है ?

श्री भयाम चन्द: हर एक जिला को पापुले ान के बेसिज पर पैसा दिया जाता है ।

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि उनके नोटिस में ऐसी मिसालें हैं कि जिन हरिजनों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग पहले ही ठीक है उनको ग्रांट्स और लोन का पैसा दिया गया है ?

श्री भयाम चन्द: लोन और ग्रांट देने के लिए जो आमदनी की लिगिट रखी गई है, उसके मुताबिक ही दिया जाता है ।

चौधरी दल सिंह: वजीर साहब ने फरमाया है कि नाम बताओ तो मैं बताना चाहता हूँ कि श्री फकीर चंद, एकस एम.एल. ए. नरवाना, फकीरिया सन आफ रानियां, नरवाना, फकीर चंद विलेज कालवां और उकसी औरत ने कर्ज लिया है और यह एक ही आदमी है जिसने यह पैसा लिया है जिसकी आज तक पेमेंट नहीं हुई है और डी.सी. जींद ने 1972 में इस बारे में लम्प समरिकवरी के आर्डर भी कर दिये थे। तो क्या यह कर्जा उसे चार दफा इसलिये दिया गया है कि वह एक मिनिस्टर का अपने आपको रि तेदार कहता है ?

श्री भयाम चन्द: अब आपने बताया है तो इसकी इनक्वायरी करवा लेंगे।

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कट जो लगाया गया वह कितने परसेंट लगा और उसके बाद भी 1973-74 में इस मद में कोई सेविंग हुई या नहीं ?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, वैरीफिके ांज के बाद जिनको ग्रांट या लोन न दिया गया हो, वह रकम किसी जिला में दो हजार और किसी जिला में तीन हजार लैप्स हुई है और कोई सेविंग की बात नहीं है।

***1212. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Education be pleased to state the terms and conditions of service of the Vice-Chancellor of Kurukshetra University, Kurukshetra, together with his date of appointment and qualifications?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):
विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत है।

STATEMENT

(a) Terms and conditions of Service:

- i. Pay equal to the pay last drawn by him as Chief Justice of the Assam & Nagaland High Court less the gross pension sanctioned by Government, subject to a maximum of Rs. 3000 per mensem.
- ii. Sumptuary allowance at the rate of Rs. 150/- per mensem.
- iii. T.A./D.A. according to the rules and regulations of Kurukshetra University.
- iv. The use of University staff car for official purposes.
- v. Rent free house in the University campus, partially furnished.
- vi. Medical facilities under the All India Services (Medical Attendance) rules 1954 as were available to Shri S.K. Dutta before his retirement.

- vii. Leave according to Kurukshetra University leave and Casual leave Regulations.
- viii. Benefit of Contributory Provident Fund.
- ix. He is a whole-Time Upa-Kulapati (Vice-Chancellor) and cannot engage himself directly or indirectly in any trade or business whatsoever without the prior permission of the Chancellor.
- x. Any issues not covered by these orders are to be decided by the Chancellor in his absolute discretion and may appear just and fair to him and his decision shall be final.

(b) Date of appointment: 16-2-1970

(c) Qualification:

- i. B.A. (Honours in Economics & Political Science) Calcutta;
- ii. B.Sc. (London) with "Government" as a special subject;
- iii. Barrister-at-Law of the Middle Temple, London, 1933;
- iv. LL.D. (Honoris Causa) Dibrugarh University 1970.

(d) Experience:

- i. Worked as Principal, Government Law College, Gauhati from 1937 to 1948.
- ii. Worked as Dean of Faculty of Law, Gauhati, University from 1948 to 1950.

- iii. Remained Member, Court and Executive Council, Gauhati University from 1948 to 1961.
- iv. Worked as legal Remembrancer and Secretary Legislative and Judicial Department, Govt. of Assam from 1950 to 1955.
- v. Worked as District and Sessions Judge from 1955 to 1961.
- vi. Worked as Judge Assam and Nagaland High Court from 1961 to 1968.
- vii. Worked as Chief Justice of the above Court from 1968 to 1970 (till his retirement).

चौधरी राम लाल वधवा: क्या वजीर साहब तयियेगें कि उनकी टर्म कब तक है?

शिक्षा मंत्री(श्री माडू सिंह मलिक): पहले उनकी टर्म तीन साल के लिये थी उसके बाद तीन साल के लिये और ऐक्सटेंड हो गई । अब वह 15 फरवरी, 1976 को खत्म होगी ।

चौधरी दल सिंह: क्या वजीर साहब बतायेगें कि इसवक्त वाइस-चांसलर साहब की उमर कितनी है?

श्री माडू सिंह मलिक: इस वक्त बता नहीं सकता क्योंकि पता नहीं है ।

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेगें कि क्या जो मौजूदा वाइस-चांसलर है उनको हिन्दी आती है?

श्री माडू सिंह मलिक: जी हां, वह संस्कृत भी पढ़े हैं।

चौधरी चांद राम: संस्कृत तो पढ़े होंगे लेकिन क्या उनको हिन्दी आती है जो हमारे प्रदेश की भाषा है?

श्री माडू सिंह मलिक: वह हिन्दी पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं।

चौधरी बंसी लाल: हिन्दी आये या ना आये, He has proved to be the best Vice-Chancellor.

चौधरी राम लाल वधवा: उनको आई0जी0 पुलिस लगा दिया जाये ज्यादा बेटर है। (हंसी)

Chaudhri Chand Ram: He is the best Police Officer.

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या वजीर साहब बतायेगें कि जब से यह वाइस-चांसलर आये है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिस्पलिन और इन्तजाम बहुत अच्छा है या नहीं?

श्री माडू सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा डिस्पलंड यूनिवर्सिटी है।

चौधरी चांद राम: क्या यह हकीकत है कि वहां पर एक लड़की मिस गुप्ता को, जो रिसर्च पढ़ रही थी, बगैर किसी बात के बगैर नोटिस के, होस्टल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया?

श्री अध्यक्ष: यह सप्लीमेंट्री इस क्वै चन एराइज नहीं होता है A

चौधरी रामलाल वधवा: क्या वजीर साहब बतायेगें कि इस वाइस-चांसलर की टर्म में कितने लड़के ऐक्सपैल हुये और कितने ब्लैकलिस्ट हुये?

Mr. Speaker: Order please. Not a supplementary to this question. The question was about the terms, conditions and qualifications of the Vice-Chancellor.

Supply of Canal Water

***1227. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State-

(a) whether full water supply is being made to the canals in the state;

(b) if not, the extent of shortage of water supply being made to the Western Jamuna Canal System.

(c) Whether there is any likelihood to meet this shortage during the current Rabi Season; and

(d) whether the outlets of Nardak Distributary of the Western Jamuna Canal system are likely to be remodelled, if so, by which time?

सिंचाई एवं विद्युत राज्य मंत्री(सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा):

(क) जी नहीं।

(ख) रबी 1974-75 के दौरान 7-1-1975 तक लगभग 32000 क्यूसिक दिनों की कमी थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) अभी तक नरदक डिस्ट्रिब्यूटरी सिस्टम के मोघों को रिमॉडल करने की कोई योजना नहीं है।

चौधरी िाव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेगें कि उन्होंने कहा कि रबी की फसलमें पानी बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो फिर पैदावार पूरी होने को कैसे आा की जा सकती है?

सरदार हरमोन्द्रि सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, जमुना दरिया के ऊपर कोई डैम नहीं है। जितना पानी उस में ऊपर से आता है, वह दे रहे है। इन-एीान आगुमैंटेान टयुबवैल्ज इस साल पिछले साल से एक महीना पहले चलाये थे ताकि ज्यादा पानी मिल सके। तो जमना में जितना पानी आता है वह देते है, कोई स्टोर वो वहां है नहीं कि उससे निकालकर देदें। पिछले साल भाखड़ा में पानी ज्यादा था और वहां से पांच-छः हजार क्यूसिक्स जमना साईड में कन्वर्ट कर दिया था ताकि ज्यादा पानी मिले।

चौधरी चांद राम: क्या वजरी साहब बतायेगें कि उन्होंने कहा कि उस पर डैम नही है तो यह डैम किसने बनाना है?

सरदार हरमोन्द्र सिंह चट्ठा: इस डैम के बारे में पहले भी बात आई थी। यह सैन्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। यह डैम हरियाणा और यूपी0 का सांझा बनना है, इसलिए इस बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी डिस्सीजन देना है।

चौधरी पीर चन्द: क्या वजीरसाहब बतायेंगे कि पिछले साल के मुकाबले में इसमें साल पानी ज्यादा दिया जायेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, फिर वही बात आई है। जमना में जितना पानी उपर से आएगा, उतना ही दिया जायेगा।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पानी का भार्टेज होने के कारण फसल कम होने का सरकार का क्या अनुमान है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अगर परमात्मा ने बारि 1 एक-आध ओर कर दी तो फसल ज्यादा हो जायेगी।

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने पार्ट 'डी' का जवाब दिया है कि नरदक डिस्ट्रिब्यूटरी सिस्टम के मोघों को री-माडल नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इन में बहुत कम पानी निकलता है, अगर मोघे री-मॉडलिंग किये बिना रहगये और किसान को पूरा पानी नहीं मिला तो यह किसान के साथ न्याय नहीं होगा? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मेरे गांव में भी जो एक छोटा मोघा है और जो पूरा पानी नहीं दे

रहा है, उसको री-माडल क्यों नहीं किया जा रहा, सरकार को ऐसा करने में क्या रूकावट है?

सरदार हरमोन्द्रि सिंह चट्ठा: जब चकबन्दी हुई थी तो उस वक्त ये मोघे ठीक किये गये थे। अगर आनरेबल मैम्बर किसी पार्टिकुलर मोघे की बात करते हैं कि उसमें पूरा पानी नहीं आता तो उसको एग्जामिन कर लेंगे। नारमली अगर एक आदमी चाहे कि मेरा मोघा इधर से उधर फिफ्ट कर दें उधर से इधर फिफ्ट कर दें, वह हम नहीं करेंगे। जो कानून की बात है वह कानून के मुताबिक ही होगी।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रबी सीजन में आगुमैटे इन कैलान से और वैस्टर्न जमना कैलान से कितना-कितना पानी मिला है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: डैफिनिट नहीं कह सकते, लेकिन हम ज्यादातर आगुमैटै इन नहर ही चलाते हैं। इसमें जितना पानी आता है वह डाइवर्ट कर देते हैं।

श्री धजा राम: क्या यह हकीकत है कि हांसी ब्रांच और सुन्दर ब्रांच में 1 अप्रैल से 40 परसेंट कट लगाई जा रही है, अगर ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं?

सरदार हरमोन्द्रि सिंह चट्ठा: कोई स्पैशल कट लगाने की सम्भावना नहीं है और न ही हमने अन्दाजा लगाया है

कि किस वसाईड पर सपै गल कट लगेगा। जो कपैसिटी फिक्सड है प्वांयट 9 की, उसके मुताबिक पानी देते है।

चौधरी ि तव राम वर्मा: स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमना कैनल को आगुमेंट करने के लिये जो आगुमेंटे इन नहर बनाई गई है, उस में जमीन से पानी निकाल कर डाला जाता है लेकिन जो हमारे पास फालतू पानी बढ़ा है, उसको वैस्टर्न जमना कैनल सिस्टम में क्यों नहीं डाला जाता और इस तरह से पानी क्यों नहीं बढ़ाया जाता?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): आज कल ताजेवाला हैड से जो हमें पानी मिलता है वह 34-35 सौ क्यूसिक के करीब है और मुनकपुर में जो पानी पहुंचता है वह 4000 क्यूसिक के लगभग है। कुल मिलाकर हजार या आठ सौ क्यूसिक पानी मूनकपूर में जाकर, बढ़ जाता है, यह आगुमेंटे इन कैनल के द्वारा बढ़ा है। हमारे पास इससे ज्यादा साधन नहीं है जिससे ज्यादा पानी बढ़ाया जा सके।

चौधरी चांद राम: जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि जमना पर डैम बनाने के लिए सरकार भारत सरकार से पिछले सात सालों से बातचीत कर रही है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह बातचीत क्यों मुकम्मल होने में नहीं आती?

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): 15-20 साल हो गये है बातचीत करते हुये क्या करें, ये 7 साल से बता रहे है?

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि सुन्दर ब्रांच के हैड पर 64 परसेंट इरीगे टन है और टेल पर 6 या 7 परसेंट? अगर ऐसा है तो इस डिस्पैरिटी को कैसे दूर किया जाए?

श्री बनारसी दास गुप्त: यह प्र न इससे पैदा नहीं होता, आप इसके लिये अलग नोटिस दें।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि वैस्टर्न जमना कैनल के पानी को कितने ग्रुप बनाकर तकसीम किया जा रहा है?

श्री बनारसी दास गुप्त: वैस्टर्न जमनाके दो ग्रुप है - एक दिल्ली ग्रुप और एक हांसी ग्रुप। हांसी ग्रुप की आगें दो ब्रांचे है - एक हांसी ब्रांच , एक सुन्दर ब्रांच। इसी प्रकार दिल्ली ग्रुप में एक भलोट-सब ब्रांच और दिल्ली ब्रांच है।

चौधरी िव राम वर्मा: स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमना के उपर बांध बनाने की बात थी लेकिन अब वह पुरानी हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की ओर से बांध बनाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे है।

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, सैन्ट्रल गवर्नमेंट पर इस बात का प्रै ार डालते आये है कि किसानों के डैम को जल्दी

बनाया जाये लेकिन अब यह डैम किसानों में नहीं बन सकेगा क्योंकि अरस्टवाइल पंजाब गवर्नमेंट ने इस में इन्ड्रैस्ट नहीं लिया। पहले जो किसान डैम की साईट थी उसके थोड़ा नीचे यू0पी0 वालों ने हाईड्रोलिक प्लांट बिजली का लगा लिया है और जो पहला किसान डैम था वहां तक कैचमेंट एरिया डैम का हो गया है। अब तो दो चार मील उपर जाएगा, नये सिरे से छानबीन होगी। यह हमारे आने से पहले का है जिस वक्त ये करणधार थे।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि कब तक इसकी आगाही की जा सकती है कि इस पर काम शुरू हो जाएगा?

चौधरी बंसी लाल: यह मैं नहीं बतला सकता।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, इन्होंने कहा के ये करणधार थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हरियाणा प्रान्त पंजाब प्रान्त से अलग बना था उस वक्त से लेकर, हरियाणा बनने के बाद चौधरी बंसी लाल ने क्या काम किया है?

Mr. Speaker: Not a supplementary to this question.

चौधरी बंसी लाल: हरियाणा बनने के बाद, मेरे आने के बाद सवा तीन हजार क्यूबिक पानी अपने रिसोर्सिज से ज्यादा एड कर दिया, मैं यह कर दिया।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेगे कि जो पानी बढ़ा है वह भायद आगुमेंटे इन ट्यूबवैल्ज लगने से बढ़ा होगा लेकिन इसका जो असर किसानों पर पड़ा है, जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है?

चौधरी बंसी लाल: पर्टिकुलर ट्यूबवैल पर या, पर्टिकुलर किसान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ अर्से के बाद जब 10 साल या 20 साल हो जाते हैं तो पानी थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है। फिर जब बारिश हो जाये तो री-चार्ज हो जाता है।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जमना पर डैम बनाने के लिए हरियाणा बनने के बाद सरकार ने क्या काम किया है?

चौधरी बंसी लाल: जब आनरेबल मॅबर जवाब को समझते ही नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं। मैं इसका जवाब क्या दूँ?

चौधरी चांद राम: क्या वजीरे सिंचाई बतायेगे कि जो आगुमेंटे इन ट्यूबवैल बन गये हैं उन की वजह से प्राईवेट ट्यूबवैलों पर जो असर पड़ा है उस को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम कठाए है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्षमहोदय, कई बार हाउस में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आगुमेंटे इन ट्यूबवैल बनने से

प्राइवेट ट्यूबवैलों पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है, कुछ मामूली ट्यूबवैल है जिन पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है। अधिक प्रभाव इस लिये पड़ा है कि कई साल से ड्राई—साइकल चल रही है जिससे जमीन में पानी री—चार्ज नहीं हो रहा।

Mr. Speaker: the hon. Minister had stated this in the House earlier also.

चौधरी चांद राम: जो थोड़ा बहुत असर पड़ा है, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है?

Mr. Speaker: This has also been replied.

चौधरी चांद राम: एक्सपर्ट्स की इस बारे में रिपोर्ट है, जब तक वह रिपोर्ट हाउस में डिस्कान के लिए नहीं आयेगी तब तक सैटिस्फैक्टिवान नहीं हो सकती। इस पर हाफ एन आवर डिस्कान हो सकती है।

Mr. Speaker: When a question has already been replied in this House, how can I allow it to be asked again?

चौधरी राम प्रताप: क्या मुख्य मंत्री बतायेगे कि 9 महीने की सरकार ने, जब राव बीरेन्द्र सिंह की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी चान्द राम थे, उन्होंने 9 महीने में क्या काम किया?

Mr. Speaker: Order please. Not a supplementary to this question.

चौधरी बंसी लाल: चौधरी चान्द राम का तो राव बीरेन्द्र सिंह ने अबो र्नि कर दिया था चार—साढ़े महीने के बाद ही.....
(हंसी)

चौधरी चांद राम: मैं तो तीन महीने रहा और खुद ही निकला था। तीन महीने के बाद खुद ही निकला था। मेरे को इन्वाईट किया गया लेकिन मैं नहीं गया। मैं केवल तीन महीने रहा.....(गोर)

श्री अमर सिंह: क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेगें कि अबो र्नि होस्पिटल में हुआ था या प्राईवेट तौर पर करवाया गया था?

चौधरी बंसी लाल: उसके बाद ऐसा हुआ कि राव बीरेन्द्र सिंह गवर्नर के पास गये ओर वहां इस्तीफा दिया। अस्तीफा देकर फिर ओथ लेकर आ गये। दोबारा आए तो ये दफ्तर में बैठे कागल निकाल रहे थे.....(हंसी) अबो र्नि माल को फौरन ही फैंका जाता है.....(हंसी व भाोर)

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, चौधरी चांद राम की तरफ से सप्लीमेंटरी है कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब ऐसी बात करेगें?.....(व्यवधान तथा भाोर).....

चौधरी बंसी लाल: चौधरी दल सिंह जी अगर अ योरेंस चाहते है तो मैं यह दूंगा नहीं क्योंकि यह समझते है कि चौधरी चान्द राम जी को छोड़कर ये भाग जाये। यह उनकी आपस की बात है, मैं झगड़े में क्यों पडूँ?

चौधरी चांद राम: मैं छोड़ कर या भाग कर आप के पास तो आ नहीं सकता।

चौधरी बंसी लाल: मैंने तो दरवाजे बन्द कर रखे है(हंसी)..... मैं दरवाजे खोलूँ तब ये आ सकेगें ऐसे नहीं.....
(हंसी)

Mr. Speaker: No discussion now, Next question please.

Amount spent on Construction of Roads.

***1259. Chaudhri Prabhu Ram:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the year-wise total amount spent on construction of roads during the period from May, 1968, to 31st December, 1974 and

(b) the year-wise total length of the roads, in kilometers constructed during the period as referred to in part (a) above?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma)

(a)		
1	May 1968 to 3/69	243.00 Lakhs
2	1969-70	579.00 Lakhs
3	1970-71	1200.00 Lakhs
4	1971-72	2200.00 Lakhs
5	1972-73	1080.00 Lakhs
6	1973-74	640.00 Lakhs
7	1974-75(upto 11/74 (figures for 12/74 have not yet been finalised	214.00 Lakhs
	Total	6156.00 Lakhs
(b)		
1	May 1968 to 3/69	350 Kms.
2	1969-70	670 Kms.
3	1970-71	2010 Kms.
4	1971-72	3292 Kms.
5	1972-73	1150 Kms.
6	1973-74	608 Kms.
7	1974-75 upto	140 Kms.

	11/74	
	Total	8420 Kms.

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेगें कि अब तक कितने परसैंट गांव रोड्ज से लिंक किये गये है? क्या यह भी बताने की कृपा करेगें कि गवर्नमेंट ने जो सौ फीसदी गांव रोड्ज से लिंक कर देने का दावा किया था उस बीच में क्यों छोड़ दिया गया?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, the Government have so far linked about 64% villages in the whole of the State with link roads. The Chief Minister had no doubt made a statement that all the villages will be connected by link roads by 26th January, 1973 but for paucity of funds the progress has been slowed down.

Chief Minister(Chaudhri Bansi Lal): Progress was slowed down at that time not because of paucity of funds but we changed the priority to irrigation and power. We spent Rs. 61.56 crores in about five years on the roads and then the same amount was transferred to irrigation and power side. That was given priority.

चौधरी फूल चन्द(मुलाना): क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि इन सड़को में से कितनी सड़कें ऐसी है जिन पर कलवर्टस नहीं बने और सब गांवों को कब तक रोड्ज से जोड़ दिया जायेगा?

Pandit Chiranji Lal Sharma: So far as connecting of all villages with roads is concerned, it all depends upon availability of funds and no specific date can be given. So far as construction of culverts is concerned, it is being given priority on roads connected with villages. Regarding the exact number of culverts constructed, this information cannot be given. If the hon. Member is particular, he may give a notice and I will collect the information.

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी बताया है कि 1968 से 1974 तक कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी हैं। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी रोड्स भी उनके नोटिस में हैं जहां मैटीरियल तो पड़ा हुआ है लेकिन वे अधूरी पड़ी हुई हैं?

Pandit Chiranji Lal Sharma: There are very many roads all over the State which are incomplete. On some of them only earthwork has been done, on some of them soling has been done while on other partly soling has been done and partly metalling has been done. We do have notice of it and we are trying to consolidate such roads which are lying scattered that way.

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय के इल्म में है कि जो सड़कें इन्होंने बनाई हैं उनके बीच में कहीं एक किलोमीटर कहीं आधा किलोमीटर और कहीं दो सौ मीटर के गैप्स पड़े हैं और उनकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ है? क्या वे

बताने की कृपा करेंगे कि बीच में जो गैप्स रह गये हैं उनको बनाने का भीघ्न प्रयत्न करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Certainly, Sir, we have notice of this fact that there are gaps. Some are due to protracted litigation because of writs about acquisition of land. Government will certainly give priority to the construction of such gaps.

चौधरी दल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70 से लेकर आज तक जो-जो सड़कें बनाई गई हैं, उनको पहले ही कंप्लीट क्यों नहीं किया गया और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ कर क्यों उनको आगे बनाते गये? क्या कारण है कि बहुत सी सड़कें आज इनकंप्लीट पड़ी हैं?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, there was a crash programme. There was a provision of Rs. 92 crores for the whole of the State. As the Chief Minister has announced we laid stress on water, irrigation and power and, therefore, the purpose was left incomplete. These will be completed in due course as and when funds are available.

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि जंहा मैटीरियल पड़ा हुआ है और ड्रॉट एरिया भी है वहां प्रायोरिटी देने का विचार है?

Pandit Chiranji Lal Sharma: I have already submitted that where soling has been done and material is lying we will try to consolidate such roads.

श्री अध्यक्ष: इंगिल 1 में जवाब देते हो इसलिए उनकी समझ में नहीं आता।

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब के नोटिस में यह बात है कि कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां एक सड़क से तो एक प्वायंट से दूसरे प्वायंट का फासला केवल 11 मील का है लेकिन दूसरे पक्के रोड़ से फासला 55 मील का है। एक आध मील के गैप की वजह से यह इतना चक्कर पड़ता है। मिसाल के तौर पर रादौर मुस्तफाबाद को ही ले लें। वह गन्ना प्रोड्यूसिंग एरिया भी है। तो क्या मिनिस्टर साहब उस रोड़ को पूरा करने की कृपा करेंगे?

पंडित चिंरजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, आनरेबल मेंबर का क्वै चन जो है वह रादौर मुस्तफाबाद और लाडवा मुस्तफाबाद रोड़ के बारे में है। मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था। वे भायद उस वक्त तारीफ नहीं फरमा रहे थे। स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि ऐसी-ऐसी जगहों की जो सड़कें हैं अगर उन्हें कंप्लीट कर दिया जाये तो खासा रिलीफ लोगों को मिल सकता है लेकिन दिक्कत यह है कि वे डुप्लीकेट लिंक रोड़ज हैं। जहां वे एक तरफ एक गांव से एक रोड़ से कनेक्टिड हैं। तो ज्यों ही फंडज अवेलेबल होंगे ऐसी सड़कों को कंप्लीट करने में हम प्रायोरिटी देंगे।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि जहां सड़कों पर मिट्टी का काम हो चुका है, पुलियां बन चुकी हैं, सोलिंग हो चुकी हैं और मैटीरियल वहां पड़ा हुआ है, सिर्फ पत्थर उपर डालकर इंजन चलाना है, ऐसी सड़कों को प्रायरिटी देंगे? इसी तरह की एक सड़क किरमच और दूसरी बहनी खुर्द के पास से गई है लेकिन वहां जाकर वह रुक गई है। एक लगभग तीन किलोमीटर और दूसरा आधा मील का टुकड़ा है। इसके न बनने से अगले गांव वालों को बड़ी तकलीफ है। क्या मिनिस्टर साहब उसे बनवाने की कृपा करेंगे?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, जिस सड़क पर सोलिंग हुई हो और कंप्लीट स्टोन मैटल पड़ा है, उसको कंसोलिडेट करने में हम प्रायरिटी देंगे। जहां तक बहनी खुर्दवाली रोड का सम्बन्ध है मुझे पता नहीं कि क्यों वह आधे मील का टुकड़ा ना-मुकम्मल पड़ा है। इसका कोई कारण होगा। I will examine it.

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों के अगेन्सअ मार्किट कमेटी ने, भांगर केन सोसाइटीज ने ओर विलेजर्ज ने अपना भोयर दाखिल किया हो लेकिन सड़कें कई साल से अधूरी पड़ी हों, उनको प्रायरिटी देंगे?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, पहले मार्किटिंग कमेटी की सड़कों के लिए स्पैशल अमाउंट ड्रैयरमार्क होता था लेकिन अब वह मार्किटिंग कमेटी का पैसा कंसोलिडेटिड

फंड में चला जाता है। अगर आनरेबल मैनबर किसी स्पैसिफिक रोड के बारे में इन्फार्मेशन चाहते हैं जिसके लिए मार्किटिंग कमेटी या भुगरकेन कमेटी ने पैसा दे रखा हो तो उसके बारे में ये अलग से नोटिस दे दें, I will get the information.

चौधरी मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, छूछकवास से झज्जर रोड साढ़े चार मील तो बन चुकी है लेकिन दो अढाई मील के करीब बाकी है ओरयह तीन साल से इसी तरक पड़ी हुई है। क्या मिनिस्टर साहब उसे जन्दी तामीर करवाने की कृपा करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: It all depends upon the availability of funds. I am not in a position to give categorical assurances as to when these will be completed.

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, घमाना से तो गाम बाया रतेरा एक ऐसी सड़क है जो पुरानी बिच्छु रोड़ी से बनी हुई है। बहुत थोड़ा पैसा उस पर खर्च करना पड़ेगा। वह फ़ैमिन एरिया में भी है। क्या मिनिस्टर साहब उसे लज्दी बनवाने की कृपा करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: This supplementary does not arise out of this question.

चौधरी चांद राम: मिनिस्टर साहब को यह इल्म है कि यह जो स्टेटमेंट सी०एम० की वे बताते हैं यह सी०एम० की स्टेटमेंट नहीं थी बल्कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और बजट स्पीच में यह बात थी कि 100 परसैंट गांव रोड्ज से लिंक कर दिये जाएंगे। लेकिन बाद में वह प्रायरिटी चेंज कर दी गई।

तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह प्रायरिटी तो नहीं बदल जाएगी जैसे कि वह प्रायरिटी बदल गई थी?

Chaudhri Chand Ram: That becomes the decision of the House.

Pandit Chiranji Lal Sharma: No. the Governor's Address does not become the decision of the House. That reflects the policy of the Government which can change depending upon the circumstances.

Mr. Speaker: Next question.

Loans Sanctioned by the Haryana Financial Corporation

***1269. Dewan Hans Raj Suri:** Will the Minister for Industries be pleased to state the number of loans sanctioned by the Haryana Financial Corporation during the years 1973-74 and 1974-75 together with the number of loans which were disbursed?

Industries Minister (Shri Harpal Singh): The information is as under:-

Year	Sanctions		Disbursements		
	No. of Units	Amount Rs.	No. of Units	Amount Rs.	
					The 319 units in 1973-74 & 231 in 1974-75 to whom the loans were

					disbursed include partly disbursed cases also where part disbursements were made in the previous year
1973- 74	316	64247470	319	35080280	
1974- 75 Upto 31-12- 74	259	79915267	231	29978720	

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हरियाणा में जो वित्त निगम है और ऋण देती है, उसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए कितनी धन राशि सुरक्षित रखी गयी है ताकि वह भी इन्डस्ट्री के मैदान में आ सकें?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह फाइनैन्स ल कारपोरेट्स एक्ट के अन्डर बनायी गयी है। उसमें जो रूल्ज हैं या जो प्रोविजन हैं, उसके मुताबिक ही देते हैं।

चौधरी फूल चन्द(मुलाना): क्या वजीर साहब बतायेगें कि फाइनेन्स ल कारपोरे ान बनने के बाद हरिजनों को कितना लोन दिया गया है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यहां हाउस में हरिजनों के बारे में बार-बार बात की जाती है। मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि सारे हाउस में कोई भी मेंबर यह बताये कि किसी हरिजन ने लोन के लिए अप्लाई किया हो ओर उसको प्रैफरेंस न दिया गया हो। हम प्रैफरेंस देने के लिए तैयार है। हम चाहते है कि वे इन्डस्ट्री लगायें। कोई भी इनस्टान्स दें कि किसी भी हरिजन ने इन्डस्ट्री के लिए लोन लेना हो और न मिला हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, हम भी चाहते है कि इन्डस्ट्री में हरिजनों को भी ले आयें अप-लिफ्ट करे। अभी परसों ही मुख्यमंत्री महोदय ने कहाकि हम हरिजन मेंबरों की एक कमेटी बनाने जा रहे है। वह कमेटी इन सारी बातों को देखेगी। इस कमेटी में हमारे इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के अफसर भी होंगे और एम0एल0ए0 भी होंगे। जो यह कमेटी रिकमैन्डै ान गवर्नमेंट को देगी, उस पर हम फैसला करेगे।

चौधरी चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेगें कि अगर यह कारपोरे ान पार्लियामेंट के एक्ट के मातहत बनी हे तो उस कोई स्पैसिफिक रिजर्वे ान करने में बार है, कांस्टीच्यु ानल बार है?

श्री अध्यक्ष: अगर कोई एप्लीकेशन आयेगी तो ही लोन दिया जायेगा वे तो 'न' करने के लिए तैयार ही नहीं।

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): अलाटमेंट करने में फायदा क्या है, वे यह तो बतायें?

चौधरी चांद राम: अगर अलाटमेंट करेगें तो एक दो केस में मिलेगा भी।

चौधरी बंसी लाल: अभी आनरेबल मिनिस्टर ने एक बात कह दी कि किसी भी हरिजन ने एप्लाई नहीं किया। एप्लाई करेगा तो उसे प्रैफरेंस देगें। अलाटमेंट करना ओर न करने के माने क्या है, इससवाल के पूछने के माने क्या है, मैं यही नहीं समझा।

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब यहां वे वैसे ही भाोर मचा रहे है। सारी स्टेट में कोई भी कम्प्लैन्ट नहीं है कि किसी के साथ ठीक ट्रीटमेंट न हुआ हों।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि सन् 1973-74 में और सन् 1974-75 में कौन-सी यूनिट को सबसे ज्यादा लोन दिया गया?

श्री हरपाल सिंह: इस वक्त मैं नहीं बता सकता लेकिन मेंबर साहबान को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हमारी कारपोरेट्स ने जितना अच्छा काम किया है उतना अच्छा भाायद ही किसी स्टेट की कारपोरेट्स ने किया हों यह कारपोरेट्स ने सन

1967 में बनायी गई थी। इस साल जो हमें प्रोफिट हुआ वह 1591957 रूपये हुआ। सन 1968-69 में 17 लाख 82 हजार 827 रूपये का हुआ। सन 1969-70 में 2137005 रूपये का हुआ। सन 1970-71 में 2025225 रूपये के करीब हुआ। सन 1971-72 में 2320332 रूपये हुआ। सन 1972-73 में 2722835 रूपये हुआ और सन 1973-74 में 4077493 रूपये हुआ।

चौधरी बंसी लाल: एक एडी अनल बात ओर बताऊं। कई सालों से इस कारपोरे अन का मैनेजिंग-डायरेक्टर भी हरिजन है।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हम हरिजनों को उद्योगों की तरफ ले जाना चाहते हैं तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि हरिजनों को उद्योगों की तरफ ले जाने के लिए, उनका उधार ध्यान खींचने के लिए उन्हें क्या-क्या आकर्षण दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: अभी-अभी उन्होंने कहा था कि कमेटी बनायी जायेगी। उसमें एम0एल0ए0 और इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के अफसर भी होंगे। वह कमेटी डिपार्टमेंट को रिकमेंडे न करेगी।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा में जो इन्डस्ट्री का बढ़ावा हुआ है, इसमें फाइनेन्सियल कारपोरे अन का कितना हाथ है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हरियाणा फाइनेन्सल कारपोरेट्स में गवर्नमेंट का सिर्फ 66 लाख 51 हजार रुपये का भोयर है बाकी पैसा फाइनेन्सल इन्स्टीच्युट्स से लोन लेती है। अब तक कोई 15 करोड 77 लाख 23 हजार 980 रुपये इन्डस्ट्रीयल यूनिट लगाने के लिए लोन दिया गया है।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि जो फाइनेन्सल कारपोरेट्स सैन्ट्रल एजेन्सी से लोन लेती है, उसका सूद क्या है और जो फाइनेन्सल कारपोरेट्स देती है, उसका सूद क्या है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फाइनेन्सल कारपोरेट्स बैंकवर्ड एरियाज में नौ परसेन्ट पर दे रही है ओर दूसरे एरियाज में 11 परसेन्ट पर पैसा दे रही है। नौ परसेन्ट से 11 परसेन्ट पर पैसा दे रही है।

श्री हरि सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि रोहतक में जो चमड़े की फैक्टरी चौधरी चांद राम जी ने लगवाई हुई है वह बन्द क्यों पड़ी है? वह लोन कंहा से लिया गया है?.....(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेगें कि किसी इन्डस्ट्रीयल यूनिट को लोन सैव इन करने का क्या काइटेरिया है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, पहले एप्लाई करना पड़ता है। जहां पर उसने इन्डस्ट्री लगानी हो, वह बताकर उसको फाइनेन्सल कारपोरेट को एप्लाई करना पड़ता है। कारपोरेट को टेक्नीकल आदमी चेक करते हैं कि क्या यह जो स्कीम है यह ठीक है, इसकी वायबिलिटी है या नहीं। दूसरे यह भी देखते हैं कि जमीन का टाइटल क्लीयर है या नहीं। ये सब बातें देख कर लोन देते हैं।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब पहली बात तो यह है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वित्त निगम ने जो लोन दिया है उसमें ऐसे केसिज कितने हैं जो डिफाल्टर हो गये हों, जिन का लोन वापिस नहीं हो सकता है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह खुशी की बात है कि कोई भी हमारा बैड डैट नहीं है। सारा कर्जा वापिस हो रहा है।

Hospitals in the State

***1277. Shri Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the total number of mobile hospitals in the state together with the number of allopathic and Ayurvedic Hospitals, separately out of them. and

(b) the number of other hospitals besides the special dental clinics in the state where the services of Dental specialists are available?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री(श्रीमती भारदा रानी): (क) राज्य में केवल एक ही चलता फिरता ऐलोपैथिक हस्पताल है।

(ख) अलग से कोई भी विशेष सरकारी डैन्टल क्लीनिक्स स्थित नहीं है। ये हस्पतालों के ही अंग हैं। ऐसी क्लीनिक्स 37 सरकारी हस्पतालों में स्थित हैं।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेगी कि मोरनी हिल्ज में जो पहले मोबाइल डिस्पेंसरी चालू करने की स्कीम थी, वह कब तक चालू हो जायेगी?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, मोरनी हिल्ज में बड़ी अच्छी स्थिर डिस्पेंसरी बन गयी है। अब वहां पर मोबाइल डिस्पेंसरी बनाने की कोई योजना नहीं है।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि सन 1975-76 के साल में कितनी आयुर्वेदिक ओर कितनी ऐलोपैथिक डिस्पेंसरीयां खोलने का विचार है?

श्रीमती भारदा रानी: कोई भी नहीं।

चौधरी पीर चन्द: मेरे हल्के में हसनगढ़ गांव है वहां पर हस्पताल की बिल्डिंग भी है, क्या वहां पर डिस्पेंसरी खोलने का विचार है?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, यह क्वै चन मोबाइल हास्पिटल और डैन्टल क्लीनिक से ताल्लुक रखता है। इन दानों के बारे में कोई भी चीज पूछ लें।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेगीं कि जीन्द में डैन्टल सर्जन कई महीनों से क्यों नहीं है? क्या वहां पर डाक्टर भेजने की तजवीज है ओर अगर है तो कब तक है?

श्रीमती भारदा रानी: हमारी सूचना तो यह है कि जीन्द में डैन्टल सर्जन है।

चौधरी दल सिंह: सूचना गलत है।

श्रीमती भारदा रानी: वह छुट्टी चला गया होगा!.....
(हंसी)

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेगीं कि झज्जर में डैन्टल सर्जन नहीं है, वहां पर कब तक भेजन का विचार है?

श्रीमती भारदा रानी: झज्जर में डैन्टल सरजन नहीं है यह हमारे नोटिस में है। वहां जल्दी ही भिजवाने की कोिा करेगें।

श्री ओम प्रकाा गर्ग: क्या मंत्री कहोदया यह फरमायेगी कि अगर जींद में कोई डैन्टल सर्जन नहीं है तो चौधरी

दल सिंह जी के दांत किसी और जगह कढ़वा दिये जायेंगे?
(हंसी).....

श्रीमती भारदा रानी: हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर बहुत से ऐसे हास्पिटलज है जहां पर दांत निलवाने का इन्तजाम है। 37 हास्पिटलज में ऐसा प्रबन्ध है। उनमें से किसी में भी चौधरी दल सिंह दांत निकलवा सकते है।

चौधरी िव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जो चलता फिरता ऐलापैथिक हस्पताल है, उसमें डैन्टल क्लीनिक भी जोड़ दिया जायेगा?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, यह जो क्वै चन था, यह चलते-फिरते अस्पताल के बारे में था। एक चलते-फिरते अस्पताल के अलावा हमारे पास तीन चलती-फिरती डिस्पेंसरियां भी है। लेकिन न ही चलते फिरते अस्पताल में और न ही इन चलती-फिरती डिस्पेंसरियों में डैन्टल क्लीनिक है।(व्यवधान व भाोर).....

श्री अमर सिंह: क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिबा यह बतायेगी कि 31 दिसम्बर, 1974 तक इस मोबाइल हास्पिटल में कितने पे िन्ट्स का इलाज किया गया?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, मोबाइल हास्पिटल के तो कैम्पस लगते है। मोबाइल डिस्पेंसरियों में कितने पे िन्ट्स आये, यह फिगर्ज मेरे पास है। कैम्पस में कितने मरीजों का इलाज

हुआ, यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन मोबाइल हास्पिटल की ओर से बहुत ज्यादा कैम्प लगाये गये है।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, इन कैम्पों में 30-31 हजार पे िन्ट्स हरेक कैम्प में आये है। किसी एक आध मे कम या ज्यादा हो सकते है वरना इन कैम्पस में 30 ओर 32 हजार पे िन्टस की रेंज रही है।

**Smoking and Taking of tea in government Offices and
Schools**

***1132. Shri K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to prohibit smoking and taking of tea in Government offices and schools in the State during their working hours; and

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):

(a) Smoking is already prohibited in schools in the State during working hours. There is, however, no proposal under consideration of the government to prohibit taking of tea in the deration of the Government to prohibit taking of tea in the offices of the Government and schools in the state during working hours.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

चौधरी िव राम वर्मा: मुख्य मंत्री महोदय यह बतायेगे कि कम से कम स्कूलों में क्या वे हुक्का, बीड़ी या सिगरेट रोकने पर विचार करेंगे?

चौधरी बंसी लाल: इसका तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि स्कूलों में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है।

श्री के०एन०गुलाटी०: स्पीकर साहब, इसमें भाक नहीं कि दफ्तरों में काम सैटिसफैक्टरी होता है लेकिन दफ्तरों के अन्दर ज्यादा प्रोग्रेसिव काम चलाने के लिये क्या वे इस बात पर विचार करेंगे? इससे ऐम्पलाईज का अन-नेसैसरी पैसा जाया होता है जब वे किसी को चाय पिलाते हैं या सिगरेट पेा करते हैं। जब मिनिस्ट्रों के पास लोग जाते हैं तो वे भी चाय पिलाते हैं। इसलिये मिनिस्ट्रों का ओर ऐम्पलाईज का पैसा बचाने के लिये ओर दफ्तरों का और ज्यादा प्रोग्रेसिव काम चलाने के लिये अगरअब तक कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है तो आईन्दा के लिये इस पर विचार करेंगे?

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, अगर ऐम्पलाईज अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो चाय न पीयें। जबरदस्ती तो उनको कोई पिलाता नहीं है।

Possession of Residential Plots

***1213. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state-

(a) whether the possession of residential plots has been given in secto 19 and 21 at Faridabad to those persons who have paid full amount for the same; and

(b) if not, the reasons, therefor together with the time by which the possession is likely to be given to them?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand):

(a) No.

(b) The possession of the plots could not be given because the demarcation work is still in hand. It will be given soon after completion of demarcation.

चौधरी राम लाल वधवा: मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात ठीक है कि लोगों से पैसे लिये हुये तीन-तीन साल हो गये है लेकिन उन्हे अब तक प्लाटस का कब्जा नहीं दिया गया? ये मिडल क्लास के लोग है जिन्होने पैसे भरे हुये है, इस बात को देखते हुये इनको कब तक पोजै ान दे देंगे?

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, जिन लोगों की जमीन थी , वे लोग हाई-कोर्ट गये हुये है। अभी कई केसिज में फैसला नहीं हुआ है। वहां से फैसला होने के बाद दे देंगे।

***1215. Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) whether the lining work of Sunder Sub-Branch has been started;

(b) if so, whether Gau Ghats for the cattle have been constructed at appropriate places; and

(c) the number and names of places where the 'Ghats' as referred to in part(b) above have been constructed?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Yes, in reach at RDO-16137.

(b) Not yet.

(c) Question does not arise in view of (b) above.

Karnal Co-operative Sugar Mill

***1228. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the construction of Karnal Co-operative Sugar Mill has been started;

(b) if so, since when togetherwith the progress made in the said work;

(c) the time by which the machinery of the said mill is likely to be set up;

(d) the total estimated expenditure that is likely to be incurred on this mill till it starts working to its full capacity; and

(e) whether the arrangement to provide the said amount has been made?

सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान):

(ए) हां।

(बी) 21 नवम्बर, 1974 से। जहां तक प्रगति का सम्बन्ध है विवरण विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत है।

(सी) सप्लायर्ज के साथ एग्रीमेंट अनुसार चीनी मिल 30 नवम्बर, 1976 तक पूर्ण हो जायेगी।

(डी) लगभग 525 लाख रूपये।

(ई) प्रबन्ध किया जा रहा है।

विवर्णिका

अभी तक निर्माण कार्य में निम्नलिखित प्रगति हुई है:—

1. जनरल स्टोर ओर वर्क हाउस की खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया है।

2. जनरल स्टोरे और वर्क हाप की बुनियाद में चूने का मसाला पूरा हो गया है।

3. चीनी गोडाउन के कालम की खुदाई पूर्ण हो गई है।

4. चीनी गोडाउन की बुनियाद में चूने का मसाला पूर्ण हो गया है।

5. जनरल स्टोर की बुनियाद ओर नींव का ईंटों का कार्य पूर्ण हो गया है।

6. फ़ैक्टरी बिल्डिंग की नींव की खुदाई आरम्भ हो चुकी है।

चौधरी शिव राम वर्मा: मंत्री महोदय ने यह कहा है कि रूपये का प्रबन्ध किया जा रहा है, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक रूपये का प्रबन्ध हो जायेगा?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान: यह जल्दी ही हो जायेगा।

चौधरी शिव राम वर्मा: जल्दी का मतलब समझा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा?(व्यवधान).....

Chief Minister(Chaudhri Bansi Lal):- As soon as possible.

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: जल्दी का मतलब तो स्पष्ट कर दे?

चौधरी बंसी लाल: क्या ऐज सून एज पौसीबल से भी जल्दी (चीनी मिल) बनवाना चाहते हैं?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, फाइनेंसियल कारपोरेट्स एंड आफ इंडिया से हमारा लोन सैक एन हो चुका है और आज से कोई तीन-चार दिन पहले ही हमें स्वीकृति की चिट्ठी मिली है। इसलिये बहुत जल्दी ही पैसे का प्रबन्ध हो जायेगा।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, जवाब में यह बताया गया है कि इस मिल पर 525 लाख रुपये खर्च होगा, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मिल कितना गन्ना रोज पीड़ेगी और कितनी चीनी रोज तैयार होगी?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दोनों मिलों की अलग-अलग कैपैसिटी है। करनाल की 1400 टन प्रतिदिन और सोनीपत की 1200 टन प्रतिदिन कैपैसिटी होगी।

चौधरी चांद राम: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल लगाने के लिये जो मशीनरी खरीदनी है, वह खरीदी जा चुकी है और अगर खरीदी जा चुकी है तो कहां से खरीदी गयी है?

चौधरी चांद राम: यह मीनरी कौन सी है?

श्री बनारसी दास गुप्त: इन्डीजीनियस मीनरी है और गवर्नमेंट आफ इंडिया के पब्लिक सैक्टर में है।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब दोनों मिलों के चलने से चीनी भी बहुत ज्यादा पैदा होगी तो चीनी का रेट भी कुछ कम किया जायेगा?

श्री बनारसी दास गुप्त: चीनी का भाव तो गवर्नमेंट आफ इंडिया तय करती है।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, जींद के आस-पास मीठा पानी है, वहां पर कई हजार ट्यूबवैल लगे हुये है और साथ ही वैस्टर्न जमुना का पानी भी लगता है, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार जींद के अन्दर जो एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी है, कोई कोआप्रेटिव भुगर मिल लगाने के लिये विचार रखती है। अगर रखती है तो कब तक लगा देंगे?

श्री बनारसी दास गुप्त: फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। इन दोनों मिलों के बाद हमने पलवल में एक मिल लगाने के लिये ऐप्लाइ किया हुआ है। उसके बाद फिर दूसरी जगहों के लिये सोचेंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मीनरी खरीदते वक्त इस बात का ध्यान

रखा गया है कि प्राइवेट फर्मों में इससे भी सस्ती में गिनरी मिलती है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, इसके लिये बाकायदा टैन्डर इन्वाइट किये गये थे और जिसने लोएस्ट टैन्डर कोट किया, उससे यह गिनरी खरीदी जा रही है।

चौधरी चांद राम: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चीनी बैस्ट आइटम फार एक्सपोर्ट है और फारेन एक्सचेंज कमाती है, न केवल पलवल में बल्कि कुरुक्षेत्र में और हरियाणा के दूसरे ऐसे इलाकों में जहां पर गन्ना उत्पन्न होता है, मिल लगायी जायेगी? क्या ऐसी किसी तजवीज पर विचार करेंगे?

श्री बनारसी दास गुप्त: जैसे मैंने अभी निवेदन किया है कि फिलहाल तो तीसरी मिल पलवल में लगाने का विचार है। उसके बाद देखेंगे और जैसी आवकता होगी, उसके लिये कार्यवाही करेंगे।

Amount Sanctioned to the Director, Public Instruction for furniture and library books etc.

***1236. Shri Amar Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total amount sanctioned by the Government to the Director Public Instruction for articles of furniture, library, art and crafts etc. year-wise from 1972 to date;

(b) the criteria, if any, adopted by the D.P.I. to purchase furniture, library books and stationery;

(c) whether any complaint was received by the Government regarding the purchase mentioned in part (a) above, if so, a copy of the complaint be laid on the Table of the House; and

(d) the district-wise total amount spent by the D.P.I. on furniture, exercise books?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री(श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) एक विवर्णिका सदन की टेबल पर प्रस्तुत है जिसमें वांछित जानकारी दी हुई है।

(ख) जब तक शिक्षा बजट ब्यौरा न दिया जाये, शिक्षा की प्रति विधान सभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

(ग) सरकार द्वारा अभ्यास पुस्तकों की खरीद पर कोई राशि खर्च नहीं की जाती है जिला-वाइज फर्नीचर की खरीद पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा एकत्र करने काफी समय तथा परिश्रम लगेगा और इससे कोई विशेष लाभ भी न होगा।

विवर्णिका

क.	वर्ष	कन्टीजैन्सी	फर्नीचर	लाईब्रेरी पुस्तकें	आर्ट तथा काफ्ट मैटीरियल

	1972-73	12.11	10.73	7.06	2.02
	1973-74	12.74	7.59	5.31	3.07
	1974-75	22.33	6.68	2.54	3.02

(ख) फर्नीचर की खरीद

जैसा कि पंजाब वित्त नियमावली वाल्यूम-II के परिशिष्ट 14 तथा 17 में निर्दिष्ट है, फर्नीचर की खरीद के लिए निम्नलिखित सूत्रों को प्राथमिकता दी है:-

1. जेल।
2. राजकीय उद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, राजकीय देहाती कला प्रशिक्षण केन्द्रों।
3. रेट कन्ट्रैक्ट फर्म।
4. नियंत्रक भण्डार, हरियाणा (केवल छोटी-छोटी खरीद को छोड़कर)
5. उपरोक्त चारों स्रोतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर स्थानीय खरीद।
6. विभिन्न-2 विभागीय कमेंटियों के माध्यम से।

पुस्तकों की खरीद

1. विद्यालय की लाईब्रेरी के लिए पुस्तकें

सामान्यतः इस विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें निदेशक विद्यालय स्तर पर सरकार द्वारा बताई गई बल्कि खरीद समिति के माध्यम से ही खरीदी जाती है।

2. जिला लाईब्रेरी

पुस्तकों की खरीद जिला लाईब्रेरी कमेटी द्वारा की जाती है। जिसमें प्रधान उपायुक्त होते हैं।

3. महाविद्यालय लाईब्रेरी

विभिन्न विषयों के मुख्यों की फारिष के आधार पर पुस्तकें प्राचार्यों द्वारा कोटेशन मंगवा कर खरीदी जाती है।

4. स्टेशनरी वस्तुओं की खरीद

स्टेशनरी वस्तुओं की खरीद नियन्त्रक लेखन तथा सामग्री विभाग द्वारा की जाती है। और फिर इसकी सप्लाय विभागों को की जाती है।

श्री अमर सिंह: आनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने अपने जवाब में बताया है कि 1972-73 में 10.73, 1973-74 में 7.59 लाख और 1974-75 में 6.68 लाख रूपये का फर्नीचर खरीद गया है और पार्ट 'बी' में यह भी बताया है कि जेल्ज, गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट ऑफ , फर्ज, कन्ट्रोलर आफ स्टोर्ज,

लोकल परचेल और थरू परचेल कमेटीज स्पै गीयली कांस्टीच्युटिड बाई दी डिपार्टमेंट से फर्नीचर परचेज किया गया है। क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिबा यह बतायेगी इसकी ब्रेक—अप क्या है यानी कितना फर्नीचर जेल्ज से, कितना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीच्यु गन्ज से और कितना थरू परचेज कमेटीज (स्पै गीली कांस्टीच्युटिड बाई दी डिपार्टमेंट) द्वारा परचेज किया गया है?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): स्पीकर साहब, इसकी अलग—अलग फिगरज तो नहीं दी जा सकती लेकिन मैं यह बता दूँ कि लोकल परचेज तब करते हैं जब हमें तीनों जगह से नान—अवेलेबिलिटी सर्टीफिकेट आ जाये कि हमारे पास फर्नीचर नहीं है।

चौधरी शिव राम वर्मा: मंत्री महोदया ने 'डी' के जवाब में बताया है कि जो परिश्रम लगेगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि परिश्रम से तो स्वास्थ्य अच्छा बनता है, वे परिश्रम से क्यों घबराती हैं? (हंसी)

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Buses with the Haryana Roadways

***1260. Chaudhri Prabhu Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) the total number of buses with the Haryana Roadways in the month of May, 1968 togetherwith the increase made therein upto the 31st December, 1974; and

(b) the percentage of increase made during the said period in the distance covered daily by the Haryana Raodways togetherwith the length of the distance as it was in the year 1968 and as it rose in the year 1974, separately?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह):

(क) मई, 1968 में हरियाणा राज्य परिवहन में बसों की संख्या 590 थी। 31 दिसम्बर, 1974 तक 1018 बसें और बढ़ाई गई।

(ख) मध्यमान प्रतिदिन तय की गई दूरी जो 1968 में 1.24 लाख किलोमीटर थी, से बढ़कर 1974 में 3.83 लाख किलोमीटर हो गई। यह वृद्धि 209 प्रति ात है।

Financial Aid under the State Aid to Industries Act

***1270. Dewan Hans Raj Suri:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the number of units to which financial aid has been given during the year 1974&75 under the State Aid to

Industries Act together with then number of such units five years ago; and

(b) the comparative figures of the amount of aid disbursed under the said Act for the years 1968 and 1974.

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह) :

	वर्ष	इकाईयों की संख्या
(क)	1974-75 (वित्तीय वर्ष) 1969-70 (वित्तीय वर्ष)	अब तक भुन्य 734
(ख)	-1968 (1-1-1968 से 31-12-1968 तक) -1974(1-1-1974 से 31-3-1974 तक)	रु0 2308150 रु0 2935550

X-Ray Facilities in Hospitals

*1278. **Shri Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the number of hospitals in the State where X-Ray facilities are available at present and whether there is any scheme under consideration of the Government to extend the same;

(b) if so, the time by which and the names of hospitals to which this facility is expected to be extended together with the district-wise names of hospitals where this facility is available so far; and

(c) whether the X-Ray facilities were available at the time of the formation of the State; if so, the names of the hospitals where it was available?

उद्योग मंत्री(श्री हरपाल सिंह):

(ए) 1.	सिविल हस्पताल	42
2.	ई.एस.आई. हस्पताल	3
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	12
4.	औषधालय	2
5.	टी.बी. क्लिनिक	6

2. लेकिन जब कभी और जहां कहीं एक्सरे सुविधा को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, एक्सरे मशीन दे दी जायेगी।

(बी) कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता।

विवरणी जिन स्थानों में एक्सरे की सुविधाएं दी गई हैं
सदन के पटल पर रखी जाती हैं।

(सी) हां, यह केवल 17 स्थानों पर उपलब्ध थी।

इन स्थानों की विवरणी जाहं पर एक्सरे सुविधाएं
उपलब्ध थी, सदन के पटल पर रखी जाती हैं।

ANNEXURE "A"

List of Institutions where X-Ray facilities are available in Haryana Hissar District

1. Civil Hospital, Hissar.
2. T.B. Hospital, Hissar.
3. Civil Hospital, Hansi.
4. Civil Hospital, Sirsa.
5. Civil Hospital, Tohana.
6. Civil Hospital, Dabwali.
7. Civil Hospital, Adampur.
8. Civil Hospital, Fatehabad.
9. Primary Health Centre, Odhan.
10. Primary Health Centre, Barwala.

Rohtak District

11. Civil Hospital, Rohtak.
12. T.B. Clinic, Rohtak.
13. Civil Hospital, Jhajjar.
14. Civil Hospital, Bahadurgarh.

Gurgaon District

15. Civil Hospital, Gurgaon.
16. Civil Hospital, Palwal.
17. Civil Dispensary, Hodel.
18. Civil Hospital, Ferozepur Jhirka.
19. Civil Hospital, Nuh.
20. T.B. Clinic, Gurgaon.
21. Primary Health Centre, Pataudi.
22. B.K. Hospital, Faridabad.
23. Primary Health Centre, Ballabgarh.
24. E.S.I. Hospital, Faridabad.

District Karnal

25. Civil Hospital, Karnal.
26. T.B. Clinic, Karnal.
27. Civil Hospital, Panipat.

28. P.H.C., Nilokheri.
29. E.S.I. Hospital, Panipat.

District Ambala

30. Civil Hospital, Ambala.
31. T.B. Hospital, Ambala City.
32. Civil Hospital, Jagadhri.
33. Civil Hospital, Kalka.
34. Civil Hospital, Naraingarh.
35. Civil Hospital, Yamuna Nagar.
36. P.H.C. , Sadhaura.
37. P.H.C., Rai Pur Rani.
38. Civil Hospital, Ambala Cantt.
39. E.S.I. Hospital, Yamuna Nagar.

District Narnaul

40. Civil Hospital, Narnaul
41. T.B. Clinic, Narnaul.
42. Civil Hospital, Mohindergarh.
43. Civil Hospital, Rewari.
44. P.H.C., Kanina.
45. P.H.C. , Bawal.

District Bhiwani

- 46. Civil Hospital, Bhiwani.
- 47. Civil Hospital, Loharu.
- 48. Civil Hospital, Tosham.
- 49. Civil Hospital, Dadri.
- 50. Mobile Dispensary, Bhiwani.

District Kurukshetra

- 51. Referral Hospital, Kurukshetra.
- 52. Civil Hospital, Kaithal.
- 53. Civil Hospital, Shahabad.

District Sonapat

- 54. Civil Hospital, Sonapat.
- 55. Civil Hospital, Gohana.
- 56. P.H.C., Ganaur.

District Jind

- 57. Civil Hospital, Jind.
- 58. Civil Hospital, Narwana.
- 59. Civil Hospital, Safidon.
- 60. P.H.C., Julana.
- 61. T.B. Clinic, Jind.

**Medical College, Rohtak & attached Hospital with M.C.
Rohtak**

62. Medical College Hospital, Rohtak.
63. Civil Hospital, Beri.
64. Primary Health Centre, Dighal.
65. C.R. Mobile Hospital.

ANNEXURE "B"

**Name of the Hospitals where X-Ray facilities
were available at the time of the formation of the Haryana
State (1-11-1966)**

Hissar District

1. Civil Hospital, Hissar.
2. T.B. Hospital, Hissar.
3. Civil Hospital, Sirsa.

Rohtak District

4. Civil Hospital, Rohtak.
5. Civil Hospital, Bahadurgarh.

Gurgaon District

6. Civil Hospital, Gurgaon.
7. B.K. Hospital, Faridabad.

Ambala District

8. Civil Hospital, Ambala.
9. Civil Hospital, Naraingarh.
10. Civil Hospital, Jagadhri.

Jind District

11. Civil Hospital, Jind.

Bhiwani District

12. Civil Hospital, Bhiwani.

Kurukshetra District

13. Civil Hospital, Kurukshetra.

Sonepat District

14. Civil Hospital, Sonepat.

Karnal District

15. Civil Hospital, Karnal.
16. Civil Hospital, Panipat.
17. Medical College Hospital, Rohtak.

कार्य-मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various items of business.

15-00 बजे

“The Committee met in the Chamber of the Speaker on Tuesday, the 14th January, 1975, at 3.30 P.M.

The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 15th and 16th January, 1975, be transacted as follows-

15th January, 1975 at 2.00 P.M.

1. Questions Hour.
2. Sixth Report of the Business Advisory Committee.
3. Motion regarding extension of term of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes upto 31st March, 1976.
4. The Haryana Appropriation Bill, 1975 on Budget (2 Hours).
5. Discussion and Voting on Supplementary Estimates (Third Instalment) for the year 1974-75.
6. Discussion and voting on Excess Demands over Grants for the year 1969-70.

16th January, 1975 at 2.00 P.M.

1. Questions Hour.
2. Private Members Business.

Home Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

that this Houses agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

that this Houses agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

चौधरी चांद राम(बबैन—अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस हाउस की मौजूदा सिंटिंग के बाद यह छठी रिपोर्ट है जो हमारे सामने है। गवर्नमेंट को अख्तियार है जिस वक्त भी चाहे प्रोग्राम फिक्स कर सकती है लेकिन इसे बिट्स में लाना, कभी एक—दो दिन का कर लिया फिर एक—दो दिन का प्रोग्राम बना लिया, कभी हाउस दो बजे बैठेगा, कभी हाउस साढ़े नौ बजे बैठेगा, कभी हमारे रूलज बदले जाते हैं ओर कहा जाता है कि स्पीकर की मर्जी से यह रूल चेंज किया जाता है, स्पीकर साहब, मेंबर साहिबान को इससे बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि पार्लियामेंट में होता है, उनका इकट्ठा प्रोग्राम बन जाता है जिससे मेंबर्ज को पता होता है कि किस दिन हाउस कितने बजे बैठेगा, अगर यह हो जाए तो सदस्यों को काफी सुविधा रहेगी।

मुख्य मंत्री(चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, सिर्फ एक दिन टाइम बदला है ओर उस दिन भी बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चौधरी दल सिंह, चौधरी िाव राम वर्मा, चौधरी मनफूल सिंह भाामिल थे ओर इनकी सलाह से बदला गया था।

चौधरी चांद राम: सब यह कहते है कि वहां पर हम जो कहते है, हमारी बात मानी नहीं जाती।

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, अगर वे यह कहते है कि जो हम कहते है हमारी बात नहीं मानी जाती तो यहां पर चौधरी िाव राम वर्मा, चौधरी दल सिंह, राव दलीप सिंह, चौधरी मनफूल सिंह बैठे है कोई खड़ा होकर कह दे कि इन्होंने कोई बात कही हो और वह बात मानी नहीं गई हो।

चौधरी मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, टाइम की बाबत इत्तेफाक राय से फैसला होता है।

चौधरी दल सिंह: टाइम की पाबन्दी की बाबत मैंने कहा था।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैं कोई गलत बात नहीं कहता। चौधरी हरद्वारी लाल के खिलाफ जिस दिन मोान मुव हुई थी उस दिन भी मैंने कहा था।

श्री अध्यक्ष: आपने जो प्वायंट उठाया है, आप उसी पर बोले।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैं खुद ही आपके जजबात का ख्याल रखता हूँ। लेकिन स्पीकर साहब, अगर पूरे सै इन का प्रोग्राम एक ही बार आ जाये तो कितना अच्छा रहे। मैबरों को भी इसमें सुविधा रहेगी। अब तो यह होता है कि पहले दो दिन का बिजनैस तय कर लिया, दो दिन के बाद फिर बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला ली और फिर दो दिन का बिजनैस तय कर लिया। जैसा पार्लियामेंट में होता है अगर वैसा हो जाये तो क्या हर्ज है?

चौधरी बंसी लाल: बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी क्यों अखर रही है?

चौधरी चांद राम: पूरे सै इन का अगर एक ही बार आ जाये तो क्या हर्ज है?

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि इन हैं। यहां पर चौधरी हल सिंह, चौधरी िव राम वर्मा, चौधरी मनफूल सिंह राव दलीप सिंह सब यहां बैठे है। अगर इनकी कोई बात न मानी गई हो तो यह खड़े होकर कहें कि हमारी बात नहीं मानी गई हैं। जो यह कहते है वही प्रोग्राम बनता है। आज तक जैसे इन्होंने कहा वही प्रोग्राम बना हैं।

चौधरी मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष: बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी हाउस की एक कमेटी है। जैसे कि दूसरी कमेटीज हैं, इस कमेटी को अख्तियार है कि वह एक मीटिंग करे, दो मीटिंगज करे या चार मीटिंगज करे। जो भी बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिमैंडे ांज होती है, वे यूनानिमस हो जाएं उसी को हम मानकर चलते रहें।

समाज कल्याण एवं कराधान मंत्री(श्री भयाम चंद): स्पीकर साहब, असल बात यह है कि वहां ये कुछ ओर बात करते हैं ओर इनको आकर गलत बता देते हैं। (हंसी व विघन).....

Chaudhri Dal Singh: I protest. I never tell lie to my leader.

चौधरी बंसी लाल: हमने आपका कोई सुझाव न माना हो, क्या आप यह कहते हो?

श्री अध्यक्ष: बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में जो फैसला होगा, उसी को मानकर मैं चलूंगा।

श्री के०एन० गुलाटी: स्पीकर साहब, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। चौधरी चांद राम किन मੈंबरों की तरफ से बोल रहे हैं इसका हमें पता नहीं है?

चौधरी चांद राम: मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ।

चौधरी बंसी लाल: अगर यह अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं तो चौधरी दल सिंह से यह कहलवा दें कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में सारे फैसले यूनानिमस नहीं होते। इनकी कोई डिस्सैन्टिंग राय हो तो चौधरी दल सिंह बतला दे।

चौधरी मनफूल सिंह: वहां जो भी फैसले होते हैं वे इत्तेफाक राय से होते हैं।

श्री अध्यक्ष: बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी जो फैसला करती है, उसी के मुताबिक टाईम चेंज होता है। स्पीकर अपनी मर्जी से टाईम चेंज नहीं करता। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है, उस में चेयर पाबन्दी नहीं कर सकती। वह हाउस की एक कमेटी है ओर वह खुद फैसला करती है कि एक दफा में फैसला करना है या दो दफा में करना है।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैं कोई चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर एक दफा सारा प्रोग्राम आ जाए तो मੈंबरों को सुविधा हो जाये।

Mr. Speaker: Order please. The question has been decided now.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं.....

Mr. Speaker: Order please, Not in this manner. All the members are respectable members of the House and they

attend various committees. This is not the method to make suggestion.

चौधरी बंसी लाल: यह सुझाव किसको दे रहे हैं। इनकी पार्टी के मेंबर हैं, उनको यह सुझाव दे दें।

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

The Motion was carried.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण
सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि 31-3-1976

Social Welfare and Taxation Minister(Shri Shyam Chand): Sir, I beg to move-

“Whereas a Committee called “the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes “consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973; and

Whereas the term of the Commiottee was further extended by one year upto 31st March 1975 in prusance of a motion passed by Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 18th January, 1974; and

Whereas it is expedient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting on the 30th March 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should also function for the year 1975-76.

Now therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1975 be extended by a year i.e. upto 31st March 1976 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973”

Mr. Speaker: Motion moved-

“Whereas a Committee called “the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes “consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973; and

Whereas the term of the Committee was further extended by one year upto 31st March 1975 in pursuance of a motion passed by Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 18th January, 1974; and

Whereas it is expedient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting on the 30th March 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should also function for the year 1975-76.

Now therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1975 be extended by a year i.e. upto 31st March 1976 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973”

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। यहां पर इस कमेटी की मियाद के लिये एक्सटैन्शन मांगी गई है। अगर तो पिछले साल की रिपोर्ट हमारे सामने आती तब तो इस एक्सटैन्शन की जस्टीफिकेशन थी और अब जबकि हमारे सामने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई तो फिर इस एक्सटैन्शन की क्या जस्टीफिकेशन है?

श्री अध्यक्ष: रिपोर्ट भी आ रही हैं। भायद 17 जनवरी को इस हाउस के सामने आ रही है।

चौधरी दल सिंह(जींद): स्पीकर साहब, मेरी गुजारि है कि यह जो कमेटी थी, यह आज से दो साल पहले बनाई गई थी और उसके अन्दर तकरीबन सारे के सारे हरिजन मैम्बर भी है और यह कमेटी हरिजनों की भलाई के लिये बनाई गई है। दो दफा पहले भी एक्सटैन्शन मांग चुके है और आज फिर इस के लिये एक्सटैन्शन मांग रहे है। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि इतनी देर तक इस कमेटी ने अपना काम क्यों नहीं खत्म किया? इस कमेटी के मैम्बर साहिबान को आने-जाने के लिए

टी0ए0, डी0 ए0 दिया जाता है इसलिये बहुत खर्चा पड़ता है सरकार के ऊपर। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात है जिसके कारण यह कमेटी इतने टाइम के अन्दर अपनी रिपोर्ट देने में असमर्थ रही है या फिर गवर्नमेंट की ही हिदायतें हैं कि यह रिपोर्ट अभी पे न की जाए। यह बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो हम हरिजनों की भलाई के लिये कह रहे हैं कि हरिजनों की भलाई होनी चाहिये और दूसरी तरफ यह हो रहा है कि अभी तक जो काम इस कमेटी ने किया है, उसको सदन के सामने लाने में हिचकचा रहे हैं। आखिर इसके कारण क्या हैं? यह जो एक साल का अर्सा देकर रिपोर्ट को इस सदन के सामने पे न करवाया जाये ताकि लोगों को इस सरकार के कारनामों का, सरकार के दिमाग का पता चल सके कि आखिर यह सरकार जोकि हरिजनों की भलाई का दम भरती है, उनकी भलाई के लिये कोई कदम उठाने जा रही है। तो मैं गुजारि न करूंगा कि इस कमेटी को ज्यादा से ज्यादा दो महीने का और टाइम दिया जाये। इस साल का वक्फा बहुत ही लम्बा है। दो महीने से ज्यादा समय न दिया जाये।

चौधरी िव राम वर्मा(नीलोखेड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी आज से दो साल पहले, एक साल के लिये बनाई गई थी ताकि वह िडयूल्ड कास्ट ओर िडयूल्ड ट्राइबल लोगों के हित के लिये अपनी रिपोर्ट दे और वह रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने इस सदन में नहीं आई है। इस कमेटी की मियाद पिछले साल बढ़ा दी गई थी और आज दो साल बीत जाने के बावजूद भी इस

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जिसके लिये एक साल की मियाद और मांगी जा रही हैं यह कमेटी 30 मार्च, 1973 को बनाई गई थी और 18-1-74 को इसकी मियाद फिर एक साल बढ़ा दी गई। न तो पिछले साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही इस साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अगर इन दोनों सालों की रिपोर्ट हमारे सामने आती तो हम यह समझ पाते कि इस कमेटी ने हरिजनों की भलाई के लिये कितना काम किया है और यह पता चलता कि ये इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़े है। इस देरी से यह पता चलता है कि इन्होंने हरिजनों की दशा सुधारने के लिये अपने कोई भी सुझाव अभी तक नहीं दिये हैं। अभी तक हम बिल्कुल अंधेरे में हैं कि इस कमेटी ने क्या काम किया है। यह बहुत जरूरी था कि अब तक यह रिपोर्ट हमारे सामने आती और फिर हम यह सोचते कि इस कमेटी की मियाद बढ़ानी ठीक है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमें कुछ नहीं पता कि कब तक यह मियाद बढ़ती रहेगी। हरिजनों के बारे में तो इस सरकार का कोई काम नहीं है, केवल बहकावा ही बहकावा है कि हम हरिजनों की भलाई के लिये यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बार सन 1972 में मैंने यह कमेटी बनाने का सुझाव सरकार को दिया था। उस वक्त मेरा यह सुझाव नहीं माना गया लेकिन सन 1973 में गवर्नमेंट आफ इण्डिया के कहने पर यह कमेटी बना दी गई थी। यह रिपोर्ट एक साल में हमारे सामने आनी चाहिये थी। पता नहीं क्या कारण है, समझ

नहीं पा रहा कि गवर्नमेंट ओर कितने समय तक डिले करती रहेगी। आखिर कब तक यह लोगों को बहकाती रहेगी? कब तक लोगों को लारों में रखेगी? मैं यह समझता हूँ कि यह लारे जो है, यह ठीक नहीं है। फाइनल न सहि, कम से कम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो हमारे सामने आनी चाहिये थी ताकि हम यह देखते कि कितना काम हो रहा है और किस रूख से काम हो रहा है, यह विचारधारा किधर चल रही है? मेरा तो यह ख्याल है कि अभी तक इस कमेटी ने अपनी कोई रिक्मेंडे टन भी नहीं भेजी होगी। इससे यह पता चलता है कि दो साल बीत जाने के बाद भी एक कदम इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। दो साल में तो यह काम पूरा हो जाना चाहिये था। इस लिये मैं समझता हूँ कि यह जो एक साल की और मियाद मांगी जा रही है, यह बहुत जयादा है। ज्यादा से ज्यादा तीन महीने की मियाद इस कमेटी को ओर दे दी जाये और इस समय के अन्दर कमेटी को रिपोर्ट देने के लिये यह सदन डायरैक्टिव दे कि इतने समय के अन्दर वह रिपोर्ट दे। यह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत कर दी जाये तब तो हम यह समझेंगे कि हरिजनों की भलाई के लिये कुछ भीघ्न कर सकेंगे लेकिन सरकार की बातों ही बातों से यह काम होने वाला नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस में सं गोधन करके एक साल की मियादा को कम किया जाये ओर ज्यादा से ज्यादा तीन महीने इस कमेटी को दिये जायें, जिसमें वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की हैरानी है कि यह मैनबर साहिबान किस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं। इस हाउस के सम्मानीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसने इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, तो ये जो सरकार के उपर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बहकावे में रख रही है, लारे दे रही है, सरकार यह कर रही है, वह कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इस में सरकार बीच में कहां से आ गई? मैनबर साहिबान को सदन में बोलने से पहले देख लेना चाहिये कि यहां किस विशय पर बोला जा रहा है ओर उन्हे बोलना क्या है? यह जो नुक्ताचीनी है, यह तो एक प्रकार से सदन की नुक्ताचीनी है। इस सदन में सरकार के उपर तभी आरोप लगाया जा सकता है जबकि कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो ओर उसके बाद सरकार अमल न करती हो, आखिर यह किस पर नफताचीनी कर रहे हैं?

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि यह सदन की नुक्ताचीनी कर रहे थे। यह सदन की नुक्ताचीनी कैसे कही जा सकती हैं? यह जो कमेटी है, यह सदन ने बनाई है। सरकार जब इसके लिये तैयार न होगी तो कमेटी भी सेचेगी कि चलो ठीक है। सरकार उसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिये तैयार नहीं है। (गोर).....

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह ख्याल है कि यह मर्यादा भंग का प्रस्ताव भी हो सकता है।

श्री के०एन० गुलाटी(फरीदाबाद): स्पीकर साहब, जो भी मो इन हमारे सामने आता है उसके पीछे एक सदभावना होती है। यह जो मो इन आया है यह भी एक बड़ अच्छा मो इन है। यह कमेटी 1972 में बनाई जानी थी लेकिन एक साल लेट बनी। मैं तो चाहता हूँ कि इसे उसी वक्त पांच साल के लिये बना देना चाहिये था। ये जो इसकी मुखलफित कर रहे है ये तो सिर्फ अखबारों में अपना नाम लाने के लिये कर रहे है। यह बात ठीक नहीं है, मैं इस मो इन के हक में हूँ।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह जो अखबारों वाली बात कर रहे है क्या यह मैंबर के ऊपर एसप नि नहीं है?

श्री अध्यक्ष: इन्होने किसी मैंबर का नाम तो नहीं लिया।

श्री के०एन०गुलाटी: जब हम चाहते है कि हरिजनों का भला हो और भले के लिये ही यह कमेटी बनाई गई थी तो इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिये, इसलिये मैं पूरजोर सिफारि करता हूँ कि इस कमेटी की टर्म 1976-77 के लिये भी बढ़ा दी जाये।

चौधरी चांद राम(बबैन-अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब,इसके बावजूद कि हम यह पढ़ते है कि हरिजनों की भलाई के लिये यह कमेटी की एक्सटें इन मांगते है.....

श्री अध्यक्ष: यह रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है और वह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सामने भी आई थी। यह 17 तारीख को प्रैजेंट हो रही है। इसलिये आप इस बात को ध्यान में रख कर बोले।

चौधरी चांद राम: पार्लियामेंट और सेंटर में इस बात का फैसला हुआ कि हरिजनों की भलाई के लिये एक कमेटी बनाई जाये और उसकी मियाद एक साल रखी गई है। अगर वे यह समझते कि यह कमेटी दो साल या तीन साल के लिये होगी तो ऐसी पाबन्दी पहले ही लगा देते। लेकिन उन्होंने यह पाबन्दी लगाई थी कि आए साल कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का चुनाव होगा। अगर आप पार्लियामेंट को देखें तो वहां साल के बाद चेयरमैन भी बदला जाता है और मैनबर भी बदले जाते हैं। इस हाउस ने इस कमेटी के मैनबर चुने थे, नामीनेट नहीं किये थे। हाउस का कमेटी के मैनबरों को चुनने का राइट है लेकिन मैनबर चुनने की बजाये यहां पर यह मोशन आ गया कि जो पहले मैनबर चुने हुए हैं उनको एक्सटेंशन दे दी जाये। इस कमेटी को बने हुये 24 महीने हो गये हैं। यह जिस काम के लिये कमेटी को एक्सटेंशन दे रहे हैं वह काम कमेटी 31 मार्च तक भी तो कर सकती है। अभी तो पिछली टर्म के भी दो अढ़ाई महीने बाकी पड़े हैं हरिजन संघर्ष मिति के आन्दोलन के बारे में 17 दिसम्बर 1973 को चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया जिसमें इस कमेटी का भी जिक्र है कि हाउस ने एक कमेटी बना रखी है। यह कमेटी

हरिजनों के उत्थान के लिये बनाई गई है जो यह देखेगी कि हरिजनों के साथ न्याय हुआ है या उनको रियायतें मिलती हैं या नहीं। तो चीफ मिनिस्टर सहब के इस ब्यान के उपर हमने आन्दोलन वापिस ले लिया। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट तो क्या आनी थी, ये तो अभी उसके लिये ओर एक्सटें न मांग रहे हैं। इसके अलावा एक और कमेटी बनी थी उसकी भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें बात कुछ भी नहीं है, थोड़ी इनफर्मे इन हर महकमें से लेनी है कि फलां-फलां जगह पर जो काम था वह तुमने पूरा कर दिया या नहीं और दूसरी बात यह है कि तरक्की के लिये अगर कोई लीकूना रह गया है, उसके लिये सुझाव देना है तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इतनी देर लग रही है बनारसी दास जी गुप्त जैसे आदमी जो स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान रह चुके हैं, हर बात पर यह कह देते हैं कि यह प्रितिलेज का क्वै चन है तो हमको तो इनसे डर लगने लग गया।

Mr. Speaker: The Hon'ble member is asking from whom? (ओर) मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपकिस से किस कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं? यह कमेटी तो हाउस के मेंबरो की है।

चौधरी चांद राम: मैं तो आप से पूछ रहा हूँ। हमारे राइट्स के प्रोटैक्टर आप हैं। यहां एक मो इन आया है, क्या मो इन पर हम जुबान बन्दी कर लें? हम कुछ बोलें भी न? यहां

एक मो इन आया है ओर उसको हम अपोज कर रहे है। अगर अपोज करने में.....(ओर).....

Mr. Speaker: You can certainly oppose, but from whom are you asking? Whom are you addressing? कमेटी के मेंबरों को या गवर्नमेंट को?

चौधरी चांद राम: जो मूवर है, हम मूवर से कह रहे है कि यह उसे मूव नहीं करना चाहिये क्योकि उन मेंबरों ने अपना पूरा काम नहीं किया और उनकी जगह पर दूसरे मेंबर आनेचाहिये। हम यह इसलिये कह रहे है ताकि ये मेंबर जल्दी काम करें। अब भी 31 मार्च तक टाइम पड़ा है। आपने कहा है कि कुछ रिपोर्ट आ गई है और कुछ नहीं आई तो अभी 31 मार्च तक टाइम पड़ा है इसके बाद जब फिर सै इन आएगा गवर्नमेंट किसी वक्त भी दूसरी कमेटी बनवा सकती है। गवर्नमेंट के मन में भायद आ गया हो कि नया चेयरमैन और नई कमेटी आ जाएगी, लेकिन वह तो गवर्नमेंट का अख्तियार है या रूलिंग पार्टी का अख्तियार है। हमारी अपोजी इन का तो एक ही मेंबर है। जहां तक मुझे पता है, अगर मैं गलती नहीं करता, वह है चौधरी पीर चन्द और बाकी जो मेंबर है वे या तो कांग्रेस पार्टी के है या वे है जो गवर्नमेंट को स्पॉर्ट करते है। इसलिये मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप मूवर का सलाह दें कि यह एक्सटैं इन का प्रस्ताव न लाएं बल्कि इस कमेटी को हिदायत करें कि वह इस काम को 31 मार्च तक पूरा कर दे।

मुख्य मंत्री(चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, यह रैपिटी न बन्द होनी चाहिये, हाउस का टाईम जाया हो रहा है। जो बात इन्होंने कहनी थी वह तो कह ली है।

चौधरी चांद राम: 31 मार्च, 1975 तक यह कमेटी रिपोर्ट करे ओर इसकी एक्सटेंशन न की जाये। इसके बाद हाउस दूसरी कमेटी बनाए।

Social Welfare and Taxation Minister(Shri Shyam Chand): Mr. Speaker, Sir, this Committee was constituted by the Vidhan Sabha on the pattern of Parliament. Parliament also constituted one Standing Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Nine members were elected by this August House and two M.L.As from opposition Benches are also Members of this Committee. I don't know how many sittings this Committee has held? But I think they are doing their work satisfactorily and you know, Sir, that there are more than 50 Departments, which this Committee has to examine. They have to see to the representation of scheduled castes and scheduled tribes in recruitment and promotion and other socio-economic matters. I think it will take some time.

About the pressure of the Government, as Mr. Dal Singh pointed out that there may be some pressure from the Government, I wish to assure this August House that I have never asked any member of this Committee, what he is doing or what they are doing.

Further, I submit, Sir, this Committee was constituted for the purpose by the members of this House and if the term of the Committee is being extended by one year that is by majority vote. So he should not grudge, if Mr. Chand Ram does not become member of this Committee.

चौधरी चांद राम: अगर आप नोमीनेट करें, मैं तब भी नहीं आऊंगा।

श्री भयाम चन्द: इनकी चार वोटें हैं और मैंबर इलैक्ट होने के लिये 9 मैंबर चाहिये। (विघन)

एक आवाज: अब तो इनकी तीन बोटें रह गई हैं।

चौधरी बंसी लाल: रोज आगे सीट मांगा करता था, अब तो यह मामला बन्द कर रखा है (हंसी व भाोर)

चौधरी चांद राम: हमारी आल इंडिया लैवल की पार्टी है और उसे इलैक्ट इन कमि इन ने रिकोगनाइज कर रखा है..... (गोर).....आप सीट न दें तो दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। जो पार्टीज हाउस के बाहर रिकोगनाइज्ड है उनका हाउस के अन्दर भी रिकोगनि इन जरूरी नहीं है। मैं उस पार्टी को रिकोगनाइज करूंगा जो हाउस के अन्दर है। (गोर)

चौधरी चांद राम: रूलज के मुताबिक ही हमने यह लिख कर दिया था कि हम चार मँबर है ओर हमें अलग से सीट दी जाये। (ओर) अब तो तीन रह गये है (ओर)

Mr. Speaker: I am acting according to the Rules. There is no Party or Group recognised except the Congress.....

श्री भयाम चन्द: स्पीकर साहब, यह किस चीज पर बोल रहे है?

I don't know whether he is speaking on a point of order or making submission?

Mr. Speaker: Please Continue.

Shri Shyam Chand: Sir, he calls himself a great parliamentarian, always speaks without the permission of the Chair. When he has to say something, he stands up and puts silly questions.

Chaudhri Chand Ram: Silly q uestions.....Is it parliamentary?

Shri Shyam Chand: Yes.....It is parliamentary expression.

Mr. Speaker: Order please.....No interruptions.....

Shri Shyam Chand: He referred to agitations कि इन्होने कोई आंदोलन किया था। हमें तो पता नहीं कि वह किस

लिये किया था और I don't know on what grounds he has withdrawn it, यह अपने आप से पूछ ले। with these words, I will now request this august House to pass this resolution.

Mr. Speaker: Question is-

“Whereas a Committee called “the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes “consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973; and

Whereas the term of the Commiottee was further extended by one year upto 31st March 1975 in prusuance of a motion passed by Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 18th January, 1974; and

Whereas it is expendient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting on the 30th Marcxh 1973, the Committte on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should also function for the year 1975-76.

Now therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1975 be extended by a year i.e. upto 31st March 1976 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March 1973”

The motion was carried.

दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० २) बिल, १९७५

Finance Minister(Shri Ram Saran Chand Mittal):

Sir, I beg to introduce the Haryana Association (No.2) Bill, 1975.

I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह(जींद): स्पीकर साहब, सदन के सामने इस वक्त अप्रोप्रिये ान (नं० २) बिल पे ा है और सरकार इसके जरिये 4841163806 रूपये 1975-76 के दौरान खर्च करने के लिये मन्जूर करवा रही है। इस बिल के अन्दर एग्रीकल्चर के लिये जो रकम रखी गई है वह है 91613300 रूपये। स्पीकर साहब, यह बहुत अहम मदद है क्योंकि इस दे ा की 85 फीसदी और खास तौर से हरियाणा की 90 फीसदी आबादी खेती पर गुजारा करती है। इसलिये मैं तो समझता हूं कि खेती के लिये जो रकम रखी गई है वह थोड़ी है क्योंकि अगर हम खेती की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो उसका नतीजा यह होगा जो आज हमारे सामने है हमारे साथी बहुत कुछ कहते हैं कि इस में बहुत तरक्की

कर दी लेकिन जो इस बारे में सही पोजीशन है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ ताकि यह भाई समझ सकें महसूस कर सकें कि हरियाणा में खेती के मामले में कोई खास कार्यवाही नहीं की गई है। यह ठीक है कि सरकार ने बिजली के बहुत खम्बे लगा दिये इसकी एक्सटेंशन कर दी लेकिन बिजली की पैदावार नहीं की है बल्कि उस बिजली को फैलाया है जिसका नतीजा यह है कि हरियाणा का सत्याना।.....

श्री अध्यक्ष: आप इसमें यह देखें कि रैपीटीशन न हो जो पहले कह चुके हैं।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): स्पीकर साहब, आप इनकी गवर्नर एड्रेस पर जो स्पीच है उसे निकलवा कर देख लें जो उस वक्त बातें कही थी, वही बातें अब निकलेगी।
(विधान)

चौधरी दल सिंह: आप भी अपनी पिछली स्पीचें निकलवा कर देख लो (विधान) तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखना यह है कि हरियाणा प्रांत में खेती की पैदावार कितनी बढ़ी है। हरियाणा प्रांत जैसा कि आप जानते हैं। 1 नवम्बर 1966 में बना और उसके बाद एक सरकार आई जाँच महीने रह सकी और चार महीने के अन्दर कोई सरकार कोई काम नहीं कर सकती। उसके दूसरी सरकार आई और वह सरकार विरोधी दल की सरकार थी जो तकरीबन एक साल तक रही। उसके बाद यह

मौजूदा सरकार आई जो उसके बाद से लगातार चली आ रही है। अब देखना यह है कि आया जिस तरह हमारे ये साथी कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की खेती में कर दीख वाकई सच है या नहीं? तो इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं ओर अपनी तरफ से कोई आंकड़े पे नहीं करूंगा बल्कि इसी सरकार के आंकड़े पे करना चाहता हूं जो जाहिर करेंगे कि इनके आने के वक्त से लेकर आज तक हरियाणा में खेती के मामला में कोई काम नहीं हुआ है।

श्री बनारसी दास गुप्त: यह आंकड़े पहले ही आपके रिकार्ड पर है।

चौधरी दल सिंह: यह वह नहीं है उनके अलावा है। मैं 1967-68 के साथ कम्पेरेजन करना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त विरोधी दल की सरकार थी और उसके बाद यह सरकार आई थी। तो 1967-68 में चावल की का त 2 लाख 17 हजार हैक्टेयर में होती थी और उसके चार साल बाद 1972-73 में जब इस सरकार ने चार साल तक काम कर लिया चावल की खेती के नीचे कुल रकबा 340300 हैक्टेयर हो गया यानि चार साल में 123300 हैक्टेयर रकबा बढ़ा। बाजरा की फसल 1967-68 में 385000 हैक्टेयर जमीन में का त होती थी और 1972-73 में इसकी 904000 हैक्टेयर में का त हुई यानी चार साल में 681000 हैक्टेयर ज्यादा बाजरा की का त हुई। इसी तरह से आप गेहूं को ले लें तो यह चार साल में तकरीबन 12 लाख हैक्टेयर में ज्यादा

बोया गया । अब आप खाद को देखें । खेती की पैदावार करने के लिये खाद एक बहुत ही जरूरी साधन है । 1967-68 में 47024 टन खाद इस्तेमाल किया गया हरियाणा के अन्दर और 1972-73 में चार साल के बाद इसका इस्तेमाल बढ़ कर 93892 टन हो गया । इसके बाद आप ट्रैक्टर को लें क्योंकि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये ट्रैक्टर का बड़ा योगदान है क्योंकि अगर ट्रैक्टर ज्यादा होंगे तो वाही ज्यादा होगी और जब वाही ज्यादा होगी तो पैदावार भी ज्यादा होगी, साफ बात है । तो मैं अर्ज करता हूँ कि 1968-69 में हरियाणा में 9403 ट्रैक्टर होते थे और इनके चार साल के बाद इनकी तादाद 1972-73 में 14114 हुई यानी पांच हजार से ज्यादा ट्रैक्टर का इस्तेमाल बढ़ा । अब आप अधिक उपजाऊ बीजों के तहत जो एरिया जेरे का त आयाजहां अच्छे बीज डाल कर खेती की गई, उसके बारे में देख लें । चावल के मामले में 1968-69 में 13 हजार हैक्टेयर में अच्छे बीज डाल कर चावल की का त की गई और 1972-73 में यह एरिया बढ़ कर तीन लाख हैक्टेयर हो गया इसी प्रकार आप गेहूँ को लें । उसी साल गेहूँ की 250000 हैक्टेयर में बढ़िया बीज डालकर फसल पैदा की गई जबकि 1972-73 में 1209050 हैक्टेयर में बढ़िया बीज डालकर फसल पैदा की गई । फिर आप ट्यूबवैल्ज की तरफ आयें । यह मानते हैं कि 1968-69 में हरियाणा में 29000 थे और अब कहते हैं कि ये 146110 हैं यानी एक लाख से ज्यादा इनकी तादाद बढ़ गई । इसके अलावा सरकार ने कई करोड़ रुपये नहरें बनाने के लिये खर्च किये । तो यह सब कुछ करने के बाद और करोड़ों

रूपयें खर्च करने के बाद इन चार सालों में जो पैदावार बढ़ी वह भी आप देख लें। 1967-68 के अन्दर जब कि विरोधी सरकार थी 39 लाख 70 हजार टन अनाज पैदा हुआ था और 1972-73 में 40 लाख 72 हजार 900 टन हुआ। इस तरह से चार सालों में 1 लाख 29 हजार टन ज्यादा पैदा कर सके हैं। बावजूद इसके कि लाखों एकड़ जमीन ज्यादा का त करते हैं, नहरों का जाल बिछा दिया गया और अनाज जो पैदा हुआ वह आपके सामने है। बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी डिवलपमेंट के नारे देते हैं लेकिन पैदावार कुछ भी नहीं। इस साल 38 लाख टन अनाज पैदा हुआ है जबकि 1967-68 में 39 लाख 70 हजार टन अनाज पैदा हुआ था। इस साल तो उससे भी कम पैदा हुआ। अगर पूछा जाये तो कहते हैं कि कुदरती बात है, भगवान ने बारिश नहीं की। भगवान की तो बात ही नहीं है, यह सरकार ही निकम्मी है। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान ने बारिश नहीं की और दूसरी तरफ डींग मारते हैं— नहरों की, बड़ी-बड़ी का त की, बिजली की, ट्यूबवैल्ज की। यह फिगर दी है। यह सरकार की अपनी फिगर है। मुझे हैरान है कि 6 साल के राज के बाद, अरबों रूपया खर्च करने के बाद यह सरकार एक टन अनाज भी हरियाणा के अन्दर फालतू पैदा नहीं कर सकी। फिर कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इस तरक्की से हम बाज आये। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि जो चीजें अनाज पैदा करने की हैं, उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। खद की कीमत 20 रूपये से बढ़ कर 105 रूपये कट्टा हो गई है। 500 परसैन्ट फालतू कीमत बढ़ी है।

ट्यूबवैल की 190 परसैन्ट, ट्रैक्टर की कीमत 50 परसैन्ट फालतू बढ़ी है। जब इतनी ज्यादाती किसान के साथ हो तो सरकार किसान की पैदावार क्यों उचित भाव पर न खरीदे। स्पीकर साहब, 1966-67 में 100.37 पैसे फी क्विंटल अनाज बिकता था।

Pandit Chiranji Lal Sharma: No, No.

Chaudhri Dal Singh: This is in the book “statistical abstract of 1973-74”. You can see it and examine it, 1973 में 86.84 पैसे थी और दूसरी तरफ आप देखें किसान के उपर कितना खर्चा बढ़ा है, कोई ठिकाना नहीं। सरकार ने अरबों रूपया नहरों पर खर्च किया, बिजली पर खर्च किया, खाद के उपर किया, ट्रैक्टरों के उपर किया लेकिन तब भी यह हालत है। पिछले चार सालों में किसान की पैदावार की कीमत घटी है बढ़ी नहीं। इसके दो ही तरीके है। स्पीकर साहब, अगर सरकार किसान की पैदावार की उचित कीमत दे तभी वह अपने खर्चे को सप्लीमेंट करसकता है। अगर एक गाय का दूध निकालने वाला आदमी दूध निकालता रहे और उसको चारा न दे तो वह गाय आगे के लिए दूध देने वाली नहीं है। यही हाल किसान का है, अगर सरकार उसको सहूलियात नहीं देती तो वह पैदावार करने वाला नहीं। अगर सरकार पैदावार बढ़ाना चाहती है तो उसके साथ हमदर्दी करनी पड़ेगी। हमदर्दी नहीं तो पैदावार नहीं। पैदावार की उचित कीमत सरकार बे तक न दे लेकिन अगर उसको जायज कीमत पर एग्रीकल्चर का सामान मिले तो सबसे अच्छी बात है। उसको

इन्सैंटिव दो। उसके लिए पैदावार के जराये पैदा करो जिससे किसान की पैदावार दूगनी हो जाए ताकि जहां 20 किंवटल अनाज पैदा हो, वहां 40किंवटल बढ़ जायें। कोई बात नहीं, भाव न बढ़ायें लेकिन खाद वगैरा उचित कीमत पर दे। बिजली के खम्भे लगाने से काम नहीं चलेगा। मुनाफा नहीं दे सकते तो सामान देना पड़ेगा, तभी पैदावार बढ़ सकती है। इसके दूसरी तरफ 500 परसैंट कीमतें बढ़ गई है, किसान खाद नहीं खरीद सकता। पिछले साल खाद ब्लैक में बिकी। लोगों को खाद नहीं मिलती थी लेकिन इस साल खाद की कीमत बढ़ जाने से बाजार में खाद के ढेर पड़े हुये है, कोई लेता नहीं क्योंकि किसान इतनी मंहगी खाद खरीद नहीं सकता। हरियाणा के उपर खाद के सूद का खर्चा 72 लाख रूपये हैं । जहां सरकार 72 लाख रूपया सूद का देती है वहां किसान को सबसिडी क्यों नहीं देती, सरकार इस बात का ऐलान करे कि हम किसानों को सबसिडी देगें, फिर देखो कितनी खाद उठती है? लेकिन अगर यही नीति रही तो पैदावार नहीं बढ़ सकती। ये किताबों में आंकड़े छापते रहेगें। सब किताबों में ही रह जाएगा असलीयत में कुछ नहीं होगा? हरियाणा की सरकार पिछले 6 सालों में एक टन अनाज नहीं बढ़ा सकी। इसका कारण यह है कि सरकार किसान को खुद नहीं कर सकती। आज किसान की बुरी हालत है, छोटे-छोटे होल्डर है जिनका गुजारा नहीं चलता। या तो सरकार उनको पैदावार की उचित कीमत दे, अगर नहीं दे सकती तो जायज कीमत पर ऐसे जराये पैदा करे, ऐसे साधन पैदा करे जिससे किसान की पैदावार दुगनी हो जाए। तब भाव बढ़ाने

की जरूरत नहीं। वाकई ही यह सोचने वाली बात है, इस पर सरकार गौर करे। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रान्त में टैक्सों ने कितनी कीमतें बढ़ा दी है। हर जगह टैक्स, हर बात पर टैक्स, बड़ी हैरानी है, जनता परेशानी में है और इधर सरकार कहती है कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जिस बजट में एक तो 17 करोड़ रुपये का घाटा हो और दूसरी तरफ सरकार कहे कि कोई टैक्स नहीं है, कितनी हैरानी की बात है। जब असेम्बली का सेशन खत्म होगा तो एक महीने के अन्दर राज्यपाल महोदय से आर्डिनैस ले आयेगें कि टैक्स लगेगा क्योंकि ये मैजोरिटी में है, पास करवा लेते हैं। आज कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाया गया। अगर इनके दिल में सच्चाई है और टैक्स लगाना है तो डरते क्यों हैं? लेकिन पीछे से धुस कर टैक्स लगाना ठीक नहीं है। यह प्रजातन्त्र की बात है। यह काम प्रजातन्त्र के हिसाब से होना चाहिये। 1967-68 के अन्दर एन्टरटेनमेंट टैक्स 50 लाख 14 हजार था। 1972-73 में 1 करोड़ 90 लाख 26 हजार हो गया। इस तरह से 1967-68 में भांग टैक्स 42 लाख, 95 हजार था और 1972-73 में बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख 14 हजार हो गया। यानी 4 सालों में 58 लाख 19 हजार रुपये प्रान्त के अन्दर भांग टैक्स बढ़ा। पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की भी यही हालत है। 1967-68 में 2 करोड़ 77 लाख, 99 हजार था और 1972-73 में 1 करोड़ 2 लाख 52 हजार हो गया। इस तरह 61 लाख 57 हजार रुपया अकेले स्पिरिट टैक्स में बढ़ोतरी हुई। हमारी स्टैट का सैल्ज टैक्स 1967-68 में 5 करोड़ 70 लाख

29 हजार था और 1972-73 में 12 करोड़ 25 लाख 53 हजार हो गया। इस तरह चार सालों में.....(विघन)

Revenue Minister(Pandit Chiranji Lal Sharma):

Mr. Speaker I rise on a point of Order. My Point of order is that this discussion on Budget and then on the Demands has been going on for the last four days and it is nor the Appropriation Bill before the House. The figures that are being given by the hon. Member is a repetition because the same were given by a Member of his party yesterday, Whether this repetition is allowed?

Mr. Speaker: I have already said in the beginning of his speech that there should be no repetition of arguments by any hon. Member on points which have already been raised either on discussion on Budget or discussion on Demands for Grants.

Pandit Chiranji Lal Sharma: And as such, this being your findings the figures being given by the hon. Member amount to a repetition.

चौधरी दल सिंह: चलो मैं छोड़ देता हूँ। एक फिगर रह गई है, वह कह देता हूँ। सैन्ट्रल सैल्ज टैक्स 1967-68 में 3 करोड़ 57 लाख, 82 हजार था और 1972-73 में 8 करोड़ 6 लाख 33 हजार हो गया। इस तरह 4 सालों में 4 करोड़ 48 लाख, 61 हजार रूपये का अधिक टैक्स मिला। रजिस्ट्रें इन फी इस सरकार ने 6 परसेंट से बढ़ा कर 10 परसेंट कर दी। मार्किटिंग फी, स्पीकर साहब, पहले 20 पैसे थी लेकिन अब 200 पैसे कर दी गई

है। टवन्टी हन्डर्ड यानी दो हजार परसैन्ट इन्क्रीज इसमें हुई है। हमने तो अपनी जिन्दगी में पहले कभी न तो ऐसा देखा और न सुना। किसी तारीख के अन्दर भी इस तरह की बात पढ़ने को नहीं मिलती कि हिन्दुस्तान की किसी स्टेट ने पहले इतनी ज्यादा इक्रीज किसी आईटम में की हो। इन्होंने अगर यह तो हजार गुनी इक्रीज की है तो मिनिस्टर साहब बड़ी खुश से जवाब दें।
(विधान)

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। इस बिल के उपर सिर्फ दो घंटे की डिसकशन है। मेरे आनरेबल दोस्त को लगभग आध घंटा बोलते हो गया है जबकि अभी बहुत सारे मੈंबर साहबान बोलने वाले हैं। तो मेरी यह रिकवैस्ट है कि जरा इस बात का ध्यान रखा जाये।

Mr. Speaker: Quite Correct. But the Member himself has put the time limit.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह जो वर्ष 1974-75 का सप्लीमेंटरी बजट है इस पर भी अभी डिसकशन होनी है। अगर दोनों डिसकशन इकट्ठी कर दी जायें तो बोलने वाले को भी आसानी होगी और समय की भी बचत हो सकती है।
.....(विधान)

श्री अध्यक्ष: रूलज के हिसाब से यह इकट्ठी नहीं हो सकती।

चौधरी दल सिंह: तो स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मार्किटिंग फीस 20 पैसे से बढ़ाकर 200 पैसे की गई है। अगर ये हिसाब लगाएं तो यह दो हजार परसेंट ज्यादा है। (विधन)..... इसी तरह से बस फेयर तीन सौ परसेंट बढ़ा है। एक नई चीज, स्पीकर साहब मैं आपको और बताता हूँ। यह पार्टी कहती है कि हम महात्मा गांधी के पैरोकार हैं। दिखाई भी देता है कि ये नकली पैरोकार हैं। महात्मा गांधी तो कहते थे कि -'

'Liquour ruins a man mentally, physically, morally and economically.'

परन्तु यहां तमा गा ही और है। भाराब की कंजम्प गन, स्पीकर साहब, सन् 1967-68 के अन्दर 2979801 लीटर होती थी लेकिन 1972-73 में यह बढ़ कर 4507969 लीटर हो गई। 25 लाख लीटर भाराब की बढ़ोतरी चार साल के अन्दर, इस सरकार के वक्त में हुई है। स्पीकर साहब, यह सिर्फ कंट्री लिकर की फिगर थी। बाहर से जो भाराब आती है उसकी खपत सन 1967-68 में 149354 लीटर थी लेकिन 1972-73 में यह 717121 लीटर हो गई। चार वर्ष में 567767 लीटर भाराब ये बाहर के मुल्कों से हरियाणा प्रान्त के अन्दर लाये है। इसी तरह से स्पीकर साहब, आप बीयर की फिगरज देख लें। 1967-68 में 331794 लीटर बीयर इस्तेमाल हुई जबकि 1972-73 में 1453833 लीटर इस्तेमाल हुई है।

कृशि मंत्री(चौधरी भजन लाल): तरक्की ही हुई हैं।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब बड़े खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि तरक्की हुई है। अगर यह तरक्की है तब तो मैं कहूंगा कि ये देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी के पैराकार होते हुये अगर ये इस तरह की बात कहते हैं तो लानत है इस सरकार के उपर। (विधान)

चौधरी फूल चन्द(मुलाना): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरी सबमिशन यह है कि इन्होंने जो डैरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किये हैं कि 'देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं' they should be expunged.

Chaudhri Dal Singh: They are not derogatory. Anyway, let the hon, Speaker decide it. It does not matter.

Mr. Speaker: Please wind up.

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, इस तरह से 1122039 लीटर बीयर हरियाणा में ज्यादा इस्तेमाल हुई है।

जहां तक, स्पीकर साहब, सिविल लिबर्टी का ताल्लुक है, उसका हिसाब यह है कि तमाम म्युनिसिपल कमेटिज सुपरसीडिड हैं। तमाम जिला परिशदें ऐबोलिड हैं और तमाम मार्किटिंग कमेटियां भी लगभग खत्म हैं। उनमें काम चलाने के लिए ये अपने चट्टे-बट्टे रखते हैं। आज हालत यह है कि किसी मार्किटिंग कमेटि का काम तसल्लीबख्भा नहीं है। म्युनिसिपल कमेटि का काम तो भायद कहीं तसल्लीबख्भा हो क्योंकि वहां ऐड-मिनिस्ट्रैटर है

लेकिन जहां तक मार्किटिंग कमेटी का सम्बन्ध है, उनका तो बेड़ा ही गर्क है। इन्होंने हरियाणा प्रान्त की बिल्कुल तसल्ली कर रखी है।

श्री ओमप्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दो घंटे की टाईम लिमिट है लेकिन बोलने वाले अभी बहुत से मैनबर साहबान है।

Chaudhri Dal Singh: Only one minute.

Mr. Speaker: The hon. Member himself is a party to this decision.

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं केवल एक मिनट और लूंगा। ऐजुके इन डिपार्टमेंट के अन्दर स्पीकार साहब सन 1972 से 367 एम्पलाईज ऐसे है जो सैन्टर के है। वे ऐडमिनिस्ट्रे न के तौर पर तो हरियाणा प्रान्त के तहत है लेकिन उनका सारा खर्चा भारत सरकार देती हैं परन्तु मजे की बात यह है कि उनको न तो हरियाणा प्रान्त के बैनिफिट मिलते है और न ही सैन्टर के मिलते है। स्पीकर साहब, मेरी गुजारि । यह है कि उनके बारे में सरकार एक फैसला करे कि जो सैन्टर के 367 मुलाजिम ऐजुके इन डिपार्टमेंट के अन्दर है, जिन्होंने रिप्रैजैन्टे इन दी है, आया वे हरियाणा प्रान्त के बैनिफिटस ले सकते है या सैन्टर के बैनिफिटस ले सकते है। अगर हरियाणा सरकार उन्हे नहीं चाहती तो भी साफ लफजों में कहे ताकि वे सैन्टर में चले जायें। यह गुजारि । करते हुये , स्पीकर साहब,

अगर आप और टाईम नहीं दते तो मैं बैठ जाता हूं। आपका मैं म कूर हूं कि आपने मुझे टाईम दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के०एन०गुलाटी(फरीदाबाद): स्पीकर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो अपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया। जहां तक इस एप्रोप्रिए इन बिल का सम्बन्ध है यह बिल्कुल ठीक है। जहां तक डिफरेंट डिमांडज के लिए पैसा देने की बात है, यह भी ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अनथक कोर्िंग करता है कि गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक इन्ट्रैस्ट के लिए खर्च हो। लेकिन चूंकि हम लोग भी फील्ड में काम करते हैं, काम होता हुआ देखते हैं इसलिये मैं कुछेक बातें सुझाव के रूप में आपकी मार्फत हाउस के सामने रखना चाहता हूं ताकि डिपार्टमेंट के आफिसर्ज और आनरेबल मिनिस्टर साहबान उनकी तरफ ध्यान दे।

स्पीकर साहब, जनरल एडमिनिस्ट्रे इन के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देखने में आया है कि कुछ ऐम्पलाईज काफी-काफी देर तक टैम्पेरेरी तौर पर चलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर सो गल वैलफेयर डिपार्टमेंट की बात मैं आपको बताता हूं। एक अनस्टार्ड क्वै चन का जवाब मुझे मिला है। उसके मुताबिक 92 ऐम्पलाईज परमानैन्ट हे और 135 टैम्पेरेरी है जो कि काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारि है कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे वह सो गल वैलफेयर हो चाहे पब्लिक हैल्थ हो, उनके लिए एक लिमिट तय हो जाए कि मैक्सिमम दो साल या

तीन साल के अन्दर-अन्दर वे बकायदा परमानैन्ट हो जाएंगे ताकि ऐम्पलाईज को इससे कुछ सहूलियत मिले।

स्पीकर साहब, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि एस०डी०ओ० (सिविल) और एस०डी०एम० के पास बड़ा वर्क लोड है। मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि एस०डी०ओ० (सिविल) और एस०डी०एम० की पोस्ट्स अलग-अलग कर दी जाये तो वर्क लोड भी कम हो जायेगा और तेजी से काम भी होगा।

स्पीकर साहब, मैं कई दफ्तरों में अक्सर जाता रहता हूँ। ठीक है, काम तो चलता है लेकिन कुछ-कुछ रिप्रैजैन्टे न काफी देर तक पड़े रहते हैं। उनका न तो 'न' में और न ही 'हां' में जवाब मिलता है। अगर हर रिप्रैजैन्टे इन फस्ट डे पर ऐकनौलेज कर दिया जाए, उसके बाद भले ही महकमा कुछ देर के लिए उसे अपने पास रख ले, तो उससे लोगों को कम से कम यह तसल्ली मिल जाये कि उनके लेटर की पहुंच का जवाब तो आ गया है।

इसके बाद, स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने फरीदाबाद को 'ए' क्लास सिटी करार दिया है ओर वह अपने ऐम्पलाईज को सी०सी०ए० देती है। अगर इसी तरह स्टेट सरकार भी उसे 'ए' क्लास सिटी मानकर सी०सी०ए० अपने ऐम्पलाईज को दे दे तो ठीक रहेगा।

होम डिपार्टमेंट के मुताल्लिक, स्पीकर साहब, मेरी गुजारि । यह है कि मैं मानता हूँ कि हमारे यहां ला एंड आर्डर बिल्कुल ठीक है ओर बहुत अच्छे ढंग से यहां ला एंड आर्डर चलता है। मेरे फरीदाबाद में दो थाने है, एक पांच सैक्टर में और एक 15 सैक्टर में। उन दानों थानों को मथुरा रोड डिवाईड करता है। एक थाना मथुरा रोड के इधर है तो दूसरा थाना मथुरा रोड के उधर है लेकिन दूर-दूर के देहात ओर भाहर बड़े अजीब ढुंग से उन थानों के साथ लगे हुये है। तो मेरी गुजारि । है कि बहुत बेहतर होगा यदि उस मथुरा रोड को ही डिवाईडिंग लाईन मानते हुये नीरैस्ट पुलिस स्टे ।न एण्ड नीयरैस्ट प्लेस के हिसाब से उस तरफ के देहात ओर भाहरी हल्के उस तरफ के थाना को दे दिए जाएं ओर इधर वाले देहात ओर भाहरी इलाके इधर वाले पुलिस स्टे ।न को दे दिए जायें।

स्पीकर साहब, मैं रैवंन्यू डिपार्टमेंट के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि हर तहसील में रजिस्टरी होती है। ये रजिस्टरियां 60 परसैन्ट गरीब लोग कराते हैं गरीब लोग 20-25 हजार रूपये तक की रजिस्टरियां करवाते है। उनसे भी रैडकास या स्माल सेविंग का गवर्नमेंट के इन्ट्रैस्ट की चीज है। लेकिन मैं आपकी मार्फत इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि डिस्कि ।नरी वर्ड को उड़ा दिया जाये। जो फरीदाबाद में 20-25 हजार रूपये तक की रजिस्टरी कराये उससे कोई डोने ।न न लिया जाये क्योंकि कई दफा डिस्की ।न की पावर का मिस-यूज भी होता है। जो

धनाढ्य लोग है अगर वे कोई चीज बेचते है या लेते है उनसे कोई फिक्स्ड अमाउन्ट डोने इन के जरिए ले ली जाये। अच्छे काम के लिए है , ली जाये। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत टैक्सों इन के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की अटेंशन न ड्रा करना चाहता हूं। आज के जमाने में जहां सारे भारत में हाउस टैक्स व प्रॉपर्टी टैक्स एक है, प्रॉफे इनल टैक्स नहीं हैं। ठीक है, हमारे लीडर आफ दी हाउस ठीक ही सोचते है, बेहतरी के लिए ही सोचते है। लेकिन मैं एक सुझाव के तौर पर कहूंगा कि आउस टैक्स, प्रॉफे इनल टैक्स को मर्ज करके प्रॉपर्टी टैक्स में रिवाइज कर दिया जाये ओर अगर उसकी दरें भी बढ़ाना चाहते है तो वह भी बढ़ा दी जाये लेकिन तीनों टैक्सों को एक कर के प्रॉपर्टी टैक्स रिवाइज्ड टैक्स में ले लें तो बड़ी अच्छी बात हो जायेगी।

भाराब बन्द करने के बारे में भी मैंने एक सुझाव दिया था और आज फिर देता हूं। डिवैल्पमेंट टैक्स लगाकर इस कमी को पूरा कर लिया जाये। जितना अब रैवेन्यू आता है उसको पूरा करने के लिए उसका नाम डिवैल्पमेंट टैक्स हो जाये। ऐसा करने से भाराबबन्दी मुमकिन हो सकती है। बाकी तो जो कुछ होगा वह सैन्टर की तरफ से होगा लेकिन स्टेट्स भी अपने-अपने तौर पर अच्छे ढंग से सोचें तो यह भाराब बन्द हो सकती है।

जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि सेल्ज टैक्स सेल पर नहीं है परचेज पर है। यह ठीक है कि ग्राहक से सेल्ज टैक्स लिया जाता है। क्यों नहीं इस परचेज टैक्स में कनवर्ट कर दिया जाये या दिल्ली के बराबर इसके रेट्स कर दिये जायें? हरियाणा की मंडी दिल्ली से चलती हैं तब हम दिल्ली की मंडी को कम्पीट कर सकेंगे।

स्पीकर साहब, कल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने भी मेरा हवाला दिया। उन्होंने चाइल्ड टैक्स की बात कह। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस प्वायंट को टच तो किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सैन्टर सरकार, स्टेट सरकार एक एम0एल0ए0 की आवाज को सुनें तो यह जो सैन्टर ने एक करोड़ रूपया रखा है यह पैसा बच सकता है। तीसरा इतु होते ही टैक्स लगा दें। अगर तीसरे इशु पर टैक्स लगा दें और जो फैसिलिटीज दी जाती है, वे भी विदड्रा कर ली जायें, अगर यह रूलज बन जायें, एक्ट बन जाये तो पैसा भी बच जायेगा और आबादी पर भी पाबन्दी लग जायेगी। कोई तीसरा बच्चा बनायेगा तो उस पर चाइल्ड टैक्स लगा दिया जाये। फैमिली प्लानिंग सिस्टम को बन्द किया जाये।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह जो प्रोपोजल गुलाटी साहब रख रहे हैं टौर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ताईद करते हैं, ये दोनों बुढ़े आदमी हैं। अगर ऐसा करना है तो सोच-समझ कर करना।

श्री के०एन०गुलाटी: स्पीकर साहब, मेरे दिमाग में यह प्वांयट आ चुका है। विद ड्यू रिस्पैक्ट मैंने लगातार यह कहा है ओर इसे मैं जारी रखूंगा। सैन्टर में भी इसके लिये कोर्ण्डिनेट करूंगा कि चाइल्ड टैक्स लगाया जाये और फ़ैमिली प्लानिंग स्कीम बन्द की जाये।

स्पीकर साहब अब मैं एजुकेशन के बारे में इतना कहना चाहता हूँ हमारे यहां मदर टीचर्स 70 के करीब है। वे पांच साल से काम कर रही है। उनके साथ बड़ी हार्डशिप हो रही है। वे बड़ी गरीब फ़ैमिली से हैं। सरकार ने जहां एजुकेशन डिपार्टमेंट में 700-1100 के सिलैबल इन ग्रेड लैक्चरर को दिये है, वहां इन गरीबों का भी भला किया जाये। वे तो पहले भी गुजर कर रहे थे और अब भी कर रहे है। ये 70 परिवार जो पूअर फ़ैमिली की गर्ल्स है जिनकी सर्विस पांच साल से उपर हो गई है उनको रैगूलर सर्विस में ले लिया जाये। वे फुल टाई पर फुल पैसे पर काम करें।

स्पीकर साहब, अब मैं सोशल वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। विड्डो होम अलाटमेंट होनी है। मिनिस्टर साहब ने भी ए योरैन्स दी हैं अब भी उन्होंने कहा कि कोर्ण्डिनेट करेगें। मैं उनका मकूर हूँ। गरीबों की तरफ जयादा ध्यान दिया जाये। इन गरीब विड्डोज को जो 20-25 रह रही है, इनको अलाटमेंट कर दी जाये। ओल्ड एज पेंशन जो आजकल

25 रूपये है, इसको भी 35 रूपये कर दिया जाये तो बड़ा अच्छा होगा।

सिविल सप्लाइ डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि काफी देर से जो आफिशियल खाली बोरी रिप्लेसमेंट के बारे में सस्पेंडिड है, उनको बहाल किया जाये। जिनकी गलती है उनको सजादी जाये। जो ठीक है उनको बहाल किया जाये ताकि उनके दिमाग में भी सैटिसफैक्शन आये। जिनकी बहुत कम रिप्लेसमेंट है, कम से कम उनको तो जल्दी से री-इनस्टेट कर दिया जाये।

स्पीकर साहब, समाज के अन्दर सारे भारत में और हरियाणा में खास कर लेबर एरिया में मजदूरों में हाहाकार मची हुई है। मैं व्हीट के मुताल्लिक फरीदाबाद के बारे में कहना चाहता हूँ। फरीदाबाद दिल्ली के नजदीक है। वहां पर मजदूरों की आबादी बहुत है। वहां पर आटा कम मिलता है। अगर हमारी सरकार ऐसे मजदूर वर्ग की तरफ ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। उनको ज्यादा से ज्यादा आटा दिया जाये और उनकी तसल्ली करायी जाये। फरीदाबाद से लोगों को गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा। दो डी0एफ0एस0ओ0 गुड़गांव में बैठे हैं। दो की वहां क्या जरूरत है? एक फरीदाबाद से होडल तक दे दिया जाये तो लोगों का काफी भला होगा। यह एडमिनिस्ट्रेटर की बात है।

इन्डस्ट्री और एग्रीकल्चर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है कि काफी हद तक पानी कम हो गया। बिजली में काइसिज आ गया है। हमारी सरकार अच्छे ढंग से चल रही है। जितनी भी बिजली उपलब्ध हो सकती है, लेने की कोशिश कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देहाती भाइयों को डे-टाईम में बिजली दी जाये और फ़ैक्टरीज में राम को दी जाये। डे-टाईम में बिजली देनेसे किसान अपनी खेती में पानी अच्छी तरह से दे सकते हैं। फ़ैक्टरीज में रात को देने से लेबर वेजिज लौस न होगा।

बिल्डिंग और रोड के मुताल्लिक इतना ही कहना चाहता हूँ। कोई भी रोड बनाते समय पता नहीं ठीक प्लानिंग नहीं होती है या क्या कारण है, सड़कों में कट पड़ जाते हैं। पानी किनारे पर आ जाता है, बंडज टूट जाते हैं। तो इनकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए। सही रोड बनाये जाये। जब तक प्लानिंग पूरी तरह से न हो तब तक रोड भुर्रु न की जाये। इतनी मेरी दरखासत है, सुझाव है। अगर सड़क बन कर टूट जाती है तो स्टाफ वालों का फर्ज है कि आते-जाते वक्त देखें कि कहां पर रिपेअर की जरूरत है। जहां पर रिपेअर की जरूरत हो, वहां पर फौरन रिपेअर कर दी जाये ताकि सड़क का ज्यादा डेमेज न हो। टूटने पर मरम्मत की जाती है तो ज्यादा खर्च करना पड़ता है। स्पीकर साहब, मेरे यहां एक पाली रोड है। उसके बारे में मैं सन 1972 से यहां हाउस में चिल्ला रहा हूँ। उस रोड के बारे में हाउस में अ योरैन्स भी है,

उसकी थोड़ी सी साईड बाकी है। अगर फाइनेन्स डिपार्टमेंट से या मार्किटिंग कमेटी से कहीं से भी थोड़ा बहुत भी फन्ड मिल जाये तो यह लिंक रोड पूरी हो जायेगी। दूसरे बल्लभगढ़ की लिंक रोड है। यह हरियाणा बनने से पहले की बनी हुई है। किसानों की इस रोड के लिए सख्त डिमांड है। अगर इस रोड को भी पूरा कर दिया तो बड़ी कृपा होगी।

स्पीकर साहब, एजुके ान की एक बात रह गई है वह भी अर्ज कर देता हूं। फरीदाबाद सारे हरियाणा के अन्दर बहुत बड़ा एरिया है। यह सारे भारतवर्ष में बड़ा म ाहूर इलाका है। वहां पर बी०ए० तक की एजुके ान कोई मायने नहीं रखती है। ठीक हैं, इसके लिये यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्ज होंगे लेकिन यह भी तो सरकार ही बनाती है। रोज नये-नये एक्ट और बिल हमारे सामने आते हैं ओर हम रोज पास करते हैं। मेरा इस बारे में निवेदन है कि एम०ए० तक एजुके ान आजाद हिन्हदुस्तान में फरीदाबाद के लोगों को इवनिंग क्लासिज द्वारा दी जाये। वहां पर इवनिंग कालेज हैं। अगर इसके लिये बिल्डिंग की जरूरत है तो वहां पर जो मिडल स्कूल या हायर सैकंडरी स्कूल की बिल्डिंग हैं, उनमें क्लासिज चालू की जा सकती है। (घंटी)

स्पीकर साहब, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। मैंने सुबह क्वै चन आवर में भी कहा था और अब भी जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि एक लेबर कोर्ट और एक लेबर ट्रिब्यूनल से काम नहीं चलता है। लेबरर्ज को दिक्कत पे ा आती है। काफी

समय तक केस का फैसला नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लेबर कोर्ट और लेबर ट्रिब्यूनल एक-एक और चाहिये।

स्पीकर साहब, फरीदाबाद में कंज्यूमर स्टोरज की इलैक्शन हो रही है। लेटैस्ट स्कीम के मुताबिक लोगों को पलवल जाना पड़ेगा। यह एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। जब इलैक्शन फरीदाबाद में हो रही है तो स्क्रिप्टनी और विद्वाल के लिए पलवल जाना पड़ेगा जबकि इलैक्शन फरीदाबाद में हो रही है। इसके लिए फरीदाबाद में ही आफिस बनाया जाये ताकि लोगों को पलवल न जाना पड़े।

फरीदाबाद कम्पलैक्स का एरिया बहुत बड़ा है। वहां पर दो या तीन लोकल बसें चलती हैं, उनसे गुजारा नहीं होता है। कम से कम वहां पर पांच लोकल बसें होनी चाहिये। वहां पर सारे एरिया में लोकल बस बड़े अच्छे तरीके से चल सकती है। अगर सरकार दूसरी बात कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। लोकल बस को वहां से वापिस ले लें और वहां पर कम्पलैक्स में मिनी बसें चलायी जायें। वहां कम्पलैक्स वालों को इजाजत दे दी जाये तो वे खुद मिनी बस खरीद सकते हैं। वहां पर जो लोकल बस चलती है उसको वापिस ले लें। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुईं) डिप्टी स्पीकर सहिबा, टूरिजम डिपार्टमेंट हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरियाणा में बड़ी अच्छी-अच्छी जगह बनायी गयी है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें भाहर में ही हैं, देहाती भाई देखते ही रहते हैं। हमारे यहां भी देहातों में कोई

अच्छी चीजें बनायी जायें ताकि वे भी ऐन्टरटेनमेंट कर सकें। भाम को, राम को अच्छे हालात देख सकें। इसलिये टूरिजम डिपार्टमेंट देहातों में भी कोई ऐसे कार्यक्रम अपनाये जिससे कि देहातों को भी फायदा हो जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं लोन्ज डिपार्टमेंट को एक सुझाव देना चाहूंगा।

एक आवाज: भाराब की मांग कर लो?

श्री के०एन०गुलाटी०: आपकी अपनी नीति है, मेरी अपनी नीति है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, लोन्ज एण्ड ऐडवान्सिज के मुताल्लिक मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की यह पालिसी अच्छी है कि वह लोन देती है। इससे पब्लिक के कई किस्म के इन्ड्रैस्ट्स पूरे होते हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो लोन्ज डिपार्टमेंट है, वह गवर्नमेंट ऐम्पलाईज को बिल्ट-अप हाउसिज के लिये ओर प्लाट्स के लिये तेजी से लोन दे। उनकी ऐप्लीके ान की तरफ जल्दी ध्यान दिया जाना चाहिए और लोन के लिये जो डेट फिक्स की होती है, उसके अन्दर ही गवर्नमेंट ऐम्पलाईज को लोन दे दिया जाना चाहिए ताकि वे भी हमारी सो ालिजम की पालिसी का फायदा उठा सकें ओर अपना एक हाउस ओन कर सकें। गवर्नमेंट ऐम्पलाईज के साथ ही मैं एम०एल०एज० के लिये भी कहना चाहता हूं। मैं खुद एक विधायक हूं। किराये पर रहताहूं और मेरी कोई जायदाद नहीं है। इसलिये

मेरी अर्ज यह है कि एम0एल0एज0 को बिल्ट-अप हाउसिज के लिये लोन मिलना चाहिये क्योंकि प्लाट हम बना नहीं सकते, कभी सीमेन्ट की कमी है तो कभी ईन्टों की कमी है। एम0एल0एज0 को भी बिल्ट-अप हाउसिज के लिये लोन सैव इन कर दिया जाये ताकि हम भी कोई रैडीमेड हाउस लेकर हाउस-ओनर बन सकें। इन अल्फाज के साथ मैं चेयर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया।

चौधरी दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आनरेबल मेंबर श्री गुलाटी ने यह कहा है कि उनके पास मकान नहीं है। मैं उन्हें आफर करता हूँ कि मैं उन्हें एक एकड़ जमीन मुफ्त देता हूँ, वे आये और उसमें रहे जायें।.....(गोर व व्यवधान).....

श्री ओम प्रकाश गर्ग: डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी दल सिंह जी जो जमीन गुलाटी साहब को आफर कर रहे हैं, क्या उसे वहाँ के हरिजनों को आफर करेंगे?

चौधरी दल सिंह: मैंने पहले ही हरिजनों को 20 बीघे जमीन आफर कर रखी है। आप फिक्र न करो।

श्री रामधारी गौड(गोहाना): उपाध्यक्ष महोदया, एप्रोप्रिए इन बिल के जरिये हाउस से यह मांग की गयी है कि कल जो रकम पासकी गयी है उसको खर्च करने की सरकार को इजाजत दी जाये। उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती है कि हमारी जो डिमान्डज हैं, इनमें ज्यादा रकम वही है जो विकास के कामों

में लगायी जायेगी। इससे नेक काम ओर क्या हो सकता है? फिर हाउस इसके लिये इजाजत क्यों नहीं देगा? मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि वे टैक्स फी बजट जाये है और इसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कामों के लिये खर्च होगा जिससे हरियाणा की उन्नति होगी और आमदनी बढ़ेगी। इससे लोग खुशहाल होंगे। मेरेविचार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिये और पैसा चाहिये क्योंकि इस एप्रोप्रिएटान बिल में उनके लिये कम पैसा रखा गया है। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने पानी के लिये बिजली के लिये और खाद वगैरा देने के लिये बहुत अच्छे उपाय किये हैं लेकिन आज जमीन की हाजत ऐसी हो गयी है कि वह छोट-छोटे टिब्बों में बंट कर रह गयी है। अब जमीन इकोनॉमिक नहीं है। इसलिये कोई न कोई ऐसी तजवीज सोची जाये या कोई ऐसाबिल लाया जाये जिससे कि 10 एकड़ से नीचे जमीन की तकसीम न हो सके। देहातों में ऐसा देखा गया है कि एक-एक फ़ैमिली के पास दो-दो, तीन-तीन बीघे या एक-एक एकड़ जमीन भी नहीं रह गयी है। आप ही बताइये कि जिस घर में या जिस फ़ैमिली में 10 आदमी हो और उनके पास एक यादो एकड़ जमीन हो तो वह कैसे काम चला सकते हैं। जमीन की फ़ैगमेंटेशन होते-होते बहुत नीची आ गयी हैं इसलिये मेरी अर्ज यह है कि 10 एकड़ से नीचे जमीन की तकसीम नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे कि अगर तकसीम नहीं होनी चाहिये तो फिर क्या होना चाहिए? मैं यह कहूँगा कि कोई परिवार बे एक फ़ैमिली के ढंग से अलग हो जायें लेकिन वह खेती

इक्की करे। उनको जमीन को बांटने की अलालत नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे अच्छे ढंग से खेती हो सकेगी और उत्पादन ज्यादा होगा। मैं आपके जरिये हाउस से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इन्टेंसिव कल्टीवे इन नहीं करेंगे तब तक पैदासवार का बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने अभी बताया है, जमीन के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं और हम जिस पुराने ढंग से खेती करते जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें कोई न कोई रास्ता ढूँढना पड़ेगा। हम अब भी देहातों में यह देखते हैं कि जमींदार कहीं से बीज ले कर बो देता है लेकिन वह बीज काम का नहीं होता। उसके बाद चाहे कितनी ही अच्छी खद डालें, कितना ही पानी दें लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। हम जो पानी देते हैं ओर बिजली खर्च करते हैं, वह सब बेकार हो जाती है। यह सब बीज के खराब होने की वजह से होता है। मेरी गुजारिश यह है कि ऐसी कोई पाबन्दी होनी चाहिए कि फाउन्डेशन सीड के अलावा कोई और दूसरा बीज न बोआ जाये क्योंकि बीज की वजह से पैदावार में कमी पड़ जाती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अन्दर कम से कम 7-8 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें सेम हो गयी है, थूड़ या कल्लर हो गयी हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम 7-8 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें बीमारी भुरु हो गयी है। और वह जल्दी ही सेम या थूड़ हो जायेगी क्योंकि उसमें ऐसी बीमारी लग चुकी है। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि इसके रिकलेमेंट इन के लिये जो पैसा रखा गया है, वह बहुत थोड़ा

है और जो समय मांगा गया है, वह बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि रिक्लेमेन्ट्स के लिये वार-फुटिंग पर काम होना चाहिए। जल्दी से जल्दी जमीन को रिक्लेम करके किसानों को वापिस दिया जाये क्योंकि एक कहावत है:-

ता तरयात अज़ ईराक आवरदा समद मार गजिन्दा मुर्दा भवदः ।

ऐसा न हो कि जब तक वह दवा ईराक से लायी जाये तब तक सांप का काटा हुआ मर ही जाये। ऐसा न हो कि हम 10 साल लम्बी स्कीम बनायें ओर उससे पहले ही हमारा बहुत नुकसान हो जाये। कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं जिससे कि वे अपनी जमीन ठीक कर सकें। खेती के अलावा उनका कोई और धन्धा नहीं है। देहातों में इसके अलावा एक बात और है देहातों में जाइयें। बहुत बड़ी पापुले हैं ऐसी हैं जिसके लिये कोई भी काम काज नहीं है। वे क्या काम करें, उनको पता नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी अपने हल्के में जाती होगी? आप हर जगह एक ही बात देखेंगी कि लोग यह कहेंगे कि ये बच्चे हैं, इनको कहीं नौकरी दिलाओ। इनको कहीं काम दिलाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि देहातों में बेकार इतने हो गये हैं कि जब आप जायें तो सिवाय इस काम के कि इसको लगवा दो, उसको लगवा दो, और कोई बात नहीं होती। बेकारी को खत्म करने के लिये वहां पर दस्तकारी का होना जरूरी है। जमीन को हम बढ़ा नहीं सकते लेकिन आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती

जा रही है। आज किसान की हालत ऐसी हो गयी है कि उसके घर में अपने बच्चे ही खाली बैठे हैं। अब जबकि दसवीं पास करने के बाद नौकरी तो मिलती ही नहीं है तो आखिरकार वे खेती ही करेंगे। जब जमींदार के पास इतना काम भी नहीं है कि वह अपना गुजारा चला सके तो जिसके पास जमीन नहीं है जो लैंडलैस या भूमिहीन है, आप ही सोचिये उनका क्या हाल होगा? इसलिये मेरा कहना यह है कि जब तक देहातों में दस्तकारी नहीं होगी तब तक कुछ सुधार नहीं हो सकता। अब क्या होता है? हम लोग लोन देते हैं। उस लोन का क्या होता है? जो हजार-दो हजार रूपया लोन मिलता है, उसको लेने में ही कम से कम सौ-दो सौ रूपया खर्च हो जाता है। अगर किसी गरीब आदमी को पैसा मिल भी जाता है तो उसके लिये कोई गाइडैन्स नहीं हैं वह बेचारा एक तरफ पैसा लिये होता है तो दूसरी तरफ घर वाले आकर खड़े हो जाते हैं कि अब तो सरकार से पैसा मिल गया है, कुछ दे दो। कुछ पैसा वह ले जाते हैं। बाकी कुछ पैसा जो बचता है, वह दूसरे धन्धे में लग जाता है इसलिये उस पैसे की वापसी जो है, वह बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने खुद ऐसे आदमी देखे हैं जो इस वजह से हवालात में बैठे हुये हैं क्योंकि वे लोन का पैसा वापिस नहीं दे सके। इसकी वजह क्या थी? न तो उसकी गाइडैन्स मिली, न उसको कोई साधन मिले, इसलिये जो लोन उसको मिला, वह जाया हो गया। इसके लिये दो-तीन डिपार्टमेंट बहुत अच्छी मदद दे सकते हैं। कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इस ओर बहुत अच्छी मदद दे सकते हैं। कोआप्रेटिव सोसाइटीज बनायी

जायें और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को कहा जाये कि वह ऐसी सोसायटीज को लोन दे। देहातों में कुछ ऐसी दस्तकारियां हैं जिनमें बास्केट मेकिंग का, टोकरी बनाने का, मूढ़े बनाने का, निवाड़ बनाने और कई किस्म की चीजें बनाने का काम हो सकता है। दरियां बनाने का भी काम हो सकता है। देहात के अन्दर छोटे घरेलू काम धन्धे कायम किये जाये तभी देहात के लोगों में भाहरों की तरफ आने की भावना कम हो सकती है। जो लोग देहात से भाहरों में आते हैं उनको न यहां पर मकान मिलते हैं और न कोई दूसरी सहूलियतें मिलती हैं। अगर वे सहूलियतें उनको देहात में ही दे दी जाएं तो बहुत अच्छा हो और इससे जो भूमिहीन लोग हैं या छोटे जमींदार जिनके पास जमीन थोड़ी है और कुनबा ज्यादा है, उनका गुजारा हो सकता है उनको दस्तकारी में ही लगाकर देहात से बेरोजगारी खत्म हो सकती है। जब लोगों को काम धन्धे नहीं मिलेंगे तो मुल्क में अस्तित्व फ़ैलेगी और फिर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकेगी। सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई है वह फ़ैंगमेंट्स इन आफ लैंड होल्डिंग के बारे में बताई है।

एक ओर विशय में मैं बोलना चाहता हूँ। वह कानून तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है, हरियाणा सरकार का नहीं है और वह है लड़कियों को जमीन देने का। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इससे बहुत झगड़े पैदा होते हैं। काफी लिटिगेशन हो रही है। कम से कम जिसके पास थोड़ी जमीन है उसमें से तो लड़कियों को न दी जाए। इसको बचाने के लिए कुछ किया जाये। हम यह चाहते हैं

कि लड़कियां को सहलियतें पहुंचें। आप जानती है कि हमारे समाज का एक पुराना सिस्टम था कि जब तक लड़कियां जिन्दा हैं, उनके बच्चे जिन्दा हैं, उसको आए साल भाई या बाप अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ देता रहता था। कभी भात दिया जाता है, कभी छूछक दिया जाता है। वह प्रथा अब खत्म होती जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो जमीन में लड़कियों का हिस्सा है, यह खत्म होना चाहिए और मैंने यह तजवीज भी दी थी कि दस एकड़ से कम जमीन को आप तकसीम न होने दें। (घंटी)

उपाध्यक्ष: गौड़ साहब, आप कितना समय और लेंगे?

श्री रामधारी गौड़: मेरे एक-दो प्वांयट और हैं। जैसे मैंने अभी बताया, बिजली पैदा करने के लिए थर्मल प्लांट की बात कोई नई नहीं है। यह सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। बोर्ड की तरफ से फरीदाबाद में, व पानीपत में काफी काम हो रहा है और यह सरकार आगुमैंटे इन कैनाल के जरिये पानी बढ़ाने की भी काफी कोशिश कर रही है। तो बिजली और पानी के लिए बहुत कुछ हुआ है। लेकिन कुछ जगह पानी खारा है, उसको भी इस्तुमाल किया जा सकता है। मीठे पानी में खारे पानी का कुछ हिस्सा मिलाकर नहरों में डाल दिया जाये। मुझे उम्मीद है कि अगर आठ-दस हिस्सा खारे पानी का मीठे पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जाये तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि वह खाद का काम देगा। इरीगे इन छिपार्टमेंट को यह तजुर्बा करना चाहिए कि किस मिकदार में खारे पानी में मीठापानी मिलाया जा सकता है।

अगर दसवां हिस्सा भी पानी का बढ़ जाये तो कितना अनाज पैदा होगा इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जल्दी कर रही है और टाईम भी कम है लेकिन मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं। इस बिल को पास करने में हमें कोई इतराज नहीं हैं बल्कि विकास के काम पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, इससे खुशी है। मैं एक बार फिर मुबारिकबाद देता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री हरि सिंह(सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका मकूर हूं कि आपने सारे कैंडिडेट्स में से वाकई मुझे ही अच्छा समझा और टाईम दिया। मैं यह विवास दिलाता हूं कि इस तरफदारी करने के लिये मैं मकूर हूं और मैं आपकी घंटी बजने से पहले ही बैठ जाऊंगा, मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आज दो-चार प्वायंट्स का आपकी मारफत इस सदन में इजहार करूंगा और सारे मੈंबरों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इन बातों पर अमल करें। अगर वे अमल करेंगे तो हरियाणा जो आज के दिन है, एक साल के बाद ही इससे दस गुणा और ज्यादा तरक्की कर जाएगा। मैंने यहां पर तीन साल के अर्से में देखा है कि लोग यहां पर फिजूल की और खामखाह की बात करते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। जनता हमको अपना प्रतिनिधि चुनकर चहां भेजती है। अगर हम यहां नुक्ताचीनी न करके सुधार का काम करें तो ज्यादा अच्छा रहें। मैंबर साहिबान यह कहते रहते हैं कि ऐसा या वैसा होना

चाहि, सरकार को ऐसा करना चाहिए, जनता के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। इस किस्म की बहुत लम्बी-चौड़ी बातें यहां की जाती है। अगर वह वाकई दिल से ऐसी बातें करते हैं तो उनको चाहिये कि वे आदमी अपने ख्यालात को जिसको वह अच्छा समझते हैं, उनको प्रैक्टिकल भोप दें हर आदमी प्रैक्टिकल होना चाहिये। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी चाहता है कि करण्डान नहीं होनी चाहिये तो उस आदमी को सब से पहले अपनी गिरेबांन में मुंह डालकर देखना चाहिये और अगर वह करण्ड है तो उसको करण्डान छोड़ देनी चाहियें। जब वह करण्डान छोड़कर ईमानदारी से चलेगा तो उसके आसपास में रहने वाला आदमी जो उसको देखेगा, उसकी तरफ ईमानदार होने की कोशिश करेगा। दूसरी बात जो है वह यह है कि लोग कहते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिये। इसलिये मेरा कहना है कि पहले तो आदमी को अपने उपर कन्ट्रोल करना चाहिये और फिर दूसरों को कहना चाहिये। कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिये। सरकार को यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। मेरा कहना है कि इस काम में भी आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहियें। थ्योरेटिकल बातों से काम नहीं चलता और न ही जबानी बातों से प्रोडक्शन बढ़ने वाली है। अगर हम थ्योरेटिकल घोड़े दौड़ाते रहेगें तो इससे पैदावार नहीं बढ़ेगी। अगर हम वाकई चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े तो प्रैक्टिकल डिमौन्सट्रेशन देकर लोगों, को बताएं कि इसतरीके से पैदावार बढ़ सकती है। उनको बताएं कि ऐसी खाद होनी चाहिये इतनी

दफा डालनी चाहिये, इतनी दफा पानी देना चाहिये। गांवमें जो अनपढ़ जमींदार है उनको समझाना चाहिये, रैलीज करनी चाहिये। गांव के लोगों को बताना चाहिये कि वह अपना बजट कैसे बनाए। फैमिली प्लानिंग कैसे करे। जितनी बातें उन गांव वालों को बताएं, खुद उससे दस गुणा अकेले करके दिखानी चाहिये कि ऐसे काम होता है। तब हरियाणा काफी तरक्की कर सकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी मैं पिछले दिनों इंडिया की पांच-छः स्टेटों के अन्दर घूम कर आया हूं। लेकिन जैसा ला एंड आर्डर यहां है, वैसा कहीं नहीं है। खेती की प्रगति और दूसरी चीजों की तरक्की जितनी हरियाणा में है, उतनी कहीं नहीं है। यह एक असलियत है कि हरियाणा वाकई एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और इसने हर तरफ तरक्की की है। दूसरी स्टेटों में जाने से पता चलता है कि वाकई हमारी सराकर ने इतनी भारी तरक्की की है और अगर हम इसको ओर तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिकल आदमी बनना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज ही यहां क्वै चन आवर के समय सड़कों के बारे में बहस चल रही थी। जब यह सड़कें सरकार बना रही थी तब मैंने उनको देखा। जो दूसरे तीसेर फालतू किस्म के लोग थे वे कहते थे कि इन सड़कों के उपर तो एक इंचभी रोड़ी नहीं पड़ी है, स्पैसीफिके इंज के मुताबिक नहीं है। यह जो सड़कें बन रही हैं, ये बिल्कूल बकवास है। इन पर एक कस्सी भर मिट्टी डाली जाये तो एक रूपया कास्ट पड़ती है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस आधार पर वे लोग ऐसी बे-बुनियाद बातें करते थे ओर आज सरकार से कहते

है कि यहां पर सड़क बना दो, यह एक सड़क ठीक करवा दो, वह सड़क ठीक करवा दो। आज अगर सरकार ने दूसरी चीजों को इसके मुकाबले में तरजीह देकर अपनी अटैगन की डायवनि नहरों और बिजली पर कर दी है तो इसमें कौन सी बुरी बात कर दी है? डिप्टी स्पीकर साहिबा कई लोगों का तो यह रवैया ही रहा है कि उन्होंने हर बात का क्विटीसिजम करना है। चाहे सरकार कुछ भी करे, उन्होंने तो सरकार के खिलाफ ही कहना है, ठीक रास्ते पर तो चलना ही नहीं है, हमें तो ही गलत रास्ते पर चलना है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? लेकिन अफसोस यह है कि अगर वे लोग कोई प्रैक्टिकल सुझाव दें तब तो सरकार भी उन सुझावों पर विचार करे। वे तो हमें तो थियोरैटिकल घोड़े ही दौड़ाते रहते हैं। कम से कम उन्हें प्रैक्टिकल चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर वे कोई प्रैक्टिकल काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) हर लाइफ एक मिसालों में मिसाल बनकर सामने आएगी तो उसकी बात सरकार भी सुनेगी और जनता भी सुनेगी और इस प्रान्त का, इस देश का हर तरह से फायदा भी होगा। इन भावों के साथ, स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): स्पीकर साहब, बजट अब दूसरी और आखिरी स्टेज में है। सबसे पहले बजट पे

हुआ। फिर सप्लीमेंट्री डिमांडज आई और अब एप्रोप्रिए इन बिल आया। सरकार ने खर्च के लिये यहां पर कुछ अपनी मांगे रखी है मैं उन पर कुछ सुझाव दूंगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे उन सुझावों पर अवश्य विचार करेगी और उनको लागू करने की चेष्टा करेगी। सबसे पहले, स्पीकर साहब, जहां तक बिल्डिंगज और रोडज का ताल्लूक है, उसके अन्दर जो डिमान्डज 114691670 रूपये की मैंने देखी है, उसमें तीन मदें हैं। पब्लिक वर्क्स के लिये जो रूपया दिया गया है, उसकी फिगरज मैंने देखी है, 85 लाख 20 हजार रूपये। यह रूपया तो दफ्तरों और रैस्ट हाउसिज की कन्स्ट्रक्शन के लिये खर्च हो रहा है और एक करोड़ रूपया जनरल मैन्टीनेन्स के उपर खर्च किया गया है। एक लाख रूपया रैस्ट हाउसिज में फर्नीचर के लिये, 53 लाख रूपया मीनरी की खरीद के लिये और बाकी का सारा रूपया आप देखें कि जितना खर्च किया गया है, वह ऐसटैबलिमेंट के उपर खर्च किया गया है।

स्पीकर साहब, इसके साथ-साथ इन्होंने हाउसिंग के लिए 1953000 रूपये की मांग की है। कुछ रूपया स्लम क्लीरैन्स के लिये और एक लाख रूपया हाउस साइट्स फार लैन्ड-लैस वर्क्स के लिये मांगा गया है और बाकी का सारा खर्चा ऐसटैबलिमेंट के उपर किया गया है। तो मैं आपकी मारफत, स्पीकर साहब, सरकार से यह कहूंगा कि गरीब आदमी के साथ यह इतना बड़ा मजाक क्यों किया जा रहा है? एक लाख रूपये से

तो एक से तो एक मामली बस्ती की भी स्लम क्लीयरैन्स नहीं हो सकेगी। और फिर इस में से लैन्ड लैस वर्कर्स के लिये कितने मकान बनेगे? इससे आगे इन्होंने 49304000 रूपये की राशि की रोडज एण्ड ब्रिजिज के लिये मांग की है। इसके अन्दर वर्क्स जो है, वह बोर्डर रोडज स्ट्रेटेजिक रोडज के लिये तो केवल 30 हजार रूपया रखा है और भोश एक लाख रूपये के करीब मैन्टीनेन्स के ऊपर रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट और अंदर रोडज के लिये 1 लाख 25 हजार रूपया रखा गया है पर रोडज की मैन्टीनेन्स के उपर 2 लाख रूपये की राशि रिजर्व की गई है। स्पीकर साहब, तो कहने का मतलब यह है कि इसके अन्दर सड़कें की जरूरत है, वहां के लिये इतनी थोड़ी राशि से आधा मील सड़क भी नहीं बन सकेगी। तो मैं आपकी मारफत सरकार से कहूंगा कि इन सभी स्कीमज के लिये पैसा बहुत थोड़ा रखा गया है और ऐसटैबलि मैन्ट पर बहुत ज्यादा खर्च करने का इरादा है। अगर कोई सड़कें वगैरह बनाने का इरादा नहीं है तो इतने बड़े ऐसटैबलि मैन्ट रखने की क्या जरूरत है? स्पीकर साहब, सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करे कि जो रोडज अधूरी पड़ी है, टूटी हुई हैं, बजाये इसके कि नई सड़कें बनाई जाएं, पहले उन सड़कों को पूरा किया जाए।

स्पीकर साहब, इसके साथ-साथ जहां सरकार के लिये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव के अन्दर पैसा खर्च करना जरूरी है, वहां मैं सरकार से यह कहूंगा कि सरकार यह देख ले कि जो

एस0डी0एम0, जी0ए0 और डी0 सीज0 को जुडिं गियल टाइप पावर दे रखी है, अभी-अभी उन्हें रैन्ट कन्ट्रोल की पावर दी गई है, उन्होंने इसके बाद कितने केसिज डिसाइड किये हैं? स्पीकर साहब, बजाये इसके की जुडिं गियरी की कोई में ये केसिल डिसाइड हो जाये, होता क्या है आज हालत यह है, मैं आपको करनाल की बाबत ही बताता हूँ कि करनाल में केसलि की संख्या बहुत बढ़ गई है। 40-40 केसिज होते हैं। मुन् गी वगैरह वहां बैठे हैं। तारीखों पर तारीखें दिये जा रहे हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। इससे लोगों को बड़ी परे गानी होती है। मैं तो यह कहूंगा कि जुडिं गियल कोर्ट की जो पावर्ज है, वह वापस जुडिं गियरी को दी जाएं जिससे कि लोगों को भी रिलीफ मिले।

इसके आगे स्पीकर साहब, मैं म्युनिसिपल कमेटियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। म्युनिस्पल कमेटियों में जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाये हुये हैं, वे पार्ट-टाइम लगाये हुये हैं तो मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस बात पर गौर करे। वहां पर कोई काम काज नहीं हो रहा है। एस0डी0एम0 वगैरह वहां पर घण्टा-आध घण्टा के जिये जाते हैं। कोई उनके काम की और चैक करने वाला है नहीं। वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिये म्युनिस्पल कमेटियों में होल-टाइम एडमिनिस्ट्रेटर लगाये जायें ताकि कमेटियों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ-साथ सरकार को यह चाहिये कि वह भीघाति गी म्युनिस्पल कमेटियों के चुनाव करवाये और जितनी जल्दी हो सके। पब्लिक

के नुमाइन्दे वहां पर बैठाये ताकि काम ठीक व सही ढंग से चल सके। इसके साथ-साथ मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि सेल्ज टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, आजकल उसकी लिमिट 40 हजार रुपये तक है ओर जो व्यापारी सेल्ज टैक्स पे करता है, उसको लाइसेन्स लेना पड़ता है। आजकल के वक्त में जबकि महंगाई बढ़ गई है, चीजों के भाव बहुत चढ़ गये है, इसमें छोटे-छोटे व्यापारी भी आ जाते है, दुकानदार भी आ जाते है, अतः यह 40 हजार की सेल्ज टैक्स की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख कर दी जाये ताकि उन लोगों को परे ानी न हो।

स्पीकर साहब, हमारी हरियाणा सरकार ने 500 करोड़ रुपये के लगभग जो बजट पे ा किया है, उस में प्रोफै ानल टैक्स का भी जिक्र जाता है। उससे सरकार को भाायद उतनी आमदनी नहीं होती जितनी कि लोगों को परे ानी होती है। यह जो टैक्स है, यह 800 रुपये आमदनी के लोगों से लेकर 15000 तक की आमदनी वाले लोगों के उपर लगाया जाता है। उसके अन्दर कई एम्पलाइज भी आते है। छोटे-छोटे दुकानदार भी आ जाते है, तो मैं सरकार से आपके द्वारा रिकवैस्ट करूंगा कि इस प्रोफै ानल टैक्स को खत्म कियाजाए। इसके साथ-साथ प्रोपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स का जिक्र कर रहा हूँ। इस के बारे में कई बार इस सदन के अन्दर कई मैंबर साहेबान ने भी कहा है कि एक ही प्रोपर्टी पर दो प्रकार के टैक्स नहीं होनेचाहिये। इसलिये सरकार लोगों की सहूलियत के लिये इस पर विचार करे। इन

दोनों टैक्सिज के बारे में असैसमैट के तरीके भी अलग-अलग है, और डिपार्टमेंट भी अलग है। मैं तो यह कहूंगा कि प्रापर्टी टैक्स चाहे 10 की बजाये 12 परसेन्ट कर दें लेकिन लोकल बाडीज को उस में भोयर देकर एक ही डिपार्टमेंट के अन्डर यह काम दे दिया जाये। एक ही जायदाद के उपर दो प्रकार के टैक्स नहीं होने चाहिये। इसके साथ-साथ जहां तक ऐजुके ान का संबंध है, इसके अन्दर 319553450 रूपये के खर्च की स्वीकृति सरकार इस सदन से मांग रही है और हमको इसे स्वीकार करना ही है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 32 करोड़ रूपया खर्च करने के बाद हम इस हरियाणा में से कितनी अन-एम्पलाएमेंट दूर कर पाए है और कितनी ऐजुके ान लेकर आते है वे आते ही नौकरियों की तला ा करते है। अंग्रेज ने अपनेवक्त में यह सिस्टम आफ ऐजुके ान लागू किया था क्योंकि उसको सर्वेन्ट चाहिये थे। उस समय तो ऐजुके ान ही नौकरी देने के लिये दी जाती थी। लेकिन 27 साल के बाद भी हम उस ऐजुके ान के सिस्टम को बदल नहीं सके। इस सारे ढांचे की डिवैल्पमेंट, विकास तरक्की के जितने भी कार्य हम करना चाहते है उसकी भावना जो है वह एक ही जगह आकर केन्द्रित होती है। आज जो आने वाली नसल है उनके अन्दर ज्यादा से ज्यादा एम्पलाएमेंट हो और वह अपने पैरों पर आप खड़ी हो तो उस नौकरियों की ओर न जाकर अपने हाथ से काम धंधा करने काउत्साह लाना पड़ेगा और इसके लिये हमें सिस्टम आफ ऐजुके ान को बदलना पड़ेगा। 32 करोड़ रूपया हरियाणा राज्य हर साल ऐजुके ान पर खर्च करे तो आप अन्दाजा

लगाएं कि 27 साल में हमने कितना रूपया खर्च किया ओर इतना रूपया खर्च करने के बाद भी आज हम देखते हैं कि हमारे पास अन-एम्पलाएमेंट कितनी है। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि प्राइमरी क्लास से ही कोई ऐसी चीज रखनी चाहिये जिससे कि छोटे बच्चों की मनोस्थिति को बदला जाए कि नौकरी की तरफ नहीं दौडना हे बल्कि उसे अपने हाथ से काम धंधे करने है। फिर उसके बाद मिडल क्लास से उनको काम धंधे करने के तरीक सिखाये जाने चाहिये। जैसे साबून बनाने का, जुते बनाने का ओर कई टैक्नीकल काम है, ऐसी शिक्षा देनी चाहिये। अगर ऐजुकेशन के सिस्टम को इस तरह से बदल किया जाए तो सारे प्रान्त का अच्छे ढंग से विकास हो सकता हैं और आने वाले नौजवान सड़कों के चक्कर लगाने की बजाये अपने काम धंधे करेगें इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दे। इसके बाद मैं अर्बन डिवैल्पमेंट पर आता हूं। इसके लिये सरकार 7290440 रूपये की स्वीकृति मांग रही है। इसमें ग्रान्ट इन एड टू म्युनिसिपैल्टीज 5 लाख रूपये है ओर ग्रान्ट इन एड टू इम्प्रवमेंट ट्रस्टस यह 55 हजार रूपये है। तो 5 लाख 55 हजार को छोडकर बाकी 67 लाख रूपया अर्बन डिवैल्पमेंट के महकमें पर, उनके टी0ए0 ओर मोटर गाड़ियों पर खर्च करने की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह महकमे की डिवैल्पमेंट हो रही है या अर्बन डिवैल्पमेंट हो रही है? अर्बन डिवैल्पमेंट तो तब होगी जब आप म्युनिसिपैल्टीज को एड करेगें। आप देखें कि करनाल में सीवरेज की स्कीम को चालू हूये कई साल हो गये है। जो भाहर के लिये स्कीमें थी, उनको

बाहर ले जाया जा रहा है।.....(घंटी).....। इसके आगे इस अर्बन डिवैल्पमेंट के अन्दर कैपिटल आउटले में 10 करोड़ 50लाख रूपये, प्लानिंग के उपर 6 करोड़ 60 लाख रूपये ओर ऐस्टैबलिमेंट के उपर 75 लाख रूपये और मीनरी इक्विपमेंट पर 15 लाख रूपये ओर अदर ऐक्सपेंडीचर 3 करोड़ रूपया हैं तो यह रूपया जो दफ्तरों की तामीर पर लगा रहे है, अगर यही रूपया अर्बन डिवैल्पमेंट के लिये म्युनिसिपल कमेअियों ओर इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को दे दिया जाए तो अच्छी डिवैल्पमेंट हो सकती हैं इसके बाद लेबर और एम्पलाएमेंट की बात है। इसके लिये सरकार 11540820 रूपये मांगती है लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट के उपर सिर्फ 84680 रूपये खर्च हो रहे है। आज कल लेबर बढ़ गई है और इसके कारण इनके झगडे भी बढ़ गये है। आज किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, किसी को वैसे तंग किया जा रहा है, तो ये सारे केस लेबर कोर्ट्स में ही आते है। आज आप देखें कोर्ट में 40 केस लगे हुये है लजेकिन हियरिंग मुकिल से दो की हो पाती है। इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दें। मैंने पहले भी कहा था कि मिनिमम बेजिज ऐक्ट और पेमेंट आफ वेजिज ऐक्ट, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट, वर्कमैन कम्पनसै न ऐक्ट और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट है। अलग-अलग जगह इनको फैला रखा है। हर एक जिले में क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ दो जगह ही हैं इसलिये एक अफसर को जगह-जगह भेजने की बजाए अगर हर एक जिले में एक-एक सै न जज को इस काम के लिए लगा दिया जाए तो लेबर को भी सुविधा रहेगी

और सरकार का भी खर्चा बचेगा। (घंटी) ट्रांसपोर्ट के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि उसके अन्दर भी घपले चलते हैं और सरकार इस बात को स्वीकार भी करती हैं। इस सिलसिले में मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जैवल पर ए परमानेंट कमेटी बनाई जाए जो हर महीने डिपो का देखें। तो स्पीकर साहब, इसके साथ ही (घंटी) बस जी, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए दो घंटे का टाइम फिक्स है। श्री गर्ग।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर): स्पीकर साहब, आपकी मार्फत मैं दो चार बातें ही अर्ज करना चाहता हूँ। इस बजट के अन्दर अधिकतर रूपया एग्रीकल्चर के लिए रखा गया है। क्योंकि यह सब भाइयों का पता है कि आज देश में ज्यादा उन्नति करने की जरूरत है इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर ज्यादा रूपया रखा है। इस रूपये से पानी और बिजली का इन्तजाम किया जायेगा। बिजली और पानी का इन्तजाम होने से जहाँ खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ किसान को भी फायदा होगा। इंडस्ट्री को जब बिजली अच्छी तरह से मिलेगी तो जहाँ इंडस्ट्री के मालिक को फायदा पहुंचेगा। वहाँ इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर को भी फायदा होगा। मेरे से पहले बोलने वाले मेरे भाई ने बोलते हुये कहा कि लम्बी-लम्बी तारें लगा दीं, खम्बे लगा दिये लेकिन बिजली का इन्तजाम नहीं किया। इन्होंने यह भी कहा कि इतनी देर सरकार क्या करती रही? तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस

वक्त पंजाब और हरियाणा बना, उस वक्त की गवर्नमेंट में वह सदस्य आई0पी0एम0 होते थे। जिस वक्त बिजली का बंटवारा हुआ तो वे ब।टवारा करने वालों में से थे। तो यह गलती मेरे उस दोस्त ने भी की थी। तो जहां तक बिजतल कि उत्पादन का सवाल है, उत्पादन की तरफ तभी जाया जाता है जब ज्यादा जरूरत हो जाती है। अब हमें बिजली की जरूरत ज्यादा हो गई है इसलिये हम ज्यादा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर हम पहले ही ज्यादा बिजली पैदा कर लेते तो इन्होंने यह कहना था कि इन्होंने इतनी बिजली पैदा कर दी जितनी कि खर्च नहीं हो सकती और खमखाह में रूपया खर्च कर दिया। तो ये तो इनकी अपनी नुक्ताचीनी की बातें हैं। इससे पहले भाराब की बात की गई। आप देखें कि जब से ये भाई कांग्रेस से निकल कर दूसरी पार्टियों में गये हैं तभी से भाराब की खपत ज्यादा होने लगी है। इसकी वजह और क्या है? यही है कि ये सारा दिन इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि कभी स्टुडेंट्स को बहकाते हैं, कभी मुलाजिमों को बहकाते हैं और कभी किसान को बहकाते हैं। और बहकता कोई कब है?.....(विधान).....भाराब पी कर बहकते हैं। यह भाई राम लाल जी जो हैं, आप भी बहकते होंगे, औरो को भी बहकाते हैं.....(हंसी).....। इनका बहमना तो मुनासिब है क्योंकि अगर इस किस्म का रोजगार उनका छूट जाय जिससे भाम को स्कॉच की बोटल आ जाती है, जो ओवर लोडिंग से सवारियां ज्यादा जाती थी, उससे आ जाती थी तो इनका बहकना तो जायज है, सही है.....(विधान)...मेरे कहने का मतलब यह है कि यह

इलजाम तो लगाते है गवर्नमेंट पर लेकिन मेहरबानी है इनकी खुद की इस बारे में । मेरे से पहले एक दोस्त उठे ओर कहने लगे कि जब सड़कें इतनी बनाई नहीं जा रही तो फिर इतने मुलाजिम क्यों रखे हुये है? इनका कहने का भाव यह नहीं है जो यह कहते है बल्कि यह चाहते है कि जब गवर्नमेंट कुछ मुलाजिमों को निकाल दगी तो फिर वे उनके पास जायेंगे ओर ये उनको बहकायेंगे कि आओ भाराब पीयो और एजीटे न करो ।(हंसी).....

दरअसल इनको कोई काम चाहिये और काम भी वह जो तामीरी न हो । इनको ऐसे काम से कोई कतलब नहीं जिससे दे ा का भला हो, प्रदे ा का भला हो । जो भला इन्होंने किया है, वह आप सब के सामने है । यह तो गड़बड़ करना—करवाना चाहते है लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे है ओर उनकी सरकार ऐसी है कि चह चला नहीं पाते है । यह ठीक है कि यह भाराब का प्रचार करने में बिल्कुल कायमयाब हुये है, लोगों के दिमाग को इन्होंने बिगाड़ा है लेकिन गवर्नमेंट का भला जरूर किया है क्योंकि भाराब से सरकार की आमदनी बढ़ा दी है । अगर यह प्रचार करने की बजाये गांव—गांव में जा कर लोगों को समझाये कि भाराब न पियो, यह बुरी चीज है तो बात समझ में आ सकती है लेकिन यह भाई यहां कुछ कहते है और बाहर जा कर कुछ कहते है, कुछ प्रचार करते है, मेरे एक दोस्त यहां है जो अपने आपको किसान कहते है । वह हमे ा यही बात करते है कि किसान को गेंहूं की उपज का रेट पूरा नहीं मिलता, ज्यादा नहीं मिलता । एक तरफ तो रेट बढ़ाने की बात करते है ओर दूसरी तरफ कहते है कि सरकार ने मंहगाई

बहुत बढ़ा दी लेकिन यह भाई इस बात को नहीं समझते कि जब अनाज का रेट बढ़ेगा तो क्या मंहगाई बढ़ेगी या घटेगी? इनकी ऐसी बातें कहने की भावना यह है कि देश के लोग खराब बने, गलत किस्म की बातें करे ताकि इन भाइयों को मौका मिले कि वह उन को बहका कर गलत रास्ते पर डाल सकें और गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकें। फिर यह महात्मा गांधी जी के आदर्श की भी बातें करते हैं लेकिन आप देखें कि जब से ये दोस्त इन बैंचिज से उन बैंचिज पर गये हैं तब से भाराब की खपत बढ़ी है क्योंकि इन्होंने लोगों को बहकाने के लिये, गलत रास्त पर डालने के लिये इस बात का ही प्रचार किया।

अब मैं अपने हल्का के बारे में दो-चार बातें कहना चाहता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट का ध्यान हर मामले में हरियाणा की समुचे तरक्की की तरफ है और मेरे ये भाई इस बात से बहुत चिन्तित हैं क्योंकि इस गवर्नमेंट को इस बात का कतई ख्याल नहीं कि इस हल्का में तरक्की करनी है या दूसरे हल्का में नहीं करनी है। चाहे विरोधी दल वाजों का हल्का है या सरकारी पक्ष वालों का हल्का है, सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के विकास के काम किये हैं। तो इनको इस बात की भी चिन्ता है कि कोई बात बहकाने के लिये मिल नहीं पा रही हैं। मैं हस्पतालों की बात करता हूँ। हरियाणा में बहुत सारी जगहों में बड़े-बड़े हस्पताल बनाये गये हैं जो पाच-पांच सौ ओर हजार-हजार बैड्स के हैं। नारायणगढ़ जैसी जगह पर आप देखें कितनी भानदार बिल्डिंग

बनाई गई है, जिसकी इनआग्रे इन के बारे में नारायणगढ़ के भाई कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वहां इतना बढ़िया हस्पताल बन सकता है। इसी तरह मैं अर्ज करता हूं कि कुरुक्षेत्र में भी एक बहुत आला हस्पताल बन रहा है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त हस्पतालों की फ़ैसिल्टीज की बहुत जरूरत है जैसे कि छोटे-छोटे कस्बों में इन फ़ैसिल्टीज को देने की बहुत जरूरत है। ऐसा ही एक कस्बा लाडवा है। वहां पर एक छोटी सी लेकिन अच्छी डिस्पेंसरी है। उस में एक डाक्टर और एक लेडी डाक्टर है। वहां पर लोगों ने अपनी तरफ से कुछ प्राइवेट वार्डज एगैरा बनवाये है। मेरे ख्याल में उन पर बीस हजार रुपया लगा होगा। लोगों ने दान में एक रैफ़िजीरेटर भी दिया जो पांच हजार का होगा ओर दूसरी चीजें, पंखे वगैरा भी दिये है। यह कहने से मेरा मतलब यह है कि गवर्नमैट के पास फंडज की कमी है इसलिये ऐसी जगहों में आली गान इमारतें बे तक न बनाये, उन पर बे तक पैसा न खर्च करें और वहां पर छोटी-छोटी बिल्डिंगज में ही वह सारी फ़ैसिल्टीज दे दें जो बड़े हस्पतालों में दी जाती हैं। हमारे लाडवा में लैबोरेटरी नहीं है, ऐक्स-रे प्लांट नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि लम्बी-चौड़ी इमारतें बनाने की बजाये छोटी बिल्डिंगज में ही सारी फ़ैसिल्टीज दे दें। जब कभी वक्त आयेगा ओर फंडज हो जायेगे तो बड़ी बिल्डिंगज भी बना लेना लेकिन अब छोटी बिल्डिंगज में ही बड़े हस्पतालों वाली सहूलियतें दे दी जाये। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में सीड कारपोरे इन बनाई गई है। यह बहुत अच्छी बात की गई है। इस बारे में मैं यह

अर्ज करना चाहता हूं कि पिपली के मुकाम पर सीड प्रौसैंसिंग प्लांट लगाया जाना चाहिये क्योंकि वह मुनासिब जगह है। यह कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच है और दोनों जिले एग्रीकल्चर के लिहाज से मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान भर में अक्वल है। सड़कों के बारे में बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था और उस वक्त मेरे यह भाई बड़े परे ान थे। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। लेकिन अब रोड्ज का काम कुछ रूक गया। कुछ तो मेरे दोस्तों ने रूकवा दिया, हाई कोर्ट से स्टे ले आये ओर इस वजह से काम रूका पड़ा है। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि कम से कम जो रोड्ज में बीच में गैप रह गये है, उनको पूरा कर दिया जाये। अगर सात मील लम्बी कोई रोड बनी है ओर उसके बीचमें एक किलोमीटर या सौ मीटर का गैप रह जाता है तो वह सात की सात मील की रोड बेकार है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह जो गैप है, कम से कम यह जरूर ठीक कराये जाये। अब मैं टूरिज्म के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इस बारे में हरियाणा ने बहुत तरक्की की है, इस में कोई भाक की बात नहीं। हमारे हरियाणा में पहले कोई जानता ही नहीं था कि टूरिज्म होता क्या है। अब आप देहली से चले तो रास्तें में देखें टूरिस्ट्स के लिये कितने सुन्दर स्थान बन गये है लेकिन पिपली के मुकाम को जब देखते है तो कुछ मजेदार बात नहीं लगती है। तो मेरी अर्ज है कि टूरिज्म के प्वांयट आफ व्यू से पिपली को खास तौर पर से खूबसूरत स्थान बनाया जाये। अब मैं ट्रांसपोर्ट पर आता हूं। इस में बहुत विकास का काम हुआ है, और हमारे भाई राम लाल जी को इस बात का बहुत दुख है।

कहते हैं, यह लगा दो, वह लगा दो, सुपरवाइजर लगा दें, भायद इनका ख्याल हो तो इनको ही बिठा दो। (हंसी) जहां इतना बड़ा काम होता है, उसमें गड़बड़ भी हो जाती है और ओवरलोडिंग भी होती है। ओवरलोडिंग के बगैर काम भी नहीं चलता है, न कंडक्टर का चलता है और न ही सवारी का चलता है। सवारी जो नीचे खड़ी होती है वे कहती है कि किसी तरह से अन्दर घुसा जाये कंडक्टर अन्दर खड़ा समझता है कि मंहगाई का जमाना है। कर्नल साहब ने इन्तजाम तो बहुत बढ़िया किया है और ट्रांसपोर्ट को अच्छे ढंग से चला भी रहे हैं। इस में भाक की बात नहीं। ट्रांसपोर्ट में यह है कि आखिरी टाइम्ज लौस में जाते हैं क्योंकि गड़बड़ आखिरी टाइम में ज्यादा होती है ओर वह टाइम अक्सर बन्द भी हो जाते हैं क्योंकि लोस में जाते हैं और समझा यह जाता है कि सवारी कम मिलती है। इस में असल में ऐसी बात नहीं है। लौस नहीं होता है। दूसरी बात हो जाती है। बस स्टैंडों के लिए जमीनें ली जा रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बस स्टैंडों के लिये जल्दी जमीनें लेकर बसें खड़ी करने का इन्तजाम जरूर कर देना चाहिये।

17.00 बजे

दूसरी बात मैं हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं। जो हरिजन बे-जमीन है, बेसहारा लोग हैं, उन को गाय भैंस खरीदने के लिये सरकार की कर्जा देने की जो स्कीम है, वह बहुत अच्छी है क्योंकि इससे उनका दूध का मसला हल हो जाता है

जिसको बेच कर वे गुजारा करते हैं। लेकिन उस कर्जे का तभी फायदा हो सकता है अगर सरकार प जुओं के चरने के लिये चरागाहें प्रोवाइड करें। चरागाहें तो क्या होगी, उन के पास तो चारपाई डालने के लिए भी जमीन नहीं है, इसलिये गवर्नमेंट उन बेजमीन लोगों को जमीन देने का इन्तजाम करें। पहले तो चरागाहें होती थी लेकिन अब नहीं है। जहां सरकार उनके लिये कर्जा देती है वहां चरागाहों का इन्तजाम करना भी जरूरी है। जब तक कौमन-चरागाहें नहीं होगी, यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती।(घन्टी)

स्पीकर साहब, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि प्रोपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को अगर इक्ठ्ठा कर दिया जाये तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कुरुक्षेत्र में ऐसे आदमी हैं जिन पर यह टैक्स लगा दिया। इनके पास एक-एक कच्चा कोठा है जिसमें 5 रूपये महीना किराये पर भी नहीं रहा जा सकता। जो आदमी यहां बैठे हैं वे तो मुफ्त भी नहीं रह सकते। इसलिये मेरी सरकार से अर्ज है कि प्रोपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को इक्ठ्ठा कर दिया जाये। इसमें अर्ज की कोई बात नहीं है। एक और बात है ओर वह यह है कि म्युनिसिपैलिटी में होल टाइम ऐडमिनिस्ट्रेटर होना वाकई बहुत जरूरी है। जब तक होल टाइम ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, म्युनिसिपैलिटी का सुधार नहीं हो सकता। (घन्टी)

स्पीकर साहब, सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट नया बना है लेकिन वहां पर जुडीसियल कोर्ट नहीं है। मिन्नी-सैक्रेटेरियट का प्रोग्राम मुझे ठण्डा पड़ता नजर आता है, इसलिये वहां पर टैम्पोरेरी जुडीसियल कोर्ट का इन्तजाम किया जाये ताकि पब्लिक को सहूलियत हो सके। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके इलावा, स्पीकर साहब, पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। ठीक है, हमें यह पता नहीं था कि बारिश न होने की वजह से इतनी तकलीफ हो जाएगी। कई सालों से बारिश न होने की वजह से देहातों में पानी बहुत नीचे चला गया है। तीन-तीन, चार-चार साल से लगातार बारिश नहीं हुई। नलके तो लगें हुये हैं लेकिन पानी नीचे चले जाने के कारण उनमें पानी नहीं आता। अब लोग बिजली की तरफ देखते हैं कि कब आती है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि सुबह और शाम कम से कम एक घन्टा पानी के लिए जरूर बिजली मुहैया की जाये। एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए जो एम0आई0टी0सी0 के ट्यूबवैल लगे हुये हैं। अगर इनके साथ दो-दो, चार-चार गांवों की इक्व्ठी वाटर सप्लाई स्कीम बना दी जाये तो यह मसला हल हो सकता है। हमारे यहां छोटे-छोटे गांव हैं जो एक-एक मील के फासले पर हैं। अगर आप इस को कन्सीडर कर लें और ऐसी वाटर सप्लाई स्कीम बना दी जाये तो उनका पर्पज हल हो सकता है। एम0आई0टी0सी0 के ट्यूबवैल बेकार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे पानी नहीं देते बल्कि उनको बिजली नहीं मिलती। मेरे ख्याल में आप सात-सात, आठ-आठ, दस-दस गांवों की

इक्की टंकी बना दे तो पर्पज हल हो सकता है। (घन्टी) हमारे यहां थोड़े-थोड़े फासले पर छोटे-छोटे गांव हैं। (घन्टी) स्पीकर साहब, आप घंटी बजा रहे हैं इसलिये मुझे बैठना ही पड़ेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: अब भाह हकूमत राय बोलेंगे। आप पांच मिनट बोल लीजिये।

भाह हकूमत राय(पानीपत): स्पीकर साहब, मैंने बजट पर भी हिस्सा नहीं लिया और आज बोलने वाले भी बहुत कम हैं, इसलिये थोड़ा टाईम और दे दें। स्पीकर साहब, कई दिनों से मेरे साथियों ने बजट पर ओर डिमांड पर बहस में हिस्सा लिया। हर सदस्य को, जैसा उसका सोचने का तरीका है, उसके मुताबिक पूरी आजादी है कि वह अपने ख्यालात का इजहार करे। इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ सदस्य विरोधी पार्टी के होने के नाते फिजूल आलोचना करते हैं ओर सरकार की प्रॉप्स से दुखी होते हैं। यह सब जानते हैं कि 1968 के बाद जब से हरियाणा की बागडोर चौधरी बंसी लाल के हाथ में आई है, क्या-क्या तरक्की हुई? 1968 के पहले ओर बाद के फर्क को आप देखें तो महसूस करते हैं कि नुमायां तरक्की हुई है। लेकिन अपनी जुबान से इसका जिक्र करना वे मुनासिब नहीं समझते। हमें इस बात का अफसोस नहीं है, कि ये जरूर प्रॉप्स करें, मगर एक अच्छी बात से जानबूझ कर आंखें मूंद लेना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी बातों का विरोध करना

जो असल में अच्छी है, लोगों को बहकाने के लिए अच्छी बातों को गलत बताना, कोई भोभा की बात नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि बजट थोथे आंकड़ों का पुलंदा है। बजट के आंकड़े तो सही है। बड़ी सोच समझ कर लिखे गये है। उनको थोथा बताना ठीक नहीं है। मैं उन का क्या कहूं? वे अपने आपको पुराना पार्लियामैंटेरियन समझते है। उन्होंने कहा कि वे इस बात से इन्कार नहीं करते, तारें है, खम्भे है, लेकिन बिजली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा की नहरें है, ट्यूबवैल है, लेकिन पानी नहीं है। यह तो बिल्कुल हकीकत के उलट है। स्पीकर साहब, नहरें भी है, ट्यूबवैल भी है ओर पानी भी है, तारें भी है ओर उनमें बिजली भी है, मगर एक बात आप जरूर मानेंगे कि बिजली उतनी नहीं जितनी हमारी खपत है। जितनी खपत है उतनी बिजली मिलती नहीं है। इसके अलावा हमारे इरीगे 1 न एंड पावर मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में खुले लफ्जों में कहा था कि हमारी खपत इतनी है और हमें मिलती इतनी है। जो बिजली मिलती है उसका ज्यादा हिस्सा सरकार ने एग्रीकल्चर को देने की कोशिश की है ताकि हमारी पैदावार ज्यादा हो। पैदावार के लिहाज से आत्मनिर्भर होने के बाद ही हम दूसरे प्रान्तों को सप्लाई कर सकते है। पहले ऐसा होता था कि अपने खाने के लिए भी अनाज हरियाणा में पैदा नहीं होता था। आंकड़े इसके गवाह है। यह हकीकत है कि जब से हम पंजाब से अलविदा हुये है जब से हरियाणा वजूद में आया, उस वक्त से पहले हम बाहर से अनाज मंगवाते थे ओर आज बावजूद इन कठिनाइयों के कि कई सालों से बारिश नहीं हुई, बिजली

कम पैदा हुई, इस वर्ष भी हमने अनाज बाहर के प्रान्तों को दिया है। यह गौरव की बात है। इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद भी हमारे पड़ोसी राज्यों को हमारे यहां से फालतू अनाज गया है। इसमें हमारी बड़ी भान है। अनाज की बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किये है, इसमें सन्देह नहीं, मगर कुदरत से किसी का मुकाबला नहीं होत। पहले बारि 1 वक्त पर होती थी मगर आज दो-तीन साल से बारि 1 नहीं होती। सरकार ने अपने जराये से, बैंकों से कर्जा लेकर, ट्यूबवैल लगाकर, जो आबपा पि के साधन जुटाये थे, उन के लिए बिजली की कमी है। बिजली के साधन बहुत कम हैं। इतना होने के बावजूद भी सरकार सोई हुई नहीं है सरकार सोचती रहती है। 60-60 मैगावाट के दो यूनिट फरीदाबाद मे लगाये है। सिंचाई मंत्री ने बताया था कि फरीदाबाद के पहले यूनिट से जो चालू हो गया है, 40 मैगावाट बिजली मिलनी भुरु हो गई है। मेरे भाई भायद पानीपत गये भी न हों लेकिन यहां कह दिया कि काम बड़ी सुस्त रफतार से हो रहा है। कितनी लाईनें वहां बिछ चुकी है, सरकार कितनी तेजी से उस काम में जुटी हुई है, यह उन्हे नहीं पता है। सरकार की यह कोर्ि 1 1 है कि जल्दी से जल्दी यह थर्मल प्लांट चालू हो। मगर जो लोग वहां गये ही नहीं, जिन्होंने जाने का कश्ट किया ही नहीं, वे अगर कहते है कि एक-एक साल में एक-एक थर्मल प्लांट खड़ा कर दो तो उचित नहीं है। आखिर म गिनरी फिट करनी है, लाईनें बिछाने के लिए, दूसरे साधनों के लिए टाईम लगेगा। सरकार जितनी कोर्ि 1 1 कर रही है उसकों देखते हुये में

सरकार की सराहना करता हूँ। काम भुरू किया हुआ है और उससे कुछ बिजली मिलनी भुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने तौर पर बड़ा यत्न कर रही है कि किसान ओर इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली पूरी मिले ताकि अनाज और औद्योगिक वस्तुओं की पैदावार ज्यादा बढ़े। तो स्पीकर साहब, बिजली जुटाने के लिए सरकार जो साधन अपना रही है, वे ठीक है। लेकिन जैसा मेरे एक भाई ने कल यहां कहा था, मैं भी उस सिलसिले में आपके द्वारा सरकार से एक अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने भी अपने यहां के पानीपत कोआप्रटिव भूगर मिल के जनरल मैनेजर से दरियाफ्त किया था और उन्होंने मुझे बताया है कि मार्च के बाद मिल बंद हो जाती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो मार्च के बाद भी वे पन्द्रह हजार यूनिट बिजली डेली सप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी अर्ज यह है कि अगर सरकार ऐसा प्रबन्ध कर ले ओर मार्च के बाद जब वह मिल बंद हो जाये वे बिजली देना भुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि हमारे उस औद्योगिक नगर के लिये, इंडस्ट्रियल टाऊन के लिए इतनी बिजली बहुत है। उससे उसके सारे उद्योग चल सकते हैं। उम्मीद है सरकार इस ओर ध्यान देगी। स्पीकर साहब, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे मिनिस्टर साहब ने वाजेह कर दिया था कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी एग्रीकल्चरिस्ट्स को देते हैं ओर उसके बाद उद्योग को और खास तौर पर उस उद्योग को देते हैं जिसने एक्सपोर्ट का माल तैयार करना होता है। यह उनकी बड़ी सराहनीय बात थी। मगर मेरा ख्याल है, अगर मैं गुस्ताखी

नहीं करता, इसमें बिजली वाले नीचे वाले कर्मचारी ओर अधिकारी अमल नहीं करते। कैसे नहीं करते? इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष: मिसाल देने में टाईम बहुत लगेगा, आप जल्दी किजिये।

भाह हकूमत राय: पानीपत में एक स्टील प्लांट है जो माल एक्सपोर्ट करता है। यह बात हरियाणा के क्रेडिट में जाती है क्योंकि इससे सरकार को फारेन एक्सचेंज मिलता है। उसने इराक को साठ लाख रूपये का पाईप 31 मार्च तक देना किया है। दस लाख रूपये का माल तो जा चुका है लेकिन पचास लाख रूपये का माल अभी नहीं दिया गया है। अगर यह माल उस तारीख तक नहीं दिया गया तो जो पैनल्टी उन्होंने रखी है, वह देनी पड़ेगी। इससे न उनको फायदा होगा ओर न सरकार को ही लाभ होगा। इसलिये मेरी गुजारि है कि अगर उनको डेली आइ घंटे बिजली मिल जाये तो उनका काम आसानी से चल सकता है। स्पीकर साहब, यही नहीं, ऐसे-ऐसे उद्योग भी पानीपत में हैं जहां चादरें, टैपिस्ट्री और गलीचे आदि भी बनते हैं।(विधन) चाहे उनकी सारी चीजें खड्डियों में बनती हैं लेकिन सूत बनाने के लिए ओर फिनिशिंग के लिए उन्हें भी बिजली की दरकार है। बिजली न मिलने से उनका काम भी रूका पड़ा है। उनका माल भी बाहर नहीं जा सकता जब तक उन्हें भी बिजली न मिले। इसलिये मेरी गुजारि है कि अगर हम भूगर मिल वाली बिजली हासिल कर

सकें तो उससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। स्पीकर साहब, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वाले खड्डी वालों को बहुत लिबरली कर्जा देते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। पानीपत दस्तकारी का भाहर है। छोटी दस्तकारियां इसमें बहुत हैं। आप यह बात सुरकर हैरान होंगे कि इस वक्त कोई बीस हजार खड्किया वहां हैं, जिनमें से तेरह हजार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं और बाकी सात हजार में इंडिविजुअली लोग काम करते हैं। इनमें से पचास परसेंट तो कोआप्रेटिव सोसायटी के तौर पर काम कर रहे हैं और कोआप्रेटिव सोसाइटीज सरकार की तरफ से सस्ते सूद पर कर्जा भी लेती हैं। कोआप्रेटिव बैंक्स, सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक्स, और दूसरे बैंक्स से भी वे कर्जा सस्ते सूद पर लेती हैं। लेकिन बिजली की कमी की वजह से उन सब का काम भी रुक गया है। अगर यह बिजली मिल जाये तो इनका काम भी चाहे वह फिनिशिंग का है या चाहे सूत बनाने का है, चाहे उन का है या दूसरा नं० 2 का है आसानी से चल सकता है।

स्पीकर साहब, हमारी सरकार की तरफ से भाउप्स ऐक्ट लागू है। बहुत अच्छी बात है। मगर भाउप्स ऐक्ट कहां लागू होना चाहिये— जहां पर मुलाजिम हों, दुकानों में लोग काम करते हों। जैसे मैंने पहले कहा, वहां बीस हजार के करीब खड्कियां हैं। उनमें हजारों यू०पी० से आये हुये लोग काम करते हैं। सूत रंगने वाली ओरतें काम करती हैं। ये उजरत पर काम करते हैं, डेली वेजिज पर वे काम नहीं करते। उनका ठेका होता है। उनका यह

हिसाब होता है कि एक खेस बनेगा तो इतने पैसे मिलेंगे और इतने खेस बनेंगे तो इतने पैसे बलेंगे । लेकिन उन पर भी भाँप्स ऐक्ट लागू है । उनको भी भाँप्स इन्स्पैक्टर आये दिन तंग करते हैं । भाँप्स ऐक्ट लागू रहे मगर जहाँ उनके भाँप्स रुम्ज है वहाँ पर रहे । उन दस्तकारों परख जो मेहनत करते हैं जो दस बार घंटे लगा कर के अपनी मजदूरी पूरी करते हैं, यदि यह ऐक्ट लागू हो तो इससे उनके काम में रुकावट पैदा होती है । वे यदि सामत बजे आएँ, एक बजे छुट्टी कर लें, फिर तीन बजे आयेँ ओर सात बजे चले जाये , तो इससे तो उनका पेअ नहीं भरता । इस भाँप्स ऐक्ट की वजह से उन्हें बड़ी परे ानी होती है । इस परे ानी से बचने के लिए खड्डी वालों को भी ओर लेबर को भी अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ इन्स्पैक्टर्ज को देना पडता है । मैं समझता हूँ कि यदि यह लानत उन खड्डियों से खत्म हो जाये तो यह करण न वाली बात जिसका रोज यहाँ चर्चा होता है, खत्म हो जाएगी क्योंकि उन मजदूरों को कुछ देना नहीं पड़ेगा ।..... (घंटी).....

स्पीकर साहब, केवल एक मिनट और लूंगा । पुलिस थाना सिटी की बिल्डिंग की हालत बड़ी खस्ता है । एस0एच0ओ0 का क्वार्टर गिर चुका है । वह आजकल एस0एच0ओ0 थाना सदर की बिल्डिंग में रहता है । अगर किसी ने उससे ि ाकयत करने जाना हो कोई इमीजिएट नेचर की ि ाकयत हो , तो लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके रहने के

लिये मकान कोई नहीं है। इसी तरह से पुलिस कांस्टेब्लज के लिए भी जगह नहीं है। इसलिये मैं गुजारि । करूंगा कि जितना पैसा इस पुलिस की मदद में रखा गया है इसमें से कुछ पैसा पुलिस स्टे ।न सिटी की बिल्डिंग को मुरम्मत करवाने पर फौरी तौर पर खर्च किया जाये ।

स्पीकर साहब, बोलने को तो अभी बहुत सी बातें थी लेकिन चूंकि आगे आप बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे इसलिये इन भाब्दों के साथ ही आपका धन्यवाद करते हुये मैं अपनी जगह लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष: मित्तल साहब, आप कितना वक्त लेंगे?

वित्त मंत्री(श्री राम सरन मित्तल): जितना आप देंगे ।

श्री अध्यक्ष: श्री अमर सिंह, केवल पांच मिनट के लिए ।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, दो मैनबर जनसंघ के है , तीन बी0एल0डी0 के है । जितना टाईम उनको दिया गया है उतना टाईम मुझे दे दें क्योंकि हमारी पार्टी से तो कोई बोला ही नहीं है और न ही बोलेगा ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । साढ़े पांच बजे मैं गिलोटीन एप्लार्ड कर दूंगा । उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है । इसलिये आप केवल पांच मिनट ही बोलिये ।

श्री अमर सिंह(बवानीखेड़ा अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, सदन में ऐप्रोप्रिए इन बिल(नं02), 1975, जेरे बहस है। इस बिल के जरिये, स्पीकर साहब, यह सदन 4841163806 रूपये वर्ष 1975-76 में खर्च करने की स्वीकृति सरकार को दे रहा है। स्पीकर साहब, सदन में कई दिनों से बजट पर बहस होते हुये तरह-तरह की बातें आई है लेकिन मेरी विचारधारा के अनुसार इस ऐप्रोप्रिए इन बिल को और इस साल 1975-76 के बजट को अगर किसान बजट कहा जाये तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इस ऐप्रोप्रिए इन बिल के जरिये इरीगे इन डिपार्टमेंट को 526409495 रूपये, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 91613300रूपये, कोआप्रटिव डिपार्टमेंट को 322363490 रूपये और एजुके इन डिपार्टमेंट को 319550450रूपये दिये जा रहे है। इससे जाहिर है स्पीकर साहब कि जो मेजर हैडज है, जिनसे किसान को ओर दस्तकार को तरक्की मिलती है इन्सान को रोटी रोजी मिलती है, उन पर ज्यादा पैसा खर्च करने का सरकार ने फैसला किया है। यह एक सराहनीय कदम है। स्पीकर साहब, चूंकि समय थोड़ा है इसलिये मैं तीन-चार हैडज के तहत ही अपनी राय जाहिर करूंगा। आज सरकार को दो तरफा चैलेन्ज का सामना करना पड़ रहा है। एक साईड में तो राईल इन प्राइसिज, राईज इन अनऐम्पलायमेंट, इन्क्रीज इन पापुले इन, कुरप् इन और जनरल डिग्रेडे इन इन करैक्टर है और दूसरी तरफ चैलेंज है फस्ट्रेटिड पालिटीि यन्ज ओर रीऐक् इनरी फोर्सिज की तरफ से। आज फस्ट्रेटिड पालिटीि यन्ज और रीऐक् इनरी फोर्सिज ने अपना

तालमेल बनाकर एक जिहाद जम्हूरियत के विरुद्ध खडा किया है क्योंकि आज की हकूमत में वे कुर्सी को अपना नहीं सके, कुर्सी को जम्हूरियत के रास्ते से अपना नहीं सके तो उनकी यह प्लानिंग है कि किसी तरीके से इस राइज इन प्राइसिज के दौर में, राइज इन अन-एम्प्लामेंट में दे । के दौर में दे । की जम्हूरियत को किसी तरह चैलेन्ज करके कुर्सी को हथिया लें। इनकी चुनौती सरकार के सामने है। बहुत सारी बातें भारत साकार के नोटिस में है और उनमें यह भी बात है। स्वीकर साहब, बहुत जनये, त्यादा बवा को गर्म कर दिया जाये ता नजीता अच्छा नहीं हो सकता। जिस तरह से पिछले दिनों से बिहसार में आन्दोलन चल रहा है, जिस तरह से सरगर्मी नजर आ रही है उस वहस से तो हरियाणा दूर है। मेरी ता गुजारि । है कि स्पोर्टसमैन सिपरिट होनी चाहिए। जिस भावना से दे । को आजाद कराया था, उसी भावना से अब भी काम किया जाना चाहिए। जिस स्पिरिट से भाहिदों की कुर्बानियां दी थी, उसी भावना से ही पैसा भी खर्च होना चाहिए। सरकारी म ाीनरी जो कुछ पैसा बचा सकती है, इकोनामिक ढंग से खर्च कर सकती है उसे खर्च करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे रास्ते अपनाये जायेंगे। यह जा चैलेन्ज है, इस चैलेन्ज का मुकाबला किया जाये। हरियाणा प्रान्त ता भानितिर्पिय प्रान्त है। यहां पर भी स्टुडैन्टस को बहकाने की बात की गई है। हमाने हरिजन नेता आउस के अन्दर और हाउस के बाहर भी इस बात को हवा देने की कोि । । करते है कि हरिजनों के लिये कुछ नहीं हुआ। मैं यह मानता हूं कि जितना होना चाहिये था उतना

नहीं हुआ। वे ये सब बातें आज तो कहने वाले बन गये हैं लेकिन वे तो सन 1952 से सन 1968 तक राज की गद्दी पर रहे हैं। मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे लेकिन उन्होंने कोई स्थायी प्रोग्राम हरिजनों के कल्याण के लिए नहीं बनाया। मैं सन 1962 से 1967 तक इस सदन का मੈबर रहा हूँ। इन्होंने उस टाईम पर हरिजनों के लिए कोई काम नहीं किया। उस टाईम पर तो वे काटने को दौड़ते थे। वे कहते थे कि क्या हरिजन-हरिजन बना रखा है? उनके बारे में कुछ नहीं सुझता था। आज जब कुर्सी नहीं है तो उनको याद आता है तो मैं गनीमत समझता हूँ। अब एक्सप्लैट एन के ढंग से उन्हें हरिजनों की बात याद आती है, कंस्ट्रैक्टिव ढंग से नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जहां पर ये चुनौती है वहां पर उसके साथ ही सरकार को भी बेहतरीन तरीके से चलना चाहिये। एग्रीकल्चर के विकास के बारे में बजट पर बोलते हुये मैंने बताया था ओर सुझाव भी दिया था। अब मैं इन्डस्ट्र के बारे में बोलना चाहता हूँ। गावों के अन्दर भी स्माल स्केल, विलेज इन्डस्ट्री यूनिट लगाये जाने चाहिये। दो ही तो भावें हैं: एक दस्तकारी और दूसरा जमीन जिससे किसी को रोजगार मिल सकता है। जमीन का सीना चीर कर जमींदार अनाज पैदा करता है। उसकी रोटी उससे जुड़ी हुई है आज जमीन की तरफ लैन्डलैस लोग क्यों आकर्षित हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें जमीन के सिवाय रोटी का रोजगार नजर नहीं आता है। लैन्डलैस दूसरे उद्योग धंधों में नहीं जाते हैं। आज इन्डस्ट्री मिनिस्टर महोदय ने ए योरैन्स दी है। अब हरिजनों को

कनस्ट्रैक्टिव लाइन पर लगाने वाले कम हैं। वे बहकानेवाले लोग जमीन का केवल जिक्र करके रह जाते हैं असलियत पर नहीं पहुँचते। आज जरूरत इस बात की है कि स्माल स्केल यूनियन गांव-गांव में दे कर उनको लाभ पहुँचाया जाये। आज गांव में बिजली है। बिजली के कंजिडिशन है, कट है, क्योंकि इन्द्र महाराज की निगाह कुछ कड़ी है इसलिये नहरों में दरियाओं में पानी नहीं है। तो इस कारण से हमें कट का मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन यह हकीकत है कि गांव -गांव में बिजली है। जिस तरह एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये ट्यूबवैल काइस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से दस्तकारी का, उधोगों का इस्तेमाल किया जाये। ब्लॉकवाइज यूनिट बना दिये जायें। लैन्डलैस एग्रीकल्चरिस्ट को एजुकेट करें। उनको यह बतायें कि इस लोन के पैसे को किस यूनिट में लगाये। उनको यह बताया जाये कि इस लोन के पैसे को किस यूनिट में लगायें। उनको यह बताया जाये कि इतना पैसा तो फाइनेन्सियल कारपोरेट में लगायेगी और इतना पैसा आप लगायें जिससे आपकी स्थायी रोजी कमाने का धन्धा बन सके। (घंटी) स्पीकर साहब आप जल्दी करते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर साहब ने रिप्लाय देना है, उसके लिये भी तो वक्त देना पड़ेगा।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब आप इजाजत दे तो दो मिनट और बोल लेता हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि

कोआप्रटिव डिपार्चमैट के तहत जो पैसा खर्च करना है वह 322369490 रूपये है । इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे मैथड अडोप्ट कियो जाये कि आइडेंटिटी कार्ड ओर फोटो देख कर पैसा डिस्ट्रिब्यूट किया जाये। किसानों की लैन्ड के हिसाब से एग्रीकल्चर सर्विस पास बुक बनी हुई है। उस एग्रीकल्चर सर्विस पास बुक को इस्तेमाल करने के लिए उसी के हिसाब से उनके खाते खोल दिये जाये। उसमें उसका फोटो लगा दिया जाये। उसका डारैक्ट लिंक कोआपरेटिव बैंक से बना दिया जाये। आठ-आठ ओर दस-दस गांवो में कोआप्रेटिव बैंक बना दिये जाये। लैन्ड मुकर्रर कर दी जाये कि पांच एकड़ पर 10 हजार रूपये कर्जा मिलेगा और दस एकड़ पर 15 हजार रूपये कर्जा मिलेगा ओर 18 एकड़ पर 20 हजार रूपये कर्जा मिलेगा। जितनी किसी की जमीन होती है वह पास बुक में दर्ज होती है। बीच के बिचौले जो एग्रीकल्चर इन्सपैक्टर वगैरह है, ये सब हट जायेगे। किसानो का सीधा लिंक बैंक के साथ हो जायेगा।

अब मैं थोड़ा सा मैडीकल के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हास्पिटल्ज की हालत अब कुछ ठीक है। बहुत सारी जगहों पर नये हास्पिटल भी खोले है, डिस्पेंसरीज भी अपग्रेड हुई है लेकिन स्पीकर साहब मैं आपकी मार्फत अर्ज करना चाहता हूं कि मैडीसन्ज की बहुत बुरी हालत है। वहां पर दवाईयां और पट्टिया तक नहीं मिलती जो कि बहुत मामूली सी चीज हैं मैडीसन्ज तो मिलती ही नहीं है। इसलिये मेरी सरकार से गुजारि है कि इस ओर ध्यान

दे। इन छोटी-छोटी चीजों का तो आम लोगों को जरूर फायदा होना चाहिये। (घंटी) एक मिनट और लुंगा। अभी खत्म करता हूँ।

ट्रांसपोर्ट के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ। हमारी रोडज ट्रांसपोर्ट ने गनेलाइज हो चुकी है। बसों की हालत बहुत खराब है। इस बारे में कर्नल साहब से सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो बेहतरीन तरह के वर्क ग्राप बनाये जाये ओर उनमें ट्रेन्ड फिटर रखे जायें दूसरे मोबाइल वर्क ग्राप भी साथ रहने चाहिये। सिरसा से दिल्ली के लिए मोबादल वर्क ग्राप चालू की जाये। अगर कोई बस रास्ते में ब्रेक-डाउन होगी तो उसको वह उसी वक्त सम्भाल लेगी। कहने को तो बहुत सी बातें रह गयी परन्तु आपकी घन्टी का ध्यान राते हुये मैं अपना स्थान लेता हूँ। आपका बहुत-2 धन्यवाद जो अपने मुझे समय दिया।

वित्त मंत्री(श्री राम सरन चन्द मित्तल): अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिए गन बिल पर चौधरी दल सिंह के सिवाये बाकी ओर किसी तरफ से कोई क्विटिसिज्म वाली बात नहीं है। चौधरी दल सिंह जी ने एक बात में स्वीपिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच-छः साल से जब से यह गवर्नमेंट पावर में आयी हे तबसे किसानो के लिए कोई तरक्की नहीं हुई। ऐसे इम्पोर्टट प्वायंट पर एक बड़ा ब्लैक और असटोनिगिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने यह कहा कि किसानों की हालत खराब है और इस सरकार ने उनकी हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है पता नहीं वे कहां से फिर्ज ले आये। मैंने इसके बारे में

कल फिगर्ज कोट की थी। उन फिगर्ज को रिपीट नहीं करूंगा लेकिन दो-चार दूसरी चीजों के बारे में जिनको उन्होंने रैफर किया है उनके बारे में फिगर्ज मेरे पास है। ट्रैक्टर के बारे में उन्होंने यह कहा है कि ट्रैक्टर की तादाद कुछ भी नहीं बढ़ी लेकिन इसके बारे में हरियाणा गवर्नमेंट की जो पब्लिक इड स्टेटमेंट है, उससे मैं बता देता हूँ। वे कह रहे थे कि ट्रैक्टर नहीं बढ़े आप इन फिगर्ज को सुनिये कितने ट्रैक्टर बढ़े हैं, सन् 1966-67 में 4803 ट्रैक्टर थे, सन् 1967-68 की फिगर्ज मेरे पास अवेलेबल नहीं है जब कि चौधरी दल सिंह इन-पावर थे। उस टाइम पर नहीं बढ़े होंगे क्योंकि सिवाय "आया राम गया राम" के और कुछ नहीं होता था। यही किस्सा होता रहा। सन् 1968-69 के अन्दर 9403, 1971-72 में 15680 और 1972-73 में 19414 ट्रैक्टर थे। अब आप देखिये कहां 1966-67 के अन्दर 4803 ट्रैक्टर थे और कहां 1972-73 के अन्दर 19414 ट्रैक्टर थे। मैंने यह इसलिये बतलाया है कि ट्रैक्टर सिवाय खेती के और किसी काम तो आते नहीं इसलिये जो ये ट्रैक्टर बढ़े हैं, इनसे यह साफ जाहिर है कि हम जरायत के अन्दर तरक्की कर रहे हैं। फर्टीलाइजर कन्जम्पशन के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा। इसकी फिगर्ज ले लीजिये। 1966-67 के अन्दर 67000 टन्ज, 1968-69 के अन्दर 235000 टन्ज, 1971-72 के अन्दर 410000 टन्ज, 1972-73 के अन्दर 470000 टन्ज। अब आप ही देखिये 1966-67 के अन्दर इसकी कन्जम्पशन आधे लाख से कुछ ज्यादा थी और 1972-73 के अन्दर हमारी कन्जम्पशन 470000 टन्ज हो गयीं मैं यह इसलिये कह रहा

था कि जो फिगर्ज उन्होने कोट की, वे ठीक नहीं थी। हमारी सही हालत यह है, जो मैंने बतायी हैं हाई-इलिंग वैरायटीज के अन्दर जो जमीन थी, उसकी फिगर्ज में हैक्टैयर्ज में बताता हूँ। 1966-67 के अन्दर 16000 हैक्टैयर्ज और 1972-73 के अन्दर 1325000 हैक्टैयर्ज अब आप बताइये, कहां सोलह हजार और कहां सवा तेरह लाख ओर फिर यह कहते हैं कि पिछले पांच-छः साल के अन्दर एग्रीकल्चर की कोई तरक्की नहीं हुई। फूडग्रेन्ज की प्रोडक्शन की बात भी इन्होने कही। फूडग्रेन्ज के नीचे टोटल एरिया ओर फूडग्रेन्ज की प्रोडक्शन यानि कितना फूडग्रेन्ज पैदा हुआ है, यह मैं बता देता हूँ। 1966-67 के अन्दर 2592000 टन्ज और 1971-72 के अन्दर 4543000 टन्ज फूड-प्रोडक्शन है। अब बताइये कितना डिफरेंस है? कहां 25 लाख और कहां 45 लाख? करीब-करीब डबल हो जाती है। फिर ये कहते हैं कि साहब तरक्की नहीं हुई। एरिया की बात लीजिये। 1966-67 के अन्दर 3520000 हैक्टैयर्ज और फिर 1972-73 के अन्दर 3968000 हैक्टैयर्ज। आप ही देखिये कितना फर्क पड़ गया है। मुझे यह इसलिये कोट करना पड़ा है क्योंकि अगर न कहा जाता तो भायद वे यह समझते कि हमारी बात सही है और वे इसका उल्टा अर्थ निकाल लेते। एरिया के अन्दर, फूड-ग्रेन्ज की क्वांटिटी के अन्दर ट्रैक्टर्ज की तादाद के अन्दर और फर्टीलाइजर की कन्जम्पशन चानि हरेक बात के अन्दर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है ओर एग्रीकल्चर के उपर बहुत रूपया खर्च हो रहा है। अभी हमारे साथी चौधरी अमर सिंह जी ने बतलाया है कि एग्रीकल्चर के अन्दर,

पावर के उपर और इरीगे ान के उपर कितना रूपया खर्च किया जा रहा है लेकिन इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इनका तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया कि कुछ नहीं किया और फिर सुजैस्ट क्या करतेहै कहते हैं कि गवर्नमेंट को रीजाइन कर देना चाहिये। मैं इनको बता दूँ कि आपको ओब्लाइज नहीं किया जायेगा...(व्यवधान)... इसके अलावा उन्होने एक बात यह कही कि यहां पर बहुत हैवी टैक्सज लगे हुये है। कल मैंने इस बारे में फिर्ज कोट की थी। मैं दोबारा उस पर कहने की जरूरत महसूस नहीं करता। इंडियाके अन्दर तमाम स्टेट्स के साथ आप मुकाबला कर लीजिये। हमारे यहां टैक्स जयादा नहीं है। (चौधरी चांद राम जी की और से व्यवधान) आज चौधरी दल सिंह जी यहां बैठे है, मैं इसलिये यह बात फिर कह रहा हूँ। आप तो कल थे नहीं इसलिये मैंने यह मुनासिब नहीं समझा कि आपकी बात का जयादा जवाब दिया जायै। हैवी-टैक्से ान के जवाब में मैंने कल फिर्ज कोट की कि पंजाब, जिसका सबसे बड़ी प्रौसपरस स्टेट कहा जाता है, वहां पर टैक्सज ज्यादा है। हमारे यहां पंजाब से कम टैक्से न है। दूसरी स्टेट्स से तो हमारा मुकाबला ही नहीं हो सकता। इसके बावजूद यह कहा जाता है कि हैवी-टैक्से ान, हैवी टैक्से ान। तो यह ठीक नहीं है। इसके बारे में मुझे इतना ही कहना था। इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है। चौधरी रामलाल जी ने एजुके ान के बारे में कहा। मैं उनकी इस बात को कुछ इद तक ऐप्रि ियेट करता हूँ कि एजुके ान के लिये लड़को का कुछ माइन्ड इस तरह से चेन्ज करना चाहिये कि वे

क्लैरीकल साईड की और न जायें । लेकिन मैं आपके द्वारा उनको प्रार्थना करूंगा कि अगर वे लड़कों को ऐकापलायट न करें तो वे ठीक तरह से पढ़ेंगे ।(व्यवधान)..... जो यह लड़को को ऐक्सप्लायट किया जाता है इससे वे एजेके इन में ज्यादा खराबी करते हैं ।(व्यवधान) ऐजुके इन के उपर रिफार्मर्ज के लिये एक कमेटी बनी हुई है । आप यह भी जानते हैं कि इस बारे में कमेटियां ओर कमी ान्ज बनते ही रहते हैं और चन्जिज होती ही रहती है लेकिन क्प्रकोडाइल टीयर्ज बहाने का क्या फायदा? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऐजीटे इनल आप्रोच है, वह ठीक नहीं है । ऐजुके इन का मतलब यह नहीं कि लड़कों को ऐक्सपलायट करके फायदा उठायें । लडकों को बहका करके ऐजीटे इन करवाना कोई अच्छी बात नहीं है ।(व्यवधान).... हमारे कई मित्रों ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं और अपने हल्के की भी बहुत सी बातें कही हैं । कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था और अब भी यही निवेदन है कि उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, उनकी हरेक बात पर विभाग पूरा विचार करेंगे और जो उचित कार्यवाही होगी, वह पूरी की जायेगी । इतना ही निवेदन करके मैं आपके द्वारा सदन से यह कहूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाये ।

Mr. Speaker: Question is-

that the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was Carried

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause I stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

The enacting formula be the enacting formula of the
Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

Shri Ram Saran Chand Mittal: Sir, let me first move the motion.

श्री अध्यक्ष: गिलोटीन लगने के बाद मैं ही मोशन पुर करूंगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be passed.

The motion was carried.

अनुपूरक अनुमान(तीसरी किस्त) 1974-75

Mr. Speaker: According to the previous practice, all the Demands for Supplementary Grants will be deemed to have been read and moved.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11303160 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39726610 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 4 – Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 690930 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 5- Excise and taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 728780 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No.6- Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 244410 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 8- Buildings and roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27976790 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No.9 - Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in

the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 159650 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48426420 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 15-Irregation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4500000 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48362800 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 22-Co-Operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6158800 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27801930 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 25- Loans and Advances by State Government.

(No member reose to speak)

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11303160 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 3- Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39726610 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 4- Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 690930 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 5- Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 728780 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 6- Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 244410 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 8 - Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27976790 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 9- Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 17- Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 159650 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 20- Forest.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48426420 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 15- Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4500000 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48362800 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 22- Co-Operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6158800 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 23 - Transport.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27801930 be granted to the Governor to defray the charges that wil come in the course of payment for the year ending 31st March, 1975 in respect of Demand No. 25- Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

वर्ष 1969-70 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर
चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: All the demands will be deemed to have been read and moved.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 177621 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 9- Land Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 12877 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 14- Stamps.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 28487 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 25- Supplies & Disposals.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 920715 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 43-44 Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial and Non Commercial).

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1505593 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of Charges on Irrigation Establishment.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1132949 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 50- Public Works.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 591672 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of Charges on Buildings and Roads Establishment.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1338172 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 64-Famine Relief.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3156964 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 65- Pension and other Retirement Benefits.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2468 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 67- Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 25072605 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 98- Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 71102 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 120- Payment on Commuted Value of Pensions.

कृषि मंत्री(चौधरी भजन लाल): यह तो पुरानी चीज है, इस पर कोई क्या कहेगा?

वित्त मंत्री(श्री राम सरन चन्द मित्तल): इस पर किसी ने क्या बोलना है, आप इसको पुट कर दो।

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 177621 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 9- Land Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 12877 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 14- Stamps.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 28487 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 25- Supplies & Disposals.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 920715 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-

70 in respect of 43-44 Irrigation, Navigation. Embankment and Drainage Works (Commercial and Non Commercial).

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1505593 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of Charges on Irrigation Establishment.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1132949 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 50- Public Works.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 591672 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of Charges on Buildings and Roads Establishment.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1338172 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 64-Famine Relief.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3156964 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 65- Pension and other Retirement Benefits.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2468 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-

70 in respect of 67- Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 25072605 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 98- Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 71102 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the legislative Assembly for the year 1969-70 in respect of 120- Payment on Commuted Value of Pensions.

The motion was Carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2.00 P.M., Tomorrow.

17:42 P.M.

(The Sabha then adjourned* till 2-00 P.M. on Thursday, the 16th January, 1975)